खण्ड-356, अंक-9
शुक्रवार, 28 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(19 मार्च, 1982 ई0)

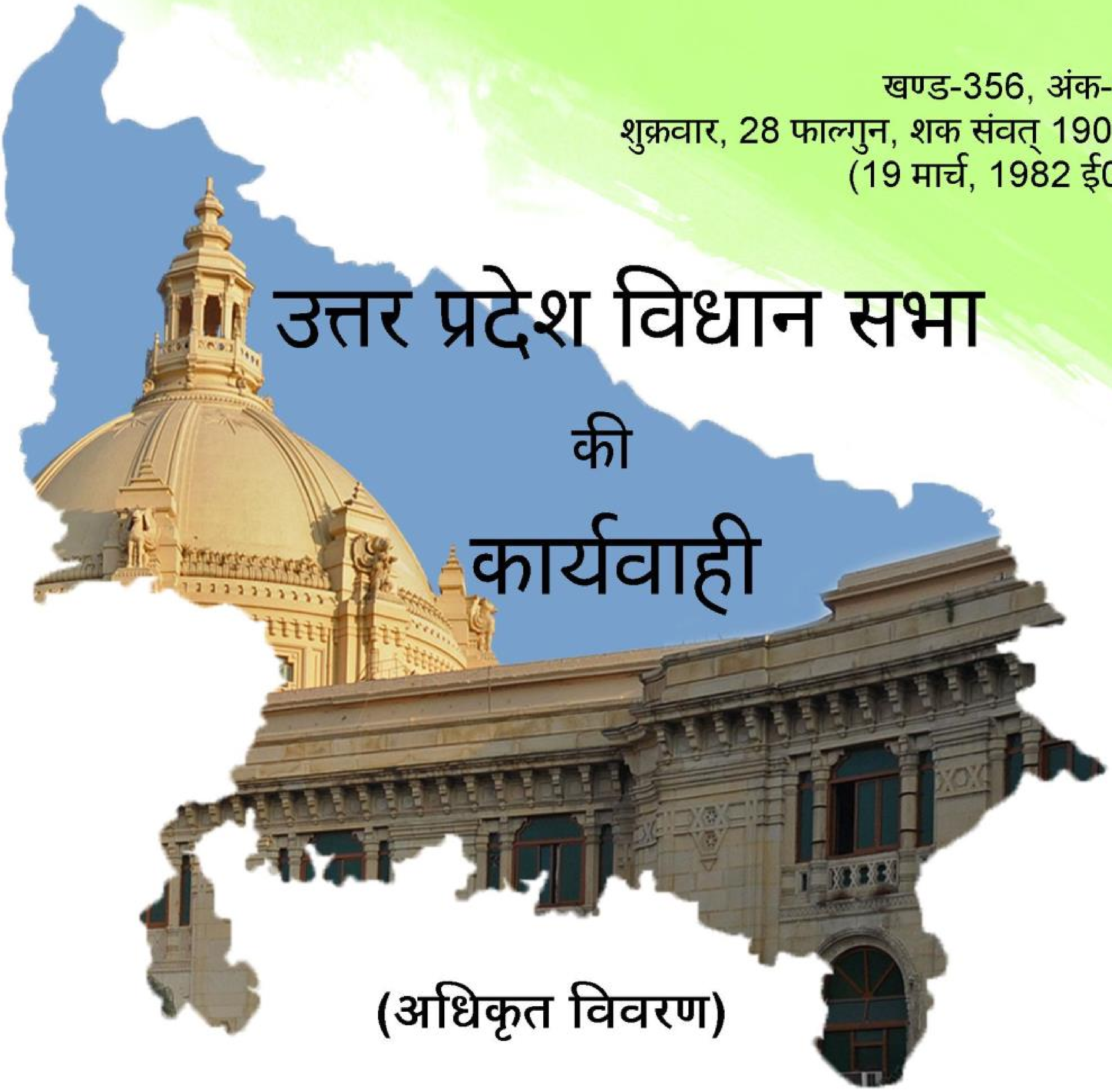

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. | 1177–1181 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | 1183–1220 |
| इलाहाबाद के थाना कर्नेलगंज की पुलिस द्वारा हरिजन बस्ती में घुस कर हरिजनों की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 1220 |
| नैनीताल में अज्ञात गिरोह द्वारा भव्य कोठियों को जलाने से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 1221 |
| आंग्ल भारतीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सिफारिशें किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 1221 |
| जनपद गोरखपुर व देवरिया के गण्डक समादेश क्षेत्र में जबरन राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 1222 |
| जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा तथा कदौरी के अन्तर्गत डी0 पी0 ए0 पी0 के कार्य की एकमुश्त वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 1222–1223 |
| फैजाबाद में यू0 पी0 आर0 एन0 एम0 एवं प्रेस स्टील फैब्रिकेटर्स टाण्डा तापीय परियोजना के श्रमिकों की छटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 1223–1224 |
| लखनऊ में कोर्ट फी स्टाम्प को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 1224 |
| महाविद्यालय, आगरा कालेज, आगरा के विभिन्न विभागों में प्रवक्ताओं के चयन तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी श्री रामसेवक का चयन न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 1224–1225 |
| कतिपय सदस्यों द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग .. .. | 1225 |
| कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. | 1226–1227 |
| प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स हड़तालियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी) .. | 1227–1230 |
| लखनऊ के चौक मोहल्ले में एक महिला के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. | 1230 |
| प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स हड़तालियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. | 1230–1235 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| 1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग (जारी) .. | 1235-1270 |
| 1981-82 के तृतीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) .. | 1271 |
| 1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) .. | 1271-1274 |
| नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. | 1275 |
| उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) .. .. .. | 1275-1292 |
| प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में चर्चा .. | 1293-1312 |


विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

### उपस्थित सदस्य 347

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलू अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ए0 सी0 ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशद अहमद, श्री (बहराइच)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)

गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थकमन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्त, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नरायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिकानाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलबीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)

बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल श्री (नैनीताल)
बुद्धू पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नाराण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पांडेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)

राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह, रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रुप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ, उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिप्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस समिति

## प्रश्नोत्तर

## शुक्रवार, 19 मार्च, 1982 ई0

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### ग्राम विशुनपुरा मटियरा, जिला गोरखपुर के ग्राम प्रधान के विरुद्ध श्री विन्ध्याचल प्रसाद के शिकायती-पत्र पर की गई कार्यवाही

*1--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम समाज विशुनपुरा मटियरा, तहसील सदर, जिला गोरखपुर की सम्पत्ति के दुरुपयोग को लेकर ग्राम प्रधान पर कुछ ग्राम-वासियों ने गम्भीर आरोप लगाकर परगनाधिकारी, सदर को माह मई, 1981 से माह 10 अक्तूबर, 1981 तक अनेक शिकायतें दी हैं ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो इनके क्या कारण हैं ?

राजस्व उपमंत्री (श्री सरजू प्रसाद 'सरोज')--

ग्राम समाज विशुनपुरा मटियरा, तहसील सदर जिला गोरखपुर के श्री विन्ध्याचल प्रसाद पुत्र राम सुभग प्रसाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 19-8-81 परगनाधिकारी सदर को प्राप्त हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत की गई थी। शिकायत से सम्बन्धित एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जांच करायी और शिकायतें निराधार पायी गयीं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि श्री विन्ध्याचल प्रसाद ने 19-8-81 को पत्र दिया उस पत्र में मूल-मूल शिकायतें क्या थीं। उन शिकायतों के किस क्रम में मुकदमा न्यायालय को दिया गया और क्या प्रधान आज सस्पेन्ड हैं ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, शिकायत है कि तीन पोखरी, एक नाला तथा एक नदी गौरा का नीलाम अपने खास पट्टेदार की साजिश से उनके हक में कर दिया गया, जिसमें एक हजार रुपये का नुकसान हुआ है गांव समाज को। दूसरी यह है कि ग्राम फैजा भवरही के प्रधान हैं वह गौरा नदी का नीलाम 25 रुपये में कराये हैं जिसमें 250 रुपये का नुकसान ग्राम समाज का हुआ है और इसमें हरिजन और मल्लाह जाति के लोग जो वहां रहा करते थे उनको नहीं दिया गया है। एक प्रकरण तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां कार्यवाही में है और दूसरा जो है उसकी कानूनगो पर्यवेक्षक द्वारा जांच करायी जा रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि ग्राम प्रधान जो भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने अपने ही घराने,

अपने पुत्रों को, अपनी उपस्थिति में गांव समाज की वह भूमि, जिस पर वहां बाजार लगता है, दे करके इस समय भी उस पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, इसकी भी शिकायत है ? यदि है, तो उसकी जांच करायेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

माननीय सदस्य कृपा कर लिख कर दे दें, इसकी जांच करा देंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

यह शिकायत उसमें है । मैंने पूछा था कौन-कौन सी शिकायतें हैं बता दें । इसी क्रम में तो पूछा था। तो क्या आप इस बात की भी घोषणा करेंगे । शिकायती पत्र में भी हवाला है कि प्रधान ने अपने पुत्र को अपने ही घराने में गांव समाज की आबादी की भूमि को देकर के अवैध ढंग से निर्माण कराया जब कि प्रधान अपने पुत्र को, अपने घराने को नहीं दे सकते ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

इस की जांच करा लेंगे ।

## रामपुर शुगर मिल द्वारा रामपुर केन डवलपमेंट एवं कोआपरेटिव केन यूनियन के गन्ना कमीशन तथा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

*2--श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर शुगर मिल, जो इस समय कारपोरेशन मिल के अन्तर्गत आती है, ने रामपुर केन डेवलपमेंट एवं कोआपरेटिव केन यूनियन का पिछला गन्ना कमीशन का भुगतान अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि रामपुर जनपद के गन्ना किसानों के बकाया का भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)--

रामपुर स्थित कारपोरेशन की चीनी मिल पर कोआपरेटिव केन डेवलपमेंट यूनियन, रामपुर का विगत वर्षों का बकाया गन्ना कमीशन 2·06 लाख रु0 का भुगतान इस कारण नहीं किया गया है कि यह धनराशि राज्य चीनी निगम द्वारा मिल के अधिग्रहण किये जाने के पूर्व की है और निगम की ओर से इसकी देनदारी विवादग्रस्त है ।

रामपुर जनपद के गन्ना किसानों का 18.50 लाख रु0 गन्ना मूल्य बकाया है । यह बकाया भी मिल के अधिग्रहण के पूर्व का है, जिसकी राज्य चीनी निगम की ओर से देनदारी का विषय विवादग्रस्त है ।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कब तक हो जायेगा तथा केन यूनियन के कमीशन का भुगतान कब करा दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, यह तो प्रश्न के उत्तर में साफ है कि जब चीनी निगम को इसका अधिकार मिला तो किसानों के गन्ने का पूरा पैसा दे दिया गया है, कोई बकाया नहीं

है । यह तो पुराने मिल मालिक के ऊपर पैसा बकाया है । हम इसके भुगतान का पूरा प्रयास कर रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार जो मुआवजा मिल मालिकों को देने जा रही है उनको मिल को अधिग्रहण करने के बाद, तो उसमें से कितना धन और कमीशन काटकर किसानों को और सम्बन्धित सोसाइटियों को दिया जायेगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

यह तो देख लेंगे, और जो स्थिति होगी उससे निपटने का प्रयास करेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन् झुनझुनवाला, जो कि इस फैक्टरी के मालिक थे, उस मिल को टेक-ओवर किया गया है और उस समय उसके ऊपर जो बकाया रह गया होगा उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज भी सामने रखी गई होगी ? वे क्या-क्या हैं ? साथ ही किसानों का झुनझुनवाला की तरफ कमीशन का पैसा बकाया था क्या वह भी असेट्स और लाइबिलिटीज में कैलकुलेट किया गया था ? यदि हां, तो उसको कम्पेन्सेशन में से काटकर देने में सरकार को स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेने में क्या परेशानी है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

आपने जो प्रश्न किया उसके बारे में सारी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है । मेरे पास वर्षवार जानकारी है । जो पैसा दिया गया था उसमें से 56.12 लाख रुपये का भुगतान हम कर चुके हैं और शेष के लिये प्रयास कर रहे हैं । कुछ केसेज कोर्ट में भी चल रहे हैं जिनके फैसले होने के उपरान्त उन पर कार्यवाही होगी ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, 2 लाख कमीशन का रुपया और 18 लाख किसानों का मिल के ऊपर वाजिब है । मिल को आपने ले लिया और अब जिम्मेदारी शुगर कारपोरेशन की हो गयी । किसानों की तो कोई खता नहीं थी । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप कृपा करके अपने शुगर कारपोरेशन से किसानों का पैसा दिलवाने की व्यवस्था करेंगे चाहे वह झुनझुनवाला हो या कोई और हो ?

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, मैंने तो कहा कि हम किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं और करेंगे जो उनका पैसा होगा वह दिलाया जायेगा ।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)--

मान्यवर, 56 लाख रुपये की अदायगी देकर आपने यह साबित कर दिया कि बाकी का रुपया भी आप ही देंगे । प्रश्न साफ यह है कि कब तक आप देंगे और और कैसे देंगे ? किसानों को मय सूद के देंगे या नहीं ? स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

हमारे सामने इस समय आर्थिक संकट है उसको निभाते हुये हम प्रयास करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)--

कब तक किसानों का पैसा दिला देंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या माननीय गन्ना विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मिल के टेकओवर होने के बाद से कितना धन किसानों का बकाया है अर्थात् कितना धन झुनझुनवाले का टेकओवर करने के बाद का बाकी है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका तो उन्होंने उत्तर दे दिया ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

टेकओवर होने के बाद कोई रुपया बकाया नहीं है ।

श्री बलवन सिंह गहलौत--

माननीय मंत्री जी, जो चीनी मिलें हैं वे गन्ना समितियों का कमीशन देने में विशेषरूप से परेशान करती हैं । आपने एक पद्धति अपनाई है बोरों के टैगिंग के समय, यानी जब बोरियां बंधती हैं उसमें गन्ने का बकाया काट लिया जाता है तो उसी तरह से समितियों का कमीशन भी काट लिया जाय इसकी व्यवस्था करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

मान्यवर, कमीशन के बारे में स्पष्ट है कि कमीशन मिलों को अनिवार्यरूप से देना होता है ।

## जनपद गोरखपुर स्थित ग्राम जंगल रसूलपुर नं0 2 में भूमिहीन हरिजनों को दिये गये कृषि योग्य भूमि के पट्टे

*3--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित ग्राम जंगल रसूलपुर नं0 2, तहसील सदर में वर्ष 1970-71 में भूमिहीन 13 हरिजनों को लगभग दो-दो एकड़ ग्राम सभा की कृषि योग्य खाली भूमि पट्टे पर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन हरिजनों का कब्जा उस पर हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? और वह भूमि अब तक किनके-किनके कब्जे में है ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'--

जनपद गोरखपुर के सदर तहसील में ग्राम जंगल रसूलपुर नं0 2 में वर्ष 1970-71 में 13 हरिजनों को कतिपय भूमि पट्टे पर दी गई थी । आबंटित

भूमि पर कब्जा दखल हरिजनों का हुआ । इस समय 11 आवंटियों के कब्जे में भूमि है । एक आवन्टी गया पुत्र औतार गांव छोड़कर चला गया है जिसकी भूमि ग्राम सभा के कब्जे में है तथा एक अन्य आवन्टी लावल्द फौतकर गये हैं जिनकी भूमि पर न्यायालय के आदेश से ब्रह्मदेव और जगदम्बा पुत्रगण जमुना का नाम अंकित है । शेष सभी 11 व्यक्ति काबिज हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया है उसके नाम जो भूमि आवंटित हुई थी वह क्या अभी उसी रूप में पड़ी हुई है या किसी को दे दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

वह बता दिया कि गांव सभा के कब्जे में है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आखिर इसको किसी हरिजन को देना चाहिये था बहुत से हरिजन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है । और दूसरा जो व्यक्ति फौत हो गया उसकी जमीन पर जो न्यायालय से दूसरे लोगों को चढ़ाया है क्या वह उसी समुदाय के हैं या दूसरे समुदाय के हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो न्यायालय से चढ़ा है ।

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)--

जो व्यक्ति गांव छोड़कर चला गया है उसके नाम अभिलेख दर्ज है लेकिन कब्जा गांव समाज ने ले लिया है । दूसरा जो प्रश्न है उसमें मुकदमे के जरिये जिन लोगों को कब्जा मिला है वह प्राइवेट व्यक्ति हैं । वह मुकदमा किये और उसके हक में डिगरी हो गयी तो उसका नाम दर्ज हो गया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या वह लोग हरिजन हैं या दूसरे लोग हैं क्योंकि यह जमीन हरिजनों को आवंटित हुई थी तो हरिजनों को ही मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो न्यायालय से मिली है ।

श्री रामनरेश शुक्ल--

इसका पता नहीं है ।

<u>प्रदेश के गांवों की सीमा पर स्थायी सीमा चिह्न लगाने के आदेश</u>

*4--श्री जयदीप सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन गांवों में भूमि बन्दोबस्त (सेटिलमेंट) किया जा रहा है उनकी सीमा पर स्थायी सीमा चिह्न लगाने

का कोई प्राविधान किया गया है ? यदि हां, तो क्या ऐसे सीमा चिह्न स्थापित किए जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन सीमा चिह्नों को स्थापित करने के आदेश जारी करेगी ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

जिन गांवों में चकबन्दी व रेकार्ड आपरेशन कराया जाता है उनकी सीमा पर पुनः स्थाई सीमा चिह्न लगाने का प्राविधान तो नहीं है परन्तु यह अधिकार है कि ऐसे सीमा चिह्न आवश्यकतानुसार लगवाए जा सकते हैं और ऐसी दशा में लगाए भी जाते हैं ।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, मेरी जानकारी को सही मानकर माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर, तहसील रामपुर में जहां पर रिकार्ड आपरेशन चल रहा है वहां 30 साल पहले बंदान था वहां पर सीमा चिह्न नहीं लगाये गये तो क्या अब सीमा चिह्न लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जहां पर सीमा चिह्न नहीं हैं तो ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर जरूरत है वहां पर आदेश होते हैं और उसके मुताबिक सीमा चिह्न लगाये जाते हैं ।

श्री जयदीप सिंह—

वहां पर ए0 आर0 ओ0 ने सीमा चिह्न लगाने के लिए सरकार को लिखा है और इसके बावजूद भी नहीं लगाये गये तो वहां पर कब तक सीमा चिह्न लगा दिये जायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, अगर आवश्यकता है तो वह आदेश होगा । असल में दिक्कत यह है कि सीमा चिह्न लगाने की व्यवस्था जो है वह गांव सभा का काम है । अगर वह नहीं लगा पायेंगे तो सरकार लगा देगी ।

## ग्राम सभा भरथापुर, जनपद बहराइच की नोटिफिकेशन द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि के अधिग्रहण के बाद शेष भूमि पर कब्जा न दिये जाने का कारण

*5—श्री जटाशंकर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा भरथापुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत ग्राम भरथापुर, तेला गोढ़ा एवं बन्दरहिया गोढ़ी नं0 1 व 2 की कुल आराजी 5600 एकड़ में से 1968 के नोटीफिकेशन द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित भूमि के अधिग्रहण के बाद उक्त ग्राम सभा के कुल ग्रामों के हक में शेष बची भूमि पर आज तक गांव सभा को कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव सभा की शेष भूमि कितनी है और उस पर गांव सभा का अब तक कब्जा न दिए जाने का क्या कारण है तथा कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'—

ग्राम सभा भरथापुर, जनपद बहराइच के अन्तर्गत ग्राम भरथापुर, तैला गोढ़ी, बरैरिया गोढ़ी नं0 1 व 2 की कुल आराजी 5809.135 एकड़ है। इसमें से 142.820 एकड़ भूमि अन्य काश्तकारों की तथा सलिंग के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित भूमि है तथा 5132.365 एकड़ आराजी वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। इस प्रकार ग्राम सभा की शेष आराजी 533.950 एकड़ होती है। ग्राम सभा की इस आराजी में से 324.370 एकड़ ग्राम सभा की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में जंगल-झाड़ी दर्ज है और इस भूमि पर स्थल पर वन विभाग का कब्जा है। ग्राम सभा की शेष आराजी 209.580 एकड़ पर ग्राम सभा का कब्जा है।

जिलाधिकारी बहराइच को आदेश भेज दिये गये हैं कि इस भूमि पर नियमानुसार ग्राम सभा का कब्जा लेने की कार्यवाही तुरन्त करें तथा दोषी प्रधान, लेखपाल और कानूनगों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही करें।

श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्राम सभा को कब तक कब्जा दिलवा दिया जायेगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

यह जो जंगल विभाग ने कब्जा किया हुआ है, तो ग्राम सभा को शीघ्र कब्जा दिलवा दिया जायेगा।

## ग्राम सोन गांव, पुरवा बदलपुर, जनपद फैजाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़ी गयी आबादी की जमीन पर अनधिकृत कब्जे

*6—श्री राज कुमार राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोनगांव, पुरवा बदलपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा छोड़ी गयी आबादी की जमीन का आवंटन हो चुका है ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार परगनाधिकारी की स्वीकृति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त आबादी की जमीन पर ग्राम के कुछ सरकस लोगों ने अनाधिकार कब्जा कर मकान बना लिए हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'—

भूमि प्रबन्धक समिति ने ग्राम सोनगांव के पुरवा बदलपुर में आवास के लिये सुरक्षित भूमि को 88 व्यक्तियों में आवंटन करने का प्रस्ताव दिनांक 31 जनवरी, 1978 को पारित किया था। उस प्रस्ताव की स्वीकृति परगनाधिकारी से नहीं प्राप्त की गई। फिर भी उक्त 88 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों ने मकान अथवा पशुशाला बना लिया। शेष व्यक्ति पुआल आदि रख कर कब्जा किये हुए हैं। इन काबिज व्यक्तियों में से अपात्र व्यक्तियों के कब्जा हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद को आदेश दे दिये गये हैं।

---

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 5 (नत्थी क) श्री बलवीर सिंह (रामपुर) ने पूछा।

श्री राज कुमार राय--

मन्त्री जी के उत्तर से लगता है कि लगभग इन 88 व्यक्तियों में से सभी ने किसी प्रकार उस पर कब्जा कर लिया है और जो 88 आदमियों को जमीन आवंटित हुई है उस पर एस0 डी0 एम0 की संक्शन नहीं मिली है। उच्च न्यायालय ने लिखा है कि अगर कोई पट्टा निरस्त हो गया या पट्टा कानून की नजर में हुआ ही नहीं तो उनको आटोमेटिकली रेजेक्टेड माना जाएगा, तो यदि यह व्यवस्था है तो इसमें पात्र या अपात्र देखने की क्या बात है ? तो जब किसी का पट्टा हुआ ही नहीं, किसी का प्रापर या पोस्ट पट्टा हुआ ही नहीं है, तो फिर इस तरह से उसको करने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी इसको देखते हुए इन सभी 88 व्यक्तियों को सीमा व समयबद्ध तरीके से बेदखल करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील--

वास्तव में यह पट्टे हैं ही नहीं, परगनाधिकारी की इसमें स्वीकृति नहीं है। जब तक यह न हो जाए वह पट्टा नहीं माने जाते हैं। लेकिन एक प्रस्ताव हुआ और उसके अनुसार उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब नये सिरे से पट्टे होंगे। नये सिरे से पट्टा करते समय जो पात्र हैं वह उसमें शामिल किये जा सकते हैं।

श्री राज कुमार राय--

उत्तर से लगता है कि उन्होंने पात्र को छोड़ दिया है और अपात्र को हो किया है, लेकिन इसमें अब पात्र या अपात्र देखने की क्या बात है। सबकी यथास्थिति है, तो सबको उसमें से हटाकर, जिसको आप पात्र समझते हों पट्टे देने की कृपा करें ? क्या मन्त्री जी इसका पालन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

क्या आप इनके सुझाव पर विचार करेंगे, बता दें ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मैंने पहले ही बता दिया कि यह विधिवत् पट्टे नहीं हैं और अब जब दुबारा होंगे तो यदि इनमें से कोई पात्र है तो उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

यह मेरे क्षेत्र अकबरपुर से सम्बन्धित है। जैसा कि मन्त्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि यह सभी पट्टे स्वीकृत नहीं हुए हैं और पट्टे नियमित भी नहीं हैं। मेरी जानकारी है कि जब पट्टे स्वीकार नहीं हुए हैं और नियमित नहीं हैं तो कौन सी ऐसी कठिनाई शासन को है, जब कि शासन अवैध कब्जेदारों को हटाने का अभियान चला रही है, उन पट्टेदारों को वह वहां से क्यों नहीं हटाना चाहते हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, पट्टे निरस्त करने और कब्जा हटाने के आदेश जा चुके हैं।

## ग्राम सोनगांव, जनपद फैजाबाद में जनता शासन काल में भूमिहीनों को दिए गये पट्टों के विरुद्ध जांच

*7--श्री माधव प्रसाद तथा श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सोनगांव, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद में जनता शासन काल में भूमिहीनों को दिए गये पट्टों के विरुद्ध गत वर्ष 1981 में कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'--

जी हां ।

जांच में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 8 फरवरी, 1979 द्वारा 39 अपात्र व्यक्तियों को दिये गये पट्टों की कार्यवाही अनियमित पाई गई । उपरोक्त सभी आवंटियों के पट्टे निरस्तीकरण हेतु आख्या तहसील कार्यालय अकबरपुर में तैयार की जा रही है ।

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, मंत्री जी ने 5 मार्च को उत्तर दिया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है । आज जो उत्तर दिया गया है उसमें कहा है कि 39 व्यक्तियों को दिए गए पट्टों की कार्यवाही अनियमित पाई गई । मान्यवर, माननीय प्रियदर्शी जेतली को जो उत्तर तहसीलदार ने दिया है उसे मैं पढ़ रहा हूं . . . ।

श्री अध्यक्ष--

आप जो पत्र पढ़ रहे हैं, उसकी कापी तो दीजिए ।

श्री माधव प्रसाद--

श्रीमन्, दे दी है ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो टाइप्ड कापी है, इसको लेकर मैं क्या करूंगा ?

श्री माधव प्रसाद--

मान्यवर, ओरिजिनल कापी दे रहा हूं ।

(इसके उपरान्त श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा श्री अध्यक्ष को पत्र की ओरिजिनल कापी दिए जाने पर)

मान्यवर, यह उत्तर से सम्बन्धित है ।

मान्यवर, तहसीलदार ने लिखा है कि :--

"आप द्वारा टेलीफोन पर हुई वार्ता के क्रम में मुझे आपको सूचित करना है कि ग्राम सभा सोनगांव, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के भूमि आवंटन प्रस्ताव दिनांक 8 फरवरी, 1979 जिसे तत्कालीन

परगनाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, उसकी जांच सु0 का0 महरूआ, श्री बारसनाथ पाल और ना0 त0, श्री गंगा प्रसाद राय द्वारा कराई गई। इनकी आख्या के अनुसार सभी 43 व्यक्तियों के आवंटन अनियमित पाए गए हैं। मुख्य अनियमितता यह रही है कि अधिकांश आवंटियों को 3 बिस्वा से 10 बिस्वा तक भूमि आवंटित की गई थी। स्पष्ट है कि इतनी कम भूमि में कृषि नहीं हो सकती है। इस रकबे में आबादी हेतु आवास स्थल अवश्य बनाये जा सकते हैं। यह प्रस्ताव आवास स्थल हेतु नहीं था बल्कि कृषि कार्य हेतु प्रस्ताव किया गया था।

आवंटन पत्रावली धारा 198 (4) उ0 प्र0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत नोटिस देकर पट्टों के निरस्तीकरण के लिए परगनाधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय, फैजाबाद को भेजी जा रही है।"

यह पत्र 5 सितम्बर, 1981 का है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीनों उत्तरों में कौन सा सही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

उत्तर जो दिया गया उसमें यह है कि जांच कराई गई है और जो पट्टे हुए हैं, वे अनियमित हैं। निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही हो रही है। तहसील कार्यालय में आख्या बन रही है। उसके तहत पट्टे निरस्त कर दिए जायेंगे और फिर बाद में पट्टे दिए जायेंगे।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

मान्यवर, जैसा कि माननीय माधव प्रसाद जी ने कहा कि तहसीलदार द्वारा मुझे 5 सितम्बर, 1981 को लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि 43 पट्टे अनियमित पाए गए थे जिनकी कार्यवाही धारा 198 (4) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधिकारी के पास किया गया। लेकिन जो उत्तर दिया गया उसमें 39 अपात्र व्यक्तियों को पट्टे दिए जाने की बात कही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी सूचना सही है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

43 पट्टे हुए थे लेकिन 4 पट्टे वैध पाए गए। ये भी अवैध हैं क्योंकि उनको बहुत कम जमीन मिली थी। तो यह कहा था कि ये विधिवत् पट्टे नहीं थे। इसलिए 39 पट्टों के निरस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है।

[शुक्रवार, 19 मार्च, 1982 ई0 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

**मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 के अधीन कार्यरत, श्री सी0 एम0 सिंह के विरुद्ध गबन के मामले की जांच तथा अन्य दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही**

*1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0 प्र0 के अधीन कार्यरत श्री सी0 एम0 सिंह,

लिपिक के विरुद्ध रीजनल आडिट आफिसरों ने अनेक शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो किस आधार पर मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 8-1-73 द्वारा श्री सिंह को खजांची का काम सौंपा था ? क्या माह अगस्त, 1975 में खजांची श्री सिंह द्वारा सरकारी धन के गबन का मामला प्रकाश में आया और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो मामले के पूर्ण विवरण क्या हैं ? विभागीय कार्यवाही में कौन-कौन दोषी पाया गया और क्या कार्यवाही हुई तथा उसमें से कौन-कौन किस स्तर से दोष मुक्त किया गया ? पुलिस में लिखाई गई रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है ? क्या दोषी पाये गये किसी कर्मचारी का प्रत्यावेदन शासन के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जी हां । श्री सी0 एम0 सिंह 1961 से 1963 तक जब पिथौरागढ़ जिला कार्यालय में नियुक्त थे तब तत्कालीन क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल ने उनके "अम्बर कैफे" के कारोबार में रुचि लेने की शिकायत की थी । मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के आदेश दिनांक 11-1-73 के अन्तर्गत खजांची का काम सौंपते समय उक्त शिकायतों को लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे । इस बीच उनकी प्रोन्नति भी ज्येष्ठ लिपिक के पद पर हो गई और उनके कार्य एवं व्यवहार में पर्याप्त सुधार परिलक्षित हुए । पूर्व में जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें श्री सिंह की सत्यनिष्ठा के प्रति कोई शिकायत नहीं थी । तदोपरान्त श्री सिंह के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । उनकी चरित्र पंजी में एक भी प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी । इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही श्री सी0 एम0 सिंह को खजान्ची के पद पर तैनात किया गया था ।

जी हां, अगस्त, 1975 में श्री सी0 एम0 सिंह द्वारा सरकारी धन के अपहरण का मामला प्रकाश में आया जिसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई थी । प्रारम्भिक जांच में श्री सिंह को दोषी पाकर इनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की गई । आरोपों के सिद्ध पाये जाने पर श्री सिंह को सेवा से पदच्युत कर दिया गया । पुलिस द्वारा भी श्री सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है । अंतिम सूचनानुसार सबूत के लिए 5-4-82 तिथि लगी है ।

विभागीय कार्यवाही में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाए गए थे जिनके विरुद्ध अंकित विवरण के अनुसार कार्यवाही की गई :--

(1) श्री सै0 हिदायत हुसैन, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (तत्कालीन आहरण वितरण अधिकारी) की चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई । तदुपरान्त शासन के निर्णय के अनुसार श्री हुसैन को असावधानी के लिए सचेत करते हुए उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि आलोपित की गई ।

(2) श्री अब्दुल मजीद, तत्कालीन लेखाकार की चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई ।

(3) श्री मैकूलाल यादव, प्रधान लिपिक को निन्दित किया गया और तदनुसार चरित्रपंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई । शासन द्वारा इनके प्रत्यावेदन पर विचार कर प्रतिकूल प्रविष्टि आलोपित कर चेतावनी में बदल दी गई है ।

(4) श्री ओम प्रकाश, लिपिक को निन्दित किया गया। तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि की गई। शासन द्वारा इनका प्रत्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

(5) श्री एजाज हुसैन, लेखा लिपिक को आरोप पत्र दिया गया और शो काज नोटिस दी गई जिसके विरुद्ध उनके द्वारा माननीय लोक सेवा अधिकरण में याचिका दायर की गई है। माननीय अधिकरण द्वारा स्टे आदेश जारी किया गया। याचिका पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है।

(6) श्री राम गोपाल सिंह, चपरासी के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की गई और उन्हें सेवाओं से पृथक् कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध उनके द्वारा माननीय लोक सेवा अधिकरण में याचिका दायर की गई। माननीय लोक सेवा अधिकरण में श्री सिंह के पक्ष में निर्णय दिया गया। अतः श्री सिंह को सेवा में पुनः स्थापित किया गया।

(7) श्री सी० एम० सिंह के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। साथ ही उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही भी की गई और उन्हें सेवा से पदच्युत कर दिया गया।

श्री सी० एम० सिंह के विरुद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 के अन्तर्गत एक मुकदमा मुन्सिफ हवाली, लखनऊ की अदालत में दायर किया गया है। उपलब्ध सूचना अनुसार इस मामले में 5-4-82 की तिथि सबूत के लिए लगी है। किसी कर्मचारी का प्रत्यावेदन शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, श्री सी० एम० सिंह के विरुद्ध जो आरोप पाए गए वे 10 वर्षों तक बने पड़े रहे और मामले में कुछ नहीं किया गया और इस बीच उनकी प्रोन्नति भी हो गई। जब अगस्त, 75 में यह बात साबित हो गई कि उनके विरुद्ध कार्यवाही होना चाहिए तो किस तारीख को उनके विरुद्ध 409 का मुकदमा दायर किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसका विस्तार से जवाब दे तो दिया है मंत्री जी ने।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, शुरू में जब शिकायतें मिली थीं तो मामूली शिकायतें थीं, लेकिन 8 अगस्त, 1975 को गबन का मामला प्रकाश में आया। उसके बाद 17-8-75 को इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया।

## कोषागार प्रतापगढ़ में दीमक द्वारा क्षतिग्रस्त स्टाम्प तथा कृत कार्यवाही

*2--श्री रियासत हुसेन--

क्या वित्त मन्त्री को यह ज्ञात है कि प्रतापगढ़ के कोषागार में 7 लाख रुपये के जनरल स्टाम्प, जो नवम्बर, 1981 के शुरू में ही खजाने में रखे गये थे, को दीमक खा गयी है और वह प्रयोग के योग्य नहीं रह गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां, कोषागार प्रतापगढ़ में 4 नवम्बर, 1981 को 7,19,000 रु0 के जनरल स्टाम्प बन्द पेटियों में रखे गये थे जो 17 नवम्बर, 1981 को खोले जाने पर दीमक द्वारा क्षतिग्रस्त पाये गये । जांच में पाया गया कि स्टाम्प कोषागार में दीमक द्वारा नष्ट नहीं हुये वरन् प्राप्त होने से पूर्व ही क्षतिग्रस्त थे । क्षतिग्रस्त स्टाम्प को केन्द्रीय स्टाम्प डिपो, नासिक रोड को वापस भेज दिया गया है ।

श्री रियासत हुसेन—

श्रीमन्, यह देखते हुये कि कितना बड़ा मामला है कि 7,19,000 रु0 के जनरल स्टाम्प ट्रेजरी में बन्द पेटियों में रखे गये थे और सिर्फ 13 दिन के अन्दर ही वह सारे के सारे जनरल स्टाम्प खराब हो गये और उन्हें दीमक खा गये तो निश्चित तौर से जिस अधिकारी ने उस जनरल स्टाम्प को रखवाया था उसकी यह जिम्मेदारी थी कि उसको वह देख लेता कि उसका टैम्परेचर क्या है दीमक वगैरह तो नहीं लगी । तो श्रीमन्, इन सारे मामलों को किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, यह दीमक द्वारा नहीं नष्ट हुए बल्कि यह क्षतिग्रस्त पहले से ही थे । इसमें किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं था ।

( व्यवधान )

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, किसी अधिकारी का दोष नहीं था तो दीमक कैसे चाट गये ? दोषी तो कोई न कोई जरूर होगा ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आपने यह तस्लीम किया कि दिनांक 17 नवम्बर, 1981 को खोले जाने पर दीमक द्वारा वह जनरल स्टाम्प क्षतिग्रस्त पाये गये । लेकिन फिर आपने यह कहा है कि स्टाम्प कोषागार में दीमक द्वारा नष्ट नहीं हुए । श्रीमन्, सवाल यह है कि दीमक की वजह से वह खराब हुआ यह सारा प्वाइन्ट जो है यह इन्क्वायरी का बनता है । तो जो इसमें लापरवाही हुई है और लापरवाही के कारण वह जनरल स्टाम्प खराब हुआ तो उस लापरवाही के बारे में जांच करायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, दीमक वहां नहीं खाया प्रतापगढ़ ट्रेजरी में, बल्कि वह प्राप्त होने से पूर्व ही क्षतिग्रस्त थे ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, 7 लाख 19 हजार का स्टाम्प दीमक खा गये, तो उसमें तो किसी न किसी की लापरवाही तो जरूर है ।

श्री अध्यक्ष—

आपसे क्या मतलब यह प्रतापगढ़ का मामला है । आप बैठिये ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, यह हमारे प्रदेश का मामला है और इस मामला 7 लाख 19 हजार का है ....

श्री अध्यक्ष—

माननीय जसवन्त सिंह आप बैठ जाइये। यह कहां का मामला है, आप यह भी नहीं जानते हैं तब आप क्यों खड़े हैं ?

## जालफनगला, जिला रामपुर में भूमि के आवंटन में बरती गयी अनियमितताओं की शिकायतों पर कृत कार्यवाही

*3—श्री बलवीर सिंह (रामपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 2-12-81 का पत्र, जिसमें जालफनगला, तहसील स्वार, जिला रामपुर में भूमि के आवंटन मे बरती गयी अनियमितताओं की शिकायत की है, मिला ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सरजू प्रसाद सरोज—

जी हां।

जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप आवंटन में अनियमिततायें पाई गई। अतः आवंटन निरस्त कर दिया गया है तथा नये आवंटन की कार्यवाही की जा रही है। दोषी पाये गये प्रधान तथा लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, जिन व्यक्तियों ने उस आवंटन की हुई जमीन पर नाजायज कब्जा किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी और आज तक क्या कार्यवाही हुई है और कितने पट्टे किये गये और कितने उसमें से सही पाये गये ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, कोई पट्टे नियमानुकूल नहीं हुए इसलिए वह रद्द कर दिये गये और यह आदेश दे दिये गये हैं कि नये सिरे से पट्टे किये जायें और जहां पर कब्जा का सम्बन्ध है जो अनधिकृत कब्जा है उसको हटाया जायगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, विधायक महोदय का पत्र दिनांक 2-12-81 का है माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने गलती की है उनको सजा दी जायेगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 2-12-81 के पत्र पर अब तक उन दोषी अधिकारियों को सजा न देने का क्या कारण है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, 2-12-81 का मतलब है, अभी पिछले दिसम्बर का वह पत्र है। तो मान्यवर, इसमें अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

अभी 4 महीने ही तो हुए हैं अभी क्या कार्यवाही हुई होगी।

श्री मेंहदी असगर—

मान्यवर, जब से उनको पट्टा दिया गया, तब से उन्होंने उस जमीन को जोता बोया और फायदा उठाया। तो क्या माननीय मंत्री जी उनके ऊपर जुर्माना लगा कर कोई ऐसी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यह पट्टे विधिवत हुये नहीं। कब्जा हो गया है बिना पट्टे के तो यह अवैध है और अपात्र है यदि पात्र है तो नई लिस्ट में शामिल किया जायेगा।

## जनपद बिजनौर एवं मुरादाबाद में वर्ष 1981-82 में कुछ खाण्डसारी कारखानों को पुराने निरस्त लाइसेन्सों के नवीनीकरण एवं कुछ को पेराई क्षमता में विस्तार की अनुमति दिये जाने की नियम एवं शर्तें

*4—श्री राम कृष्ण माहेश्वरी तथा श्री रामहर्ष राय—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर एवं मुरादाबाद में वर्ष 1981-82 में क्या कुछ खाण्डसारी कारखानों को पुराने निरस्त लाइसेन्सों के नवीनीकरण एवं कुछ को पेराई क्षमता का विस्तार करने की अनुमति मिल क्षेत्र चीनी मिल के 16 कि0 मी0 के अन्दर तथा मिल को सुरक्षित क्षेत्र में दी गई है ? यदि हां, तो यह अनुमति किन नियमों एवं शर्तों के अन्तर्गत दी गई है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

## जनपद फैजाबाद के ग्राम भारीडीहा में चकबन्दी विभाग द्वारा की गयी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के विरुद्ध भूतपूर्व विधायक, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

*5—श्री गौरी शंकर भैय्या तथा श्री राम गोविन्द—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की टान्डा तहसील के के ग्राम भारीडीहा में चकबन्दी विभाग द्वारा की गयी गड़बड़ियों और अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप काफी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है ? क्या यह भी सही है कि जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दिनांक 7-1-82 को एक शिकायती-पत्र राजस्व मन्त्री, उ0 प्रदेश शासन को तथा दिनांक 18-1-82 को दूसरा शिकायती-पत्र जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेज कर इस मामले में शासन से अविलम्ब हस्तक्षेप और जांच की मांग किया है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'--

दोनों शिकायती पत्रों पर उप संचालक चकबन्दी (न्यायिक), फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है। ग्राम में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 2-4-80 को हो चुका है उप संचालक चकबन्दी की जांचोपरान्त पायी गयी त्रुटियों एवं अनियमितताओं को नियमानुसार दुरुस्त किया जायगा।

उक्त जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम गोविन्द--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिकायती-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थी जांच को भेजने की तारीख क्या है, जांच की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, उसी वक्त भेज दिया गया है और उप संचालक चकबन्दी जो न्यायिक है फैजाबाद के, वह जांच कर रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। प्रश्न यह था कि जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दिनांक 7-1-82 को एक शिकायती पत्र राजस्व मंत्री को दिया था। श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस पत्र में मुख्य-मुख्य तथ्य क्या हैं और उनकी जांच हेतु किस तारीख को लिखा गया और जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री बैज नाथ कुरील--

जैसा मैंने कहा जांच न्यायिक है वह हो रही है। यह 15-3-82 को भेज दिया गया है। उप संचालक चकबन्दी इसको कर रहे हैं। इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। जब ये सारी त्रुटियां सामने आ जायेगी तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जो पत्र दिया है उस शिकायती पत्र के तथ्य क्या हैं। किस तारीख को जांच के आदेश दिये गये हैं। जांच कब तक पूरी कर ली जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष--

शिकायत क्या है अगर हो तो बता दीजिये।

श्री बैजनाथ कुरील--

जो शिकायती पत्र है वह इस वक्त मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

## गोरखपुर जिले के राज थियेटर नामक छविगृह में आयोजित पूरब पश्चिम नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम को मनोरंजन कर से मुक्त करने का औचित्य

*6—श्रीमती गौरी देवी—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के राज-थियेटर नामक एक छविगृह में 26 जनवरी, 1982 को आयोजित 'पूरब पश्चिम' कार्य-क्रम को मनोरंजन-कर से मुक्त कर दिया गया था ? क्या यह सच है कि उक्त 'पूरब पश्चिम नामक सांस्कृतिक कार्य-क्रम के आयोजन के नाम पर नर्तकियों के भोड़े प्रदर्शन और लाखों रुपये राजस्व चोरी करने तथा आयोजकों द्वारा नागरिकों को धोखा देने के सम्बन्ध में अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी, गोरखपुर को 27 जनवरी, 1982 को कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? और कार्यक्रम को मनोरंजन कर से मुक्त करने का औचित्य क्या था ?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी नहीं । मात्र कार्य-क्रम आयोजित करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गयी थी ।

जी हां ।

मामले में आवश्यक जांच कराई गई और आयोजकों के विरुद्ध पुलिस में भारतीय दन्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखा दी गयी है ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार शास्त्रीय/अशास्त्रीय संगीत व नृत्य के आयोजन मनोरंजन कर से मुक्त हैं । अतएव प्रश्नगत कार्यक्रम को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, इस कार्यक्रम के आयोजन करने का उद्देश्य क्या था ? माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जांच किसके द्वारा कराई जा रही है और क्या तथ्य प्रकाश में आये और इस प्रकार के नग्न और भोड़े प्रदर्शनों पर सरकार रोक लगाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

श्रीमन्, प्रश्न में यह शिकायत थी कि मनोरंजन कर से क्या मुक्त किया गया । वह गलत है । ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मनोरंजन कर नहीं लगता है । लेकिन इसमें यह मालूम हुआ है कि पब्लिक को धोखा दिया गया 420 की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है पुलिस उसपर कार्यवाही करेगी ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट किस के द्वारा लिखाई गई है ? और क्या लिखाई गई है । यह आयोजन कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता ने करवाया था, इसलिये उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है । तो मैं जानना चाहती हूं कि उनको गिरफ्तार न करने का क्या कारण है ?

श्री ब्रह्म दत्त—

मान्यवर, धोखे की शिकायत मिली थी जिसकी जांच की जा रही है। अब यह भोड़ा प्रदर्शन हुआ या नहीं, इसको मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, प्रश्न है कि रिपोर्ट किसने लिखाई और रिपोर्ट क्या है एवं अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

बता दिया कि जांच हो रही है।

ग्राम मालपार, जनपद आजमगढ़ की भूमि का आवंटन एवं जांच

*7—श्री दूधनाथ राजभर (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मालपार, विकास खंड मेहनगर, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ स्थित अराजी नम्बरान 933 व 936 व 1162 व 104 जो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, हरिजनों को आवंटित थी, का फर्जी इन्तकाल श्री बलजोर यादव पुत्र बाबू लाल यादव व सर्वजीत यादव पुत्र कुमार यादव व श्री झांगुर यादव पुत्र वजनू यादव ने अपने हक में करा लिया है ? यदि हां, तो इसकी जांच करा कर उचित कार्यवाही किये जाने के आदेश देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

विकास खंड मेहनगर के अन्तर्गत ग्राम मनपार, तहसील, लालगंज जनपद आजमगढ़ की भूमि संख्या 933, 936 तथा 1162 किसी को आवंटित नहीं किया गया है। किन्तु प्रश्नगत व्यक्तियों के नाम गाटा संख्या 933 व 1162 की कतिपय भूमि में प्रविष्ट हैं। भूखंड संख्या 104 पुराना नम्बर है जिसका कुल क्षेत्रफल 5.350 एकड़ है जो बंजर के खाते में दर्ज है। इसमें से 15 व्यक्तियों को 1.600 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया था जिसका अमल दरामद कागजात में हो गया है।

ग्राम भैरोपुर सरबत खानी, जनपद वाराणसी की सरहद अलग करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

*8—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव भैरोपुर व सरबत खानी, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी की सरहद अलग करने हेतु चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र के साथ 5 अक्तूबर, 1981 को मालमन्त्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 6-10-81 (5-10-81 नहीं) जिसमें ग्राम की सरहद कायम करने एवं चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की गई थी, को चकबन्दी आयुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। चकबन्दी आयुक्त ने उक्त पत्र बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, वाराणसी को इस विषय की जांच कर उचित कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराने हेतु भेजा है। बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी जांच कर रहे हैं।

## ग्राम अहेथा, जिला फैजाबाद के हरिजनों द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्र

*9—श्री लाल प्रताप सिंह, श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री खान गुफरान जाहिदी तथा श्री शेर बहादुर—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख(4-च) के अन्तर्गत ग्राम अहेथा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के हरिजनों ने भूमि प्राप्त करने के लिए 30 जून, 1975 के पूर्व कब्जे के आधार पर कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'—

जी हां।

ग्राम अहेथा, परगना व तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के हरिजनों के 12 प्रार्थना-पत्र प्रश्नगत आशय के प्राप्त हुए। जांचोपरान्त यह पाया गया कि प्रार्थीगण निर्धारित तिथि या उसके पूर्व से गांव सभा भूमि पर काबिज नहीं थे। फलस्वरूप प्रार्थीगण को नियमतः कोई अधिकार दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह वैकेन्ट लैन्ड है ? यदि है, तो क्या व्यवस्था की जायेगी कि भूमिहीन लोगों को पट्टा दिया जायेगा ? दूसरे जांच किसके द्वारा कराई गई है ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जांच नायब तहसीलदार ने किया है। यदि जमीन उपलब्ध है, प्रार्थना-पत्र दिए हैं तो वह भी शामिल किए जायेंगे।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, ग्राम अहेथा, परगना व तहसील, अकबरपुर, विधान सभा क्षेत्र, अकबरपुर से यह सम्बन्धित है। मेरी जानकारी को सत्य मानते हुये कि जिन 12 हरिजनों ने जो प्रार्थना-पत्र जिस नियम के अन्तर्गत दिए थे, वह सचमुच उस नियम के अन्तर्गत पट्टे के हकदार हैं और उनका कब्जा है, तो इसकी जांच क्या मन्त्री जी परगनाधिकारी से करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, प्रश्न है कि क्या यह लोग जून, 1975 से पहले नियमों के अनुसार काबिज थे, उत्तर हुआ कि नहीं, उससे पहले काबिज नहीं थे। इसलिये नियम के तहत उनको अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन दुबारा पट्टे जब विधिवत दिए जाएंगे, उसमें पात्र हैं तो शामिल किए जायेंगे और यदि अपात्र हैं तो हटायेंगे।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या इसकी जांच परगनाधिकारी से करायेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, दुबारा चाहेंगे तो फिर जांच हो जायेगी।

## ग्राम किन्तूर, जिला बाराबंकी के किसानों द्वारा शीघ्र चकबन्दी कराने की मांग

*10—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी अन्तर्गत तहसील फतेहपुर, परगना बदोसराय के गांव किन्तूर की चकबन्दी हेतु धारा 4 चकबन्दी ऐक्ट अन्तर्गत प्रकाशन अन्य 55 गांवों के साथ जून, 1975 में हुआ था, जिनमें से 55 गांवों की चकबन्दी होकर धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है, परन्तु ग्राम किन्तूर में माह जनवरी, 1981 में धारा 20 चकबन्दी ऐक्ट का प्रकाशन होकर अग्रिम कार्यवाही लम्बित है ? क्या वहां के किसानों ने दिनांक 1-4-81 को माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री एक चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को सामूहिक प्रार्थना-पत्र देकर शीघ्र चकबन्दी कराने की मांग की थी ? यदि हां, तो उक्त गांव की चकबन्दी की कार्यवाही लम्बित होने के क्या कारण हैं और वहां चकबन्दी को अन्तिम रूप देने और कब्जा परिवर्तन होने में अभी कितना समय लगेगा ?

श्री सरजू प्रसाद 'सरोज'—

जी हां । ग्राम किन्तूर के चकों का प्रख्यापन चकबन्दी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दिनांक 7-12-80 को हो चुका है । किसानों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-4-81 प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-3-81 प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने गांव की चकबन्दी शीघ्र कराकर कब्जा दिलाने की मांग की है । इस ग्राम की कुछ भूमि चकबन्दी योजना लागू होने के पूर्व अलौनगर पम्प कैनाल योजना के अन्तर्गत अर्जित की गई थी, जिसका प्रतिकर अधिकांश कृषकों को दिया जा चुका है, परन्तु कैनाल योजना के कार्यान्वित न होने के कारण अध्याप्ति की गई भूमि वास्तव में किसानों के कब्जे में रही । उक्त ग्राम में नहर विभाग द्वारा अर्जित की गई भूमि को किसानों के जोत में भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इस भूमि का परित्याग करने की औपचारिकतायें अभी सिंचाई विभाग द्वारा पूरी नहीं की गई हैं । इस ग्राम की स्थगित चकबन्दी, क्रियाओं को पुनः चालू करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, जो उत्तर दिया है, उसमें कहा है कि प्रार्थना-पत्र 31-3-81 को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने गांव की चकबन्दी शीघ्र कराकर कब्जा दिलाने की मांग की है और अन्त में कहा है कि इस ग्राम की स्थगित चकबन्दी क्रियाओं को पुनः चालू करने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि पत्र को प्राप्त हुए एक साल से ज्यादा हो रहा है तो इस दरम्यान इस विभाग ने क्या विचार किया और क्या कार्यवाही को और अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, अलीनगर पम्प कैनाल योजना के तहत जो जमीन ली गई है, वह किसानों के कब्जे में है । सिंचाई विभाग उस पम्प कैनाल योजना को ड्राप कर चुका है । तो हमारा विभाग सिंचाई विभाग से वह जमीन वापस लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि उस जमीन पर जब चकबन्दी आरम्भ हो तो उसे भी शामिल

कर दिया जाय । मैं स्वयं उस गांव में गया था और इस प्रयत्न में हूं कि यह व्यवस्था जल्दी कर दी जाय ताकि किसानों की मांग पूरी की जा सके ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जैसा मन्त्री जी ने बताया कि वह जमीन पम्प कैनाल योजना के नाम दर्ज है । मान्यवर, गांव में करीब 4 हजार प्लाट हैं । उसमें 75 ऐसे लोगों के प्लाट हैं, जिनका आंशिक भाग नहर के रकबे में है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां दफा 20 की कार्यवाही हो चुकी है तो ऐसे चकों को क्या बिना चकबन्दी कराये कब्जा दिला देंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, जो लोग इससे प्रभावित हैं, करीब 122 लोग हैं तो उन लोगों ने यह कहा था कि यह जमीन सिंचाई विभाग से वापस ले ली जाय और चकबन्दी में शामिल किया जाय । इसलिए इसको रोक दिया गया था, चकबन्दी वहां एबन्डन नहीं की गई है । इसके ऊपर अब फिर कार्यवाही की जायगी ।

श्री राम सागर—

मान्यवर, इस किन्तूर गांव में चकबन्दी कराने जा रहे हैं तो उस गांव में किस-किस श्रेणी की कितनी भूमि है, उसका विवरण मैं चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह अलग से प्रश्न है, इससे सम्बन्धित कहां है ?

## बिक्रीकर जांच चौकी नौबतपुर, जनपद वाराणसी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध बिक्री-कर की चोरी के सम्बन्ध में श्री राम गोकुल सिंह के शिकायती-पत्र पर की गई कार्यवाही

*11—श्री केदार नाथ सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बिक्री-कर जांच चौकी नौबतपुर, जनपद वाराणसी में सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही प्रतिदिन लगभग 5 लाख रुपये बिक्री-कर की चोरी के सम्बन्ध में श्री राम गोकुल सिंह, पिटीशन्स, आफिसर मुख्य मन्त्री निवास ने नवम्बर, 1981 के द्वितीय सप्ताह में बिक्री-कर आयुक्त, उ0 प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां । शिकायत की जांच की गई । नौबतपुर चेकपोस्ट की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं ।

*12—श्री जयदीप सिंह—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## सतर्कता विभाग में विद्युत् विभाग के इंजीनियरों के विरुद्ध करोड़ों रुपये की हेरफेर की रिपोर्ट एवं उस पर कृत कार्यवाही

*13—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता विभाग, उ0 प्र0 ने सन् 1980 में विद्युत् विभाग के 35 इंजीनियरों के विरुद्ध 65 करोड़ रुपये की हेरफेर की रिपोर्ट शासन को दी है ? यदि हां, तो उन इंजीनियरों के क्या-क्या नाम हैं और वे इस समय किस-किस पद पर कार्यरत हैं ? शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

जी नहीं । सतर्कता विभाग उत्तर प्रदेश ने सन् 1980 में विद्युत् विभाग के 35 इंजीनियरों के विरुद्ध 65 करोड़ रुपय के हेरफेर की कोई भी रिपोर्ट शासन को नहीं दी है । शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, इस प्रश्न का जवाब देने के लिये एक वर्ष शासन ने पूरा लिया है । मान्यवर, एकाउन्टेंट जनरल, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट 70-71 के पैरा 112(ए) पर पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी उत्तर प्रदेश ने सन् 1974-75 में 58 इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंड इंजीनियर्स के विरुद्ध गम्भीर मामलों की एक रिपोर्ट शासन को दी थी । उस रिपोर्ट के आधार पर शासन ने विजीलेंस को जांच के लिये आदेश दिया था । तो मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि उन 58 इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिन्टेंडेंट इंजीनियर्स के नाम क्या हैं । शासन को विजीलेंस की रिपोर्ट कब प्राप्त हुयी, क्या चार्ज थे और क्या कार्यवाही हुयी है ।

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, 1974-75 में सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के अनुच्छेद 112(क) में इनकी संस्तुतियां की थीं और उसके उपरांत शासन ने सतर्कता विभाग को दे दिया और सतर्कता विभाग से रिपोर्ट आयी है । तो उस पर कार्यवाही की गयी और सभी इंजीनियर्स के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

श्री हुकम सिंह—

अभी माननीय मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि 35 इंजीनियरों के विरुद्ध 65 करोड़ रुपये के हेर-फेर की कोई रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 1980 में इंजीनियरों के विरुद्ध सतर्कता विभाग की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई ? यदि हां, तो कितने इंजीनियरों के विरुद्ध प्राप्त हुई और कितने रुपये के हेर-फेर का मामला है ?

श्री सुनील शास्त्री—

35 के विरुद्ध नहीं बल्कि 59 के विरुद्ध थी और 65 करोड़ नहीं था बल्कि 3 करोड़ 44 लाख 99 हजार रु0 की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अपने पहले के उत्तर के सन्दर्भ में, जिसमें यह कहा गया है कि सबके विरुद्ध कार्यवाही की गयी, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सतर्कता विभाग की जो रिपोर्ट आपके विभाग को प्राप्त हुई थी, उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं ? किन-किन के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? और उनका एक्जीक्यूशन हो गया या नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री—

सभी इन्जीनियरों के विरुद्ध अलग-अलग आरोप थे और परचेजेज के बारे में अधिक थे, 2 को डिसमिस किया था और बाकी के विरुद्ध प्रोसीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वगैरह को केसेज सुपुर्द किये गये हैं ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 59 इंजीनियरों के विरुद्ध सतर्कता विभाग को जांच सौंपी गयी और सतर्कता विभाग ने उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस जांच रिपोर्ट में ऐसे कितने इंजीनियर्स थे, जिनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन की संस्तुति सतर्कता विभाग या शासन ने की थी और परिषद् ने कितने इंजीनियर्स के विरुद्ध कार्यवाही की ? शासन द्वारा कितने इंजीनियर्स ऐसे थे जिनके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही का निदेश दिया गया था, लेकिन विद्युत् परिषद् ने कितने के विरुद्ध कार्यवाही की ?

श्री सुनील शास्त्री—

इस सम्बन्ध में 28 अधिकारियों के विरुद्ध प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही की गयी, उसके साथ-साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी दिया गया और बाकी जिनके बारे में भी सतर्कता विभाग ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है, उसमें मामला समाप्त नहीं हुआ है, जिसमें भी आवश्यकता पड़ेगी, प्रोसीक्यूशन के लिये भेजे जायेंगे ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि शासन द्वारा कितने अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही का निदेश था, लेकिन विद्युत् परिषद् ने कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की और बाकी के विरुद्ध क्यों नहीं की ?

श्री सुनील शास्त्री—

मैंने बताया 28 के विरुद्ध कर दी गयी है और बाकी का विचाराधीन है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि 59 इंजीनियरों के खिलाफ सार्वजनिक उपक्रम समिति की शिकायत थी, तो 59 में से कितनों को दोषी पाया गया, कितनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये संस्तुति थी और कितनों के खिलाफ क्रिमिनिल प्रोसीक्यूशन था ? और कितनों पर चलाया गया ?

श्रीसुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि 28 के विरुद्ध प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी है, उनके विरुद्ध रिकवरी भी की गयी, सभी कार्यवाही की जा रही है और बाकी जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही चल रही है । कार्यवाही में रुकावट नहीं है, जैसे-जैसे केसेज आ रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी सन्तुष्ट हैं, वे स्वयं और इसकी जांच कर लें कि आडीटर जनरल और पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी की रिकमेण्डेशन के ऊपर और आखिरी विजिलेन्स के आधार पर जिन 59 आफीसर्स (इंजीनियर्स) के खिलाफ विजिलेन्स ने एक्शन लेने की रिकमण्डेशन की, उसी के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है या उससे इधर-उधर हटकर मामले को साइड ट्रेक करने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सुनील शास्त्री--

जो सतर्कता विभाग ने रिपोर्ट दी है, उसी के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि 23 इंजीनियर्स के विरुद्ध प्रोसीक्यूशन की कार्यवाही की जा रही है । इन 28 में से कितनों के विरुद्ध अभी तक चार्जशीट न्यायालय में दी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो इनवेस्टीगेशन किस स्टेज पर है ?

श्री सुनील शास्त्री--

प्रोसीक्यूशन में है, पूरी जानकारी के लिये आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जो 59 इंजीनियर हैं, उसमें कितने अधिशासी अभियन्ता हैं, कितने सहायक अभियन्ता हैं, कितने सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर हैं, इसका विवरण देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

हो गया प्रश्न । इस पर अब काफी प्रश्न हो चुके हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, विधान सभा में जवाब देने पर दो चीजें सामने आयीं--एक उत्तर प्रदेश का सतर्कता विभाग और दूसरा विद्युत् सेल का सतर्कता विभाग । उत्तर प्रदेश के सतर्कता विभाग ने जब जो रिपोर्ट दी तो विद्युत् विभाग ने अपने सतर्कता विभाग से छानबीन कराके कार्यवाही कराने की बात कही । माननीय जैतली साहब का प्रश्न संख्या 8 पिछले सत्र में था जब डी० आई० जी०, विद्युत् सेल ने इंजीनियर के खिलाफ रिपोर्ट दे दी थी तो उसको न मानकर सतर्कता विभाग को दे दिया गया था । सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि उनका विभाग क्या एक स्पष्ट नीति अपनायेगा कि या तो सतर्कता विभाग को मान लें या अपने विभाग को ले लें ?

श्री सुनील शास्त्री--

मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि सतर्कता विभाग के ऊपर विद्युत् परिषद् का सतर्कता विभाग फिर से देख रहा है। शासन के सतर्कता विभाग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर कार्यवाही की जा रही है और जो अधिक इन्क्वायरी है उसकी जांच विद्युत् विभाग के अधिकारीगण कर रहे हैं।

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### विधान परिषद् को समाप्त किये जाने पर विचार

**1--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री श्यामसूरत उपाध्याय, श्री राम औतार दीक्षित, श्री विमल प्रसाद तिवारी, श्री रामकुमार भार्गव, श्री सुरेन्द्र प्रताप नारायण श्री ज्ञान गुफरान जाहिदी, श्री ओम प्रकाश जिन्दल, श्री सतीश अजमानी, श्री कमला प्रसाद सिंह, श्री कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री अमरनाथ सिंह--

क्या संसदीय कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन विधान परिषद को समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने सन् 1968 में केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव पास कर विधान परिषद् भंग करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

विधान परिषद् को समाप्त करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1970 में संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उत्सादित करने का एक संकल्प तत्कालीन विधान सभा द्वारा पारित किया गया था पारित किये गये संकल्प की सूचना विधान सभा सचिवालय द्वारा लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को भेज दी गयी थी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में दो हाउस हैं। हम लोग सीधे जनता से चुनकर आते हैं और वहां कुछ लोग बैकडोर से चले आते हैं। यह अन्याय हम लोगों के साथ होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश का कार्य एक ही हाउस से चल जाता है तो उत्तर प्रदेश जैसे गरीब प्रदेश के लिये दूसरे हाउस पर खर्च किया जाना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष--

आपके इस प्रश्न का पूरा उत्तर आ चुका है कि विधान परिषद् को समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है, तो अब दूसरा उत्तर वे क्या बतावेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 169.....

---

नोट तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, यह संविधान का मामला है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, इसमें जितने माननीय सदस्यों ने रुचि लेकर प्रश्न किया है मैं पहिले उनको अवसर देना चाहता हूं, उसके बाद ही आप खड़े हों ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, ये हाउस में अकेले बैरिस्टर हैं, इसलिये इनको तो मौका दे ही दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आप लोगों की भावनाओं का ध्यान रखूंगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल --

मान्यवर, जब 1970 में संविधान के अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत विधान परिषद् को निरस्त करने का प्रश्न उठा था तो यहां से उसे राज्य सभा और लोक सभा को भेजा गया था । आज 1970 से 82 हो गया, 12 वर्ष हो गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन 12 वर्षों के बीच शासन ने क्या कोई प्रस्ताव या रिमाइन्डर वहां इस तरह का भेजा है कि अभी तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ? यदि नहीं लिखा है, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, एक पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा 23 जुलाई, 1970 को लिखा गया था, उसके बाद मान्यवर, एक पत्र फिर 28 अप्रैल, 1978....

श्री रियासत हुसैन--

उसमें लिखा क्या था आपने ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो संकल्प पास हुआ था उसी के आशय का लिखा था । तो मान्यवर, 28 अप्रैल, 1978 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह पत्र लिखा गया, उसमें लिखा गया कि "पूर्व इसके कि इस प्रदेश के महाधिवक्ता की राय प्राप्त की जाय, मैं आभारी हूंगा यदि आप कृपया शीघ्र ही यह सूचित करने का कष्ट करें कि वर्ष 1970 में पारित उक्त संकल्प पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी और उसकी वर्तमान संवैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में क्या केन्द्र में एटार्नी जनरल की कोई राय ली गयी थी । मैं आभारी हूंगा यदि आप कृपया सम्पूर्ण संवैधानिक स्थिति केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही, तथा एटार्नी जनरल की राय (यदि कोई हो) से मुझे अवगत कराने का कष्ट करें ।"

मान्यवर, जब यह संकल्प पास हो गया तो वह राज्य सभा और लोक सभा को आपके सचिवालय द्वारा भेज दिया गया । उसके बाद 1978 में एक पत्र भेजा गया तब 15 जून, 1978 को तत्कालीन केन्द्रीय न्याय मंत्री जी ने एक पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री के नाम से भेजा जिसमें उन्होंने यह लिखा कि "1970 के पश्चात् जो राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं उनको देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के जिस संकल्प में राज्य की विधान परिषद् उत्सादित करने के लिये सिफारिश की गयी थी उसके पारित करने के पश्चात् एक लम्बा समय बीत गया है । सावधानी इसी में होगी कि उस संकल्प के आधार पर कोई कदम आगे न बढ़ाया जाय बल्कि यदि ऐसा आशय हो कि विधान परिषद् उत्सादित की जाय तो उसके उत्सादन के लिये राज्य विधान सभा द्वारा एक दूसरा संकल्प अनुच्छेद 169 के रूप में पारित कराया जाय । यह कार्यवाही मान्यवर, हमारे यहां हुई है ।

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब संविधान के तहत सारे वित्तीय अधिकार इस सम्मानित सदन में निहित हैं, उसको देखते हुए विधान परिषद् की क्या आवश्यकता है ? और हिन्दुस्तान के किन-किन प्रदेशों में विधान परिषद् को समाप्त कर दिया गया है और यह भी बतला दें कि इस पर प्रतिदिन क्या खर्च आता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो बड़ा व्यापक प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसके तीन हिस्से हैं । पहला हिस्सा यह है कि यहां दो सदन की क्या आवश्यकता थी ? यह संविधान में दिया हुआ है और जिस समय कांस्टीट्यूशन बना, उस वक्त भी और सन् 1935 तक के इतिहास को अगर देखा जाय और जिस बेसिस पर बना ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी सिस्टम के ऊपर वहां भी दो सदन हैं और यह सिर्फ भारत वर्ष में ही नहीं, बल्कि विश्व के कई मुल्कों में दो सदन हैं । और दो सदनों की आवश्यकता इस-लिये समझी गयी कि यह एक तरह से ऐडवाइजरी बाडी का काम करती है । अगर कोई महत्वपूर्ण फैसला होता है तो उसको दोबारा देखा जा सकता है दूसरे सदन द्वारा । यह एकडेमिक डिस्कशन है जिसके विषय में कई घंटे तक बातचीत की जा सकती है । उस पर मैं नहीं जाऊंगा लेकिन यहां पर जैसी परम्परा कायम रही है, दो सदनों की व्यवस्था यहां की गयी और इसको बहुत से स्कालर ने यहां तक कि विंस्टन चर्चिल ने भी हाउस आफ कामन्स में इसको डिफेंड किया है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने तो इसे बहस का विषय बनाकर इस पर बहस छेड़ दी ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

अब मैं प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आता हूं कि कहां-कहां पर हैं। आंध्र में दो, असम में एक, बिहार में दो, गुजरात में एक, हरियाना में एक, केरल में एक, मध्य प्रदेश में एक, तमिलनाडु में दो और कर्नाटक में एक हैं।

(व्यवधान)

श्री दामोदर शर्मा--

मान्यवर, विधान परिषद् में आने के लिये विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी उनमें से शिक्षक कांस्टीटुएंसी और ग्रेजुएट्स कांस्टीटुएंसी को खतम करने की व्यवस्था करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

माननीय मंत्री जी ने अभी स्वयं बतलाया है कि बहुत सी जगह एक ही सदन के काम चल रहा है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश में एक सदन से काम क्यों नहीं चल सकता ? साथ ही यह भी बतलावें कि विधान परिषद् पर प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री सतीश अजमानी--

श्रीमन्, वर्तमान में किस तरह से असन्तुष्टों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या सरकार इसके बारे में विचार कर रही है कि उसकी संख्या और बढ़ा दी जायेगी ? मान्यवर, मेरा प्रश्न है उसका उत्तर तो दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है तो क्या आप ही सवाल करेंगे और कोई नहीं करेगा ?

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी इस माननीय सदन के सम्मान को सामने रखते हुए जो प्रश्नकर्ता लोग हैं उसमें आपकी ही पार्टी के सम्मानित सदस्य और अधिकारी-गण हैं तो जो कठिनाइयां आपने बतलाईं पत्र पढ़कर, उन कठिनाइयों को दूर करके और इस काउन्सिल को समाप्त करने की ओर अग्रसर होने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मंत्री जी ने जो बताया वह कानून मंत्री की राय आई है। यह इस सदन के ऊपर निर्भर करता है कि इस पर पुनर्विचार करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, एक प्रश्न मुझे कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

यह क्या बात है कि हर प्रश्न पर आप खड़े हो जाते हैं। आप बैठिए।

श्री रियासत हुसैन --

क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस माननीय सदन का सम्मान रखते हुए और जो प्रश्नकर्ता लोग हैं जो आपके लेजिस्लेचर पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं, आपने जो कठिनाइयां बताई क्या उन कठिनाइयों को दूर करके विधान परिषद् को समाप्त करने की तरफ अग्रसर होने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो प्रश्न है उसका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप में सम्मानित सदस्य को दिया गया है। उसमें कहा जा चुका है कि विधान परिषद् को समाप्त करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। किसी वक्त भी कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो शासन का दिमाग खुला हुआ है और किसी भी समय हर प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री फखरे आलम--

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि 23 जुलाई, 1970 को यह लिखा गया कि विधान परिषद् को एबालिश किया जाय और उसके बाद 1970 से 1978 तक कोल्ड स्टोरेज में रखा रहा। आर्टिकिल 168 और 169 कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया में यह शब्द है कि "मे एबालिश" और 368 इस पर एप्लीकेबल नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए और रिजोल्यूशन से अपर हाउस को फौरन एबालिश करा देंगे जिस तरह कि पंजाब और बंगाल ने 4 महीने में पास करा दिया था।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहूंगा कि यह जुलाई में नहीं बल्कि 29 अप्रैल, 1970 को पास हुआ था। मान्यवर, दूसरी चीज जो माननीय फखरे आलम साहब ने कही है, वह कांस्टीट्यूशन के बहुत अच्छे स्कालर भी हैं और उन्होंने 169 का हवाला दिया है उसके अन्दर मे को शैल बनाया है। मैं उसी को पढ़ना चाहूंगा।

नाट विद स्टेंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकिल 168 पार्लियामेन्ट मे बाई ला प्रोवाइड फार दि एबौलिशन आफ लेजिस्लेटिव कौंसिल आफ ए स्टेट हैविंग सच ए कौंसिल भार दी क्रियेशन आफ सच ए कौंसिल इन ए स्टेट हैविंग नो सच कौंसिल।

एबोलिशन आफ आर क्रीयशन आफ लेजिस्लेटिव कौंसिल इन स्टेट्स

यानी एबोलिशन करना या नई लेजिस्लेटिव काउन्सिल स्टेट में बनाना

मान्यवर, दोनों चीजें कही गयी हैं—बना भी सकते हैं और एबोलिश भी कर सकते हैं। अगर 'मे' के अर्थ का "शैल" लिया गया तो बनाना भी पोजेटिव हो जायगा। उसमें "शैल" करना पड़ेगा। यह कहना कि कान्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 169 में 'मे" को "शैल" इन्टरप्रीट किया जाय यह तो वकीलों का काम है जिस तरह इन्टरप्रीट करें। इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण, इस पर 15 मिनट हो चुके हैं, अब दूसरा प्रश्न..

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

इस पर एक दिन की चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा प्रश्न ले लिया है । आप नियमों को जानते हैं । नियम 49 के अन्तर्गत आप प्रार्थना-पत्र दें । देखेंगे ।

## प्रदेश में कट्टर साम्प्रदायिक व घोर प्रतिक्रियावादी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार

**2--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सभी सम्प्रदायों में सद्भाव व सौहार्द्र स्थिर करने तथा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कट्टर साम्प्रदायिक व घोर प्रतिक्रियावादी संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो ऐसे संगठन कौन-कौन से हैं ?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

जी नहीं ।

किसी संगठन विशेष की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह--

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि हमारे प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी संगठन काम कर रहा है ? यदि कर रहा है तो कौन-कौन से साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादी संगठन हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

यहां जो प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक संगठन हैं माननीय सदस्य को अवश्य मालूम होगा । शासन जिनको साम्प्रदायिक या प्रक्रियावादी समझती है उन पर नजर रखे है लेकिन अब तक जो स्थिति आई है कोई दोषी नहीं पाया गया ।

श्री हुकम सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सरकार को जानकारी है और कुछ संगठनों पर नजर रखी है । वे प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक संगठन कौन-कौन हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

लोगों के नजर नजर में फर्क होता है । जिनको प्रतिक्रियावादी मानते हैं कभी-कभी कहते हैं दूसरे प्रतिक्रियावादी हैं । शासन किसी संगठन को अपनी तरफ से प्रतिक्रियावादी नहीं मानता ।

श्री रियासत हुसैन--

विषय की गम्भीरता को देखते हुये और प्रदेश के अन्दर समय-समय पर कानून रायट्स को सामने रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार

करेंगे कि कोई हाई पावर कमेटी या कमीशन ऐसा नियुक्त करेंगे जो इस बात की जांच कर सके कि कौन-कौन सी पार्टी या कौन-कौन से पालिटिकल या नान-पालिटिकल संगठन ऐसे हैं जो कम्युनल आधार पर काम करते हैं ताकि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही की जा सके ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय सदस्य का सुझाव और प्रश्न बहुत ही उचित और गम्भीर है । इसके बारे में शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, कई बार साम्प्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने और सूचना विभाग के मंत्री ने अपनी-अपनी बातें कहीं हैं और उसमें उर्दू का जिक्र करके उन्होंने यह कहा है कि इसको सरकारी जबान साम्प्रदायिक सद्भावना बढ़ाने के लिए बना दिया जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो वरिष्ठ मंत्रियों ने जिन्होंने केबिनट की मीटिंग में मुखालिफत की थी और साम्प्रदायिक सद्भाव को कायम रखने के लिए कोई तर्क नहीं दिया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या इन दो मंत्रियों का अन्दरूनी संगठनों से कोई ताल्लुक है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय । अगर मंत्री जी का मामला है तो क्या उत्तर नहीं आयेगा ?

श्री अध्यक्ष--

अगर समय समाप्त नहीं होगा तो मंत्री ही नहीं मुख्य मंत्री का भी मामला हो तो भी आयेगा । आप बैठिये ।

## अतारांकित प्रश्न

### राज्य ट्रान्सपोर्ट, सहारनपुर का तहसील सदर सहारनपुर पर बकाया धन तथा वसूली हेतु कृत कार्यवाही

1--श्रीमती विमला राकेश--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य ट्रान्सपोर्ट, सहारनपुर की एक लाख रुपए की रिकबरी तहसील सदर सहारनपुर के यहां दो साल से पेंडिंग है ? यदि हां, तो उसकी वसूली तथा अन्य कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बैजनाथ कुरील--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

---

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

## पिथौरागढ़ जनपद में गत वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

2—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद में गत वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए इस योजना को त्वरित गति देने पर विचार करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री—

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1980–81 के दौरान सात हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1981–82 के दौरान बयासी ( 82 ) हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके विपरीत दिसम्बर, 1981 के अन्त तक पैंतीस (35) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

## टांडा नगर, जनपद फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य करने के सम्बन्ध में शासनादेश

3—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि मकान किराया भत्ता के शासनादेश में पचास हजार (50,000) या अधिक की जनसंख्या वाले नगरों की सूची में टांडा नगर, जनपद फैजाबाद का नाम जोड़ने का प्रश्न वित्त विभाग के अन्तर्गत 1981–82 से विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

कुछ अन्य नगरों के साथ टांडा नगर, जनपद फैजाबाद में कार्यरत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य करने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है ।

## किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सुल्तानपुर के परियोजना अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा क्रय समिति के विरुद्ध प्रधान प्रबन्धक को दिया गया शिकायती–पत्र

—श्री खैरुल बशर तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सुल्तानपुर (अवध) के परियोजना अधिकारी (श्री राजेन्द्र सिंह) ने प्रधान प्रबन्धक को पत्र संख्या 523–ई0 एस0 एम0/81–82, दिनांक 14–1–82 द्वारा शिकायत की कि 12–1–82 को चार तुलनात्मक प्रपत्रों पर संस्तुति के लिए उन पर दबाव डाला गया एवं क्रय समिति द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

## मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) कार्यालय, लखनऊ द्वारा पाण्डुलिपिक को अनियमित रूप से मुख्य सहायक के पद पर प्रोन्नति तथा विद्युत जोन, नैनीताल में वैयक्तिक सहायक का रिक्त पद

5--श्री अशफाक अहमद अन्सारी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत्) कार्यालय, लखनऊ द्वारा एक वरिष्ठ पाण्डुलिपिक को, जो कि ज्येष्ठता में कनिष्ठ है कि वर्ष 1979 से अनियमित रूप से मुख्य सहायक (मुख्य अभियन्ता संवर्ग) के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है ? जबकि उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रोन्नत नहीं किया गया हैं ? इसके अतिरिक्त एक पद वैयक्तिक सहायक (लिपिक वर्गीय) का गत लगभग एक वर्ष से विद्युत् जोन, नैनीताल में रिक्त रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुनील शास्त्री--

जी नहीं। जब श्री वी0 पी0 श्रीवास्तव को वर्ष 1979 में चयनोन्नति प्रक्रिया के अनुसार मुख्य सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया था, तब वे तत्कालीन लागू निर्णय के अनुसार ज्येष्ठ थे। बाद में इस सम्बन्ध में पुनर्विचार किया गया और विलम्बतम निर्णय के अनुसार अब वे कनिष्ठ हो गये हैं।

जहां तक विद्युत् जोन, नैनीताल में रिक्ति भरने का सम्बन्ध है मामला विभागीय चयन समिति के समक्ष विचाराधीन है।

## जिला सुल्तानपुर में सरकारी चीनी मिल की स्थापना

6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुल्तानपुर में एक सरकारी चीनी मिल खोले जाने हेतु योजना बनी थी और उसके शेयर भी बेचे गये थे ? यदि हां, तो अब तक चीनी मिल न खोले जाने का क्या कारण है ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

इस चीनी मिल की स्थापना कार्य तभी प्रारम्भ कर दिया गया था और उस हेतु एक अनुबन्ध भी त्रिवेणी इन्जीनियरिंग वर्क्स लि0 से कर लिया गया था। वित्तीय संस्थानों ने योजना की संदेहास्पद लाभ सम्भावना के दृष्टिकोण से ऋण के प्रार्थना-पत्र को प्रयास करने पर भी बहुत समय तक अन्तिम नहीं किया और तत्पश्चात् भारत सरकार इन्सेन्टिव स्कीम निष्प्रभावी हो जाने के कारण योजना का क्रियान्वयन रोक देना पड़ा। इन्सेन्टिव स्कीम पुनः लागू होने पर त्रिवेणी इन्जीनियरिंग वर्क्स ने विवाद प्रस्तुत किया और अब उनसे अनुपूरक अनुबन्ध भी कर लिया गया है। मिल का निर्माण कार्य चालू है और पेराई सत्र 1983-84 में उत्पादन प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

## मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतों के अधीन लेखा परीक्षक के पद पर अयोग्य कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

7—श्री शिव नरेश—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन के आदेश संख्या आडिट 1438-10-308 (6)-79, दिनांक 20-4-81 के अन्तर्गत मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतों के अधीन कार्यरत नियमित अस्थायी नैत्यिक लिपिकों को लेखा परीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा तदर्थ नियुक्ति के स्पष्ट आदेश के विरुद्ध अयोग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

शासन के अ0 श0 पत्र संख्या आडिट-1438/दस-308 (6)-79, दिनांक 20-4-81 के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत लिपिकों को तदर्थ नियुक्ति लेखा परीक्षक के पद पर करने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे। निर्देशों के अनुरूप लिपिकों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करके उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अंक देते हुए योग्यता सूची बनवाई गई थी और इस सूची के आधार पर लिपिकों में से लेखा परीक्षक के पद पर तदर्थ नियुक्तियां की गई थीं।

यह सत्य नहीं है कि लेखा परीक्षक के पद पर किसी अयोग्य लिपिक कर्मचारी की तदर्थ नियुक्ति की गई।

8—श्री शिव नरेश—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि नियुक्ति परिपत्र की सूची के क्रमांक 4 पर नियुक्त करने हेतु विलम्ब किया गया क्योंकि रिक्ति के समय वह वांछित शैक्षिक योग्यता को पूर्ण नहीं करते थे और नियुक्ति के समय वह अल्पकालिक अवकाश रिक्त में ही कार्यरत थे ? इसी भांति क्रमांक 2 श्री गोपाल नारायण श्रीवास्तव जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है तथा क्रमांक 6 पर श्री राम नरायन को चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि रहते हुए भी नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त—

नियुक्ति आदेश संख्या सी-73, दिनांक 21-7-81 के क्रमांक 4 पर श्री नीरज कुमार का नाम है। श्री नीरज कुमार वर्ष 1980 में स्नातक हो चुके थे जो लेखा परीक्षक के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है। अतः यह कहना कि लिपिक कर्मचारियों की लेखा परीक्षक के पद पर तदर्थ नियुक्तियां करने में श्री नीरज कुमार के कारण विलम्ब किया गया, सत्य नहीं है।

यह भी सत्य नहीं है कि श्री नीरज कुमार की नियुक्ति लिपिक पद पर अवकाशकालीन रिक्ति में थी।

क्रमांक 2 पर उल्लिखित श्री गोपाल नारायन श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु जांच अधिकारी वर्ष 1979 में नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 3-4-80 में अवगत किया था कि श्री गोपाल श्रीवास्तव के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव में आरोप-पत्र निर्गत करना उचित नहीं होगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा

यह भी ध्यान में रखते हुये कि श्री गोपाल नारायन श्रीवास्तव के विरुद्ध अभी तक कोई आरोप-पत्र निर्गत नहीं किया गया है उनकी चरित्र पंजिका व शैक्षिक योग्यता के आधार पर चयन समिति ने उनको लेखा परीक्षक के पद पर तदर्थ नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया । लेखा परीक्षक के पद पर तदर्थ नियुक्तियां विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर की गई थी । समिति ने कर्मचारियों की चरित्र पंजिकाओं पर भी विचार संस्तुति के पूर्व किया था । क्रमांक 6 पर श्री रामनारायन तिवारी को समिति ने योग्य पाया था इसी आधार पर उन्हें नियुक्ति दी गयी चूंकि उक्तानुसार कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

## यू0 पी0 कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन, 1950 के अन्तर्गत अस्थायी कर्मचारियों का विनियमितीकरण

7—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन, 1950 के मुताबिक जो अस्थायी कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक कार्य करते आ रहे हैं उन्हें रेगुलर करने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

यू0 पी0 कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन 1950 के स्थान पर अब यू0 पी0 केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन्स 1975 लागू है जिसके विनियम 40 में सीजनल स्टाफ को ही उक्त विनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत रेगुलर करने का प्राविधान है, तदनुसार रीजनल केन सर्विस अथारिटी द्वारा समय समय पर कार्यवाई की जाती है ।

## साहू हरसराय, निवासी बिलारी के परिवार द्वारा अपनी जमीन की सीलिंग में भारी गड़बड़ी कराये जाने सम्बन्धी तथ्यों पर आधारित जांच हेतु धर्मवीर सिंह व राजपाल सिंह का शिकायती-पत्र

17—श्री अकबर हुसैन—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि माह नवम्बर, 1981 में आयुक्त, मुरादाबाद को साहू हरसराय, निवासी बिलारी के परिवार द्वारा अपनी जमीन की सीलिंग में भारी गड़बड़ी कराये जाने सम्बन्धी तथ्यों पर आधारित जांच हेतु धर्मवीर सिंह व राजपाल सिंह का शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बैजनाथ कुरील—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र आयुक्त मुरादाबाद मंडल को नहीं मिला ।

## दि किसान सहकारी मिल, रसड़ा द्वारा किसानों के बकाये रुपये का भगतान

11--श्री राम गोविन्द, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही तथा श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा पर किसानों का कितना रुपया 26 जनवरी, 1982 को बकाया है ? उसको अदा न किये जाने का क्या कारण है ? तथा बकाया रुपया का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा--

26 जनवरी, 1982 को पेराई सत्र 1981-82 का किसानों का 24.07 लाख रुपया बकाया था जिसका भुगतान कर दिया गया है ।

उक्त तिथि को गत वर्षों का 46,000 रुपया बकाया था जिसका भुगतान सम्बन्धित कृषकों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं किया जा सका है ।

## मिर्जापुर जनपद के ब्लाक दुद्धी, म्योरपुर और बभनी में विद्युतीकरण

12--श्री विजय सिंह--

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 111, दिनांक 22 जनवरी, 1982 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक दुद्धी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें कौन से सात गांवों तथा म्योरपुर और बभनी ब्लाक में कौन-कौन से चार गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है तथा उक्त तीनों ब्लाकों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब तक पूर्ण कर दी जायगी ?

श्री सुनील शास्त्री--

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ब्लाक दुद्धी में अमवार, धनौरा, टेढ़ा, मझौली, दीघुल, दुमुहान तथा निमियाडीह एवं ब्लाक म्योरपुर में अनपरा औड़ी-मोड़, गम्भीरपुर तथा कुसम्हा ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया । मिर्जापुर जनपद के ब्लाक दुद्धी म्योरपुर तथा बभनी के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें वर्ष 1978-79 में स्वीकृत की गई थी जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल पांच वर्ष है । उक्त योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में गति लाने की दिशा में पिपरी में एक ग्रामीण विद्युतीकरण उपखण्ड की स्थापना नवम्बर, 1981 में कर दी गयी है । प्रयत्न किये जा रहे हैं कि इन योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को यथाशीघ्र पूरा कर दिया जाय ।

## दुद्धी तहसील में हरिजन बस्ती विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत बस्तियों का विद्युतीकरण

13--श्री विजय सिंह--

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 109, दिनांक 22 जनवरी, 1982 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 6 और सामान्य योजना के अन्तर्गत एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किन-किन गांवों में किया गया है ?

श्री सुनील शास्त्री--

दुद्धी तहसील (जिला मिर्जापुर) में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत धनौरा, मझौली, टेढ़ा, दीधुल, दुमुहान तथा निमियाडीह तथा सामान्य योजना के अन्तर्गत जाबर हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया ।

## ग्राम मलदेवा जाबर खजुरी और बीहड़ में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव

14--श्री विजय सिंह--

विधान सभा के अता0 प्र0 सं0 110, दिनांक 22 जनवरी, 1982 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निकट भविष्य में मलदेवा, जाबर खजूरी और बीहड़ गांवों के हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए कोई प्रस्ताव है ।

श्री सुनील शास्त्री--

जाबर गांव की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा चुका है । ग्राम मलदेवा, खजुरी तथा बीहड़ ग्रामों की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा इन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

15--श्री पंचानन राय--

[5-3-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 76 द्वारा उत्तरित ।]

## ग्राम बलीदपुर, जनपद आजमगढ़ के कतिपय हरिजनों को आबंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

16--श्री पंचानन राय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बलीदपुर, तहसील मोहम्दाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ के 19 हरिजनों को आबंटित भूमि पर कब्जा न मिलने से सम्बन्धित शिकायतें प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 6 जुलाई, 1981 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच किस अधिकारी से कराई गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री बैजनाथ कुरील--

प्रश्न में उल्लिखित माननीय प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-7-1981 का पत्र जिले में प्राप्त हुआ था किन्तु वह उपलब्ध नहीं हो पा रहा । जिला प्रशासन द्वारा माननीय प्रश्नकर्ता से अनुरोध किया गया है कि वे उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करा दें ताकि मामले में जांच की जा सके । माननीय प्रश्नकर्ता से पत्र की प्रति प्राप्त होते ही मामले में वांछित कार्यवाही की जायगी ।

## संस्थागत वित्त निदेशालय में शोध अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति

17--श्री राम आसरे वर्मा--

दिनांक 22-1-82 को विधान सभा के अतारांकित 176 के उत्तर के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जब 6 में से 5 पदों पर नियुक्तियां बिना

[श्री राम आसरे वर्मा—]

सेवा नियमावली प्रख्यापित की जा चुकी हैं, तो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति सेवा नियमावली प्रख्यापित होने तक रोकने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त 5 व्यक्तियों की भांति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त—

संस्थागत वित्त निदेशालय में जब शोध सहायक के पद से पांच अभ्यर्थियों की नियुक्ति शोध अधिकारी (अब सहायक निदेशक) के पद पर की गई थी, उस समय अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। अब चूंकि उक्त पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली प्रख्यापित होने को है, अतः यह निश्चय किया गया है कि तदर्थ आधार पर नियुक्ति न करके अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयन कराया जाय और तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाय ।

[समय 12 बजकर 22 मिनट]

## इलाहाबाद के थाना कर्नेलगंज की पुलिस द्वारा हरिजन बस्ती में घुसकर हरिजनों की पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दिनांक 12-3-82 को लगभग 8.30 बजे थाना कर्नेलगंज इलाहाबाद में पुलिस द्वारा निःसहाय हरिजनों पर ढाये गये अत्यन्त घृणित एवं अमानवीय जुल्म की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

थाना कर्नेलगंज की पुलिस सिपाही श्री कामता प्रसाद, श्री ओम प्रकाश उर्फ धम्बल, बीरबल ने दिनांक 12-3-82 को हरिजन बस्ती में घुस कर लवकुश पुत्र बेवा बन्ती देवी की प्राणघातक पिटाई की तथा अन्य को बिना किसी कारण के बुरी तरह पीटा, पका हुआ भोजन फेंक दिया, महिलाओं का अपमान किया, घर के दरवाजे तोड़ डाले, पैसा छीन लिया । लवकुश जो चिन्ताजनक हालत में तेज बहादुर सप्रू अस्पताल इलाहाबाद में भर्ती किया गया है ।

मान्यवर, इन सब का महज कारण एक मात्र यह है कि पहले यहां की पुलिस जबरदस्ती इन गरीब हरिजनों से अवैध रूप से रुपया वसूल करते थे कुछ नवयुवकों के मना करने पर इन गरीबों ने पुलिस को पैसा देना बन्द कर दिया जिसका प्रतिशोध पुलिस वालों ने इस प्रकार किया । लिखाई गई रिपोर्ट को अब थानाध्यक्ष द्वारा न मानकर बल्कि इन गरीबों से एक सादे कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिया गया और अब इन्हें फर्जी मुकदमों में अपने बचाव के लिये फंसाया जा रहा है ।

अतएव सरकार से मेरी मांग है कि दोषी थानाध्यक्ष और पुलिसजनों के विरुद्ध प्राणघातक पिटाई, रुपया छीनने, हरिजन का उत्पीड़न सम्बन्धी मुकदमा दर्ज किया जाय और न्याय के हित में इन्हें तत्काल निलम्बित कर आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

## नैनीताल में अज्ञात गिरोह द्वारा भव्य कोठियों को जलाने से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

नैनीताल में गत दो माह से एक अज्ञात गिरोह द्वारा रहस्यमय ढंग से भव्य कोठियों को जलाने का सिलसिला जारी है, पिछले दो माह में लगभग दो करोड़ लागत की बारह कोठियां जलायी जा चुकी हैं। कोठियों के साथ उनमें रहने वालों का सामान भी जलकर भस्म हो गया है। जलाई गई कोठियों में प्रिंसी विला, स्प्रिंग काटेज, प्रायरी काटेज, चमक हाल, मार्शल काटेज, एविक काटेज, काल हाउस, लिफ्ट लाज, राजकोर्ट लाज और आनन्द भवन शामिल हैं। इनमें आनन्द भवन को छोड़कर शेष सभी भवन अंग्रेजों द्वारा बनवाये गये थे। इन भवन के मालिक सर्दियों में भवनों को बन्द कर मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर यह गिरोह कोठियों को फूंक रहा है।

अभी हाल ही में जनपद नैनीताल के भुवाली स्थान में इस गिरोह ने सात दुकानों को जलाकर भस्म कर दिया है। लोगों में भयंकर आतंक एवं भय व्याप्त हो गया है।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करते हैं कि तत्काल ही इस रहस्यमय गिरोह का पता लगाया जाय व अपराधियों को दन्डित किया जाये तथा क्षतिग्रस्त लोगों को वाजिब क्षतिपूर्ति दी जाय।

## आंग्ल भारतीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सिफारिशें किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सम्माननीय सदन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका विवरण निम्न है--

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ जो कि आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश के निरीक्षक भी हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसी पावन शिक्षा संस्थायें जिनमें छात्र-छात्राओं को प्रवेश विद्यालय द्वारा ली गयी परीक्षा के आधार पर वरीयता क्रम में प्रवेश देती हैं और जो विगत काफी अर्से से पाक एवं साफ तथा राजनीतिक एवं अधिकारियों के दबाव से मुक्त रही हैं, में विगत कुछ वर्षों से अनियमित रूप से प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा संस्थाओं को बाध्य करते चले आ रहे हैं जिसका एक ज्वलंत उदाहरण उनके द्वारा प्रधानाचार्य, मैथोडिस्ट हाई स्कूल, कानपुर को लिखा गया पत्र संख्या 1720/122, दिनांक 5 मार्च, 1982 है जिसके द्वारा छात्र आनन्द कुमार कनौड़िया तथा छात्रा कु0 प्रीति पंजीयन संख्या 375 एवं 376 को प्रवेश देने के लिए आदेश किये हैं। इस प्रकार अधिकारी द्वारा पद

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्त बक्स रावत—]

के दुरुपयोग के कारण आंग्ल भारतीय विद्यालयों में प्रवेश पाने के पात्र प्रदेश के हजारों छात्र एवं छात्राओं को प्रवेश न मिल पाने के कारण उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है जिससे उनके अभिभावकों में भारी रोष, क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त हो गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मांग करता हूं कि शीघ्र ही इस ओर विशेष ध्यान देकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे प्रवेश पाने के पात्र छात्र एवं छात्राओं को न्याय मिल सके तथा उनके अभिभावकों में व्याप्त रोष एवं असंतोष खत्म हो जाय और विद्यालय सुचारु रूप से अपना शिक्षण कार्य कर सके।

## जनपद गोरखपुर व देवरिया के गण्डक समादेश क्षेत्र में जबरन राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी—

जनपद गोरखपुर व देवरिया में पूरे गन्डक समादेश क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र मानकर किसानों से जबरन राजस्व की वसूली प्रारम्भ कर दी गयी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही गन्डक समादेश क्षेत्र में लगभग एक लाख पचास हजार एकड़ भूमि जलमग्न है और साठ हजार एकड़ कृषि भूमि ऐसी है जहां सिंचाई की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। गन्डक समादेश के क्षेत्र के अन्तर्गत दो लाख एकड़ कृषि क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई फसल की उपज नहीं होती है। मुख्य पश्चिमी नहर के बांये किनारे कई हजार एकड़ भूमि के लिए सिंचाई सुविधा नहीं है। यहां सरकार द्वारा 3 क्यूसैक क्षमता के नलकूप लगाने का विचार है। किसानों ने नहर से बहुत सी भूमि नहीं सिंचाई है, इस प्रकार गन्डक समादेश क्षेत्र में सभी किसानों से राजस्व की वसूली करने से किसानों में व्यापक क्षोभ एवं असंतोष है। समस्या गम्भीर है स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर गन्डक समादेश क्षेत्र में किसानों से जबरन राजस्व वसूली स्थगित करने की मांग करती हूं तथा जिन किसानों ने नहरों से खेत की सिंचाई नहीं किया है उनसे राजस्व की वसूली न करने की आग्रह करती हूं और नलकूप शीघ्र लगाने की मांग करती हूं।

## जनपद जालौन के विकास खन्ड महेवा तथा कदौरी के अन्तर्गत डी० पी० ए० पी० के कार्य की एकमुश्त वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह—

महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद जालौन के महेवा विकास खन्ड तथा कदौरा विकास खन्डों में पिछले 5 वर्षों से सुखोन्मुख (डी० पी० ए० पी०) योजना के अन्तर्गत बन्धी निर्माण तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद जालौन के विकास खंड महेवा तथा कदौरी के अन्तर्गत डी0पी0ए0पी0 1223 के कार्य को एकमुश्त वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

किसानों के खेतों का समतलीकरण का कार्य बहुत से गांवों में किया गया है योजना के अन्तर्गत जिन ग्रामों में समतलीकरण का कार्य किया जाना था उनमें सिंचाई के साधन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए थे।

परन्तु दोनों विकास खंडों के अधिकांश गांव के जिन क्षेत्रों में समतलीकरण होने से खेतों की उर्वरा शक्ति प्रायः समाप्त हो चुकी हैं और उनमें बहुत ही कमजोर फसलें हो रही हैं। पिछले कई वर्षों से समतलीकरण तथा बन्धियों की वसूली सूखा, बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण सरकार द्वारा मुल्तवी की जाती रही है। परन्तु इस वर्ष पिछले 5 वर्षों की बकाया एकमुश्त वसूल की जा रही है। क्षेत्र का कोई भी किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह एकमुश्त बकाये की रकम की अदायगी कर सके।

मैं माननीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि महेवा तथा कदौरा विकास खन्डों में किसानों के भूमि की समतलीकरण की वसूली तुरन्त रोक दी जाय तथा नये सिरे से किस्तें निर्धारित की जायं जिससे कि किसान आसानी से सरकारी वसूली अदा कर सके जिन क्षेत्रों में समतलीकरण हुआ है वहां सिंचाई के साधन भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जायं।

## फैजाबाद में यू0 पी0 आर0 एन0 एम0 एवं प्रेस स्टील फैब्रिकेटर्स टान्डा तापीय परियोजना के श्रमिकों की छंटनी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपीनाथ वर्मा--

महोदय, जनपद फैजाबाद में यू0 पी0 आर0 एन0 एम0 एवं प्रेस स्टील फैबरिकेशन प्राईवेट लि0 टान्डा तापीय परियोजना के प्रबन्धकों के द्वारा करीब 600 कार्यरत श्रमिकों में से ढाई सौ श्रमिकों को अवैधानिक तरीके से छंटनी की गयी है जिससे पूरे परियोजना में कार्यरत श्रमिकों के अन्दर असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। श्रमिकों का दोष सिर्फ इतना था कि अपने जायज मांगों को हासिल करने के लिए प्रबन्धकों से आग्रह कर रहे थे। दिनांक 28-7-81 को जिलाधिकारी फैजाबाद, 29-11-81 को पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद, 25-12-81 को पी0 एम0 प्रोजेक्ट टान्डा व 5-1-82 व 6-1-82 को श्रम अधिकारी फैजाबाद 7-1-82 को श्रम आयुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश को अपना जायज मांगों के सम्बन्ध में मांग-पत्र देकर न्याय दिलाने हेतु निवेदन किया था जिसके फलस्वरूप उक्त कम्पनियों के प्रबन्धकों व ठेकेदारों के क्रोध का श्रमिकों को शिकार होना पड़ा तथा प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को भांति-भांति से उत्पीड़ित किया जा रहा है। दिनांक 8-3-82 को श्रमिकों पर प्रबन्धको के गुन्डों द्वारा लाठी, लोहे के सरिया, ईट, पत्थर से मारा गया तथा दिनांक 9-3-82 को फर्जी रिपोर्ट के तहत 56 श्रमिकों को गिरफ्तार कराया गया। उक्त तिथि को परगनाधिकारी टान्डा, उप पुलिस अधीक्षक, टान्डा के हस्तक्षेप से तथा समझौते के आधार पर प्रबन्धकों व श्रमिकों के बीच समझौते की एक तिथि श्रम अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में 15-3-82 को निश्चित की गयी। परन्तु प्रबन्धकों के तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण समझौता सफल न हो सका। श्रमिकों की मुख्य मांगें श्रम कानून के तहत लाखों रुपये

[श्री गोपी नाथ वर्मा--]

बकाया मजदूरी, बोनस, मकान भत्ता, ओवरटाइम, स्वास्थ्य सुविधा भुगतान किया जाना तथा अवैधानिक रूप से निकाले गये श्रमिकों को पुनः काम पर लगाया जाना आदि हैं ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि यू० पी० आर० एन० एम० एवं प्रेस स्टील फैब्रिकेटर्स टान्डा तापीय परियोजना के श्रमिकों को कांट्रेक्ट लेबर रेगुलेशन एवं एबूलेशन ऐक्ट श्रम कानून का पालन प्रबन्धकों द्वारा किये जाने हेतु सरकार आदेश पारित करें तथा उ० प्र० श्रम आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी करा के दोषी को दण्ड दिया जाय ।

लखनऊ में कोर्ट फी स्टाम्प को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गत 6 माह से 3 रुपये से कम के कोर्ट फी स्टाम्प का अकाल चल रहा है और यदि खुदा न खास्ता कहीं मिल भी जाता है तो दुगुनी कीमत पर । परिणामस्वरूप जहां आम जनता को डेढ़ रुपये के स्टाम्प के लगाने की आवश्यकता है उसकी जगह पर तीन रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ता है ।

इस समय माल कचहरी में 16 स्टाम्प विक्रेता हैं । उनमें से लगभग 10 विक्रेताओं के पास 3 रुपये से कम के स्टाम्प नहीं हैं तथा कुछ विक्रेताओं के पास मिलते भी हैं तो निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर ।

ऐसी दशा में स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा खुले आम कालाबाजारी में स्टाम्प बेचे जाने पर यदि कोई व्यक्ति आपत्ति करता है तो जवाब में यह सुनना पड़ता है कि दूसरे जिलों से स्टाम्प लाकर इसी कीमत में देने पर मेरा परता नहीं पड़ता है । यदि गरज हो तो खरीदो । मैं तुम्हे कोई बुलाने तो नहीं गया था ।

सम्बन्धित अधिकारियों को इस बारे में शिकायत भी की तो वह भी अपने को असहाय पा रहे हैं । ऐसी दशा में शासन से मेरा अनुरोध है कि जनहित में लखनऊ कचहरी में कोर्ट स्टाम्पों के भीषण अकाल को समाप्त करने हेतु यथाशीघ्र स्टाम्पों को प्रेस से छपवाकर भेजे जाने के निर्देश देवें ।

महाविद्यालय आगरा कालेज, आगरा के विभिन्न विभागों में प्रवक्ताओं के चयन तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी श्री रामसेवक का चयन न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के एक गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें आगरा जिले के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महाविद्यालय आगरा कालेज, आगरा में विगत 20 व 21 फरवरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1982 को सांख्यिकी विभाग, हिन्दी विभाग, अर्थ--शास्त्र विभाग व जन्तु विज्ञान विभाग, में प्रत्येक विभाग में से एक-एक प्रवक्ता का चयन किया गया है। इन चार पदों में से केवल अकेले जन्तु विज्ञान विभाग के लिए एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी, श्री राम सेवक उपलब्ध था। शासन की अनुसूचित जाति की कोटा पूर्ति (आरक्षण कोटा) नीति के अन्तर्गत यदि सामान्य नियमों के अन्तर्गत साक्षात्कार तक की निर्धारित अर्हताओं की प्रतिपूर्ति करने वाला कोई अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उपलब्ध है तो उसका चयन हो जाना चाहिए, चाहे इस हेतु चयन के सामान्य नियमों को अपेक्षाकृत कुछ शिथिल ही क्यों न बनाया जाय। किन्तु चयन समिति ने उसका चयन न कर शासन की सामान्य घोषित नीति की अवहेलना की है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वह आगरा के आयुक्त, जो आगरा कालेज प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष हैं तथा जिलाधिकारी जो इस प्रबन्ध समिति के उपाध्यक्ष हैं, को तुरन्त प्रभावी पत्र लिखकर आदेश करें कि प्रबन्ध समिति की 27 मार्च को होने वाली बैठक में चयन समिति द्वारा नियम विरुद्ध किए गये इस चयन को तुरन्त निरस्त करें तथा चयन की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत उक्त अभ्यर्थी को चयन किए जाने का मार्ग प्रशस्त करें।]

## कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, आइटम 4 के सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ एजुकेशन का उत्तर अगर आ गया हो तो ..

श्री अध्यक्ष--

अभी जवाब नहीं आया है।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, एक मेरा भी था।

श्री अध्यक्ष--

जवाब के लिये भेज दिया गया है। जैसे ही जवाब आयेगा, तो बता दूंगा।

( कई सदस्यों के खड़े होकर अपने-अपने प्रस्तावों के सम्बन्ध में जानकारी करा पर।)

जो भी विशेषाधिकार के प्रश्न हैं, उन सब को भेजा गया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, बहुत देर हो रही है।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 18 सूचनाये प्राप्त हुयी हैं जिनमें एक सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की ट्रक हड़तालियों पर लाठी चार्ज किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, एक सूचना मेरी भी इसी सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो 18 सूचनाओं में से एक पढ़ी है। दूसरी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है, तीसरी सूचना सर्वश्री शंकर सिंह, दलगंजन सिंह और संत बक्स रावत की है। चौथी सूचना सर्वश्री मोतीलाल देहलवी, मोहन सिंह, तथा हुकम सिंह की है। पांचवी सूचना श्री कुबेर भंडारी की है और छठी सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की है। सातवीं सूचना श्री गौरी शंकर भैय्या की है और आठवी श्री राम गोविन्द की है। नवीं सर्वश्री रियासत हुसैन और अकबर हुसैन की है। 10वीं सूचना श्री किरनपाल सिंह की और ग्यारवीं सूचना श्री अकबाल हुसैन की है। इनमें जो तीसरे नम्बर की है यह तीन माननीय सदस्यों, माननीय शंकर सिंह, दलगंजन सिंह और संत बक्स रावत की है। चौथी में भी तीन माननीय सदस्यों, सर्वश्री मोती लाल देहलवी, मोहन सिंह और हुकम सिंह के दस्तखत हैं। अन्य सूचनाओं में एक-एक माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं लेकिन सब ही महत्वपूर्ण हैं। पहले तो एक ही हस्ताक्षर से आया करती थी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप डाल-डाल हम पात-पात।

श्री अध्यक्ष--

ऐसी बात नहीं है, यह हमारी और आपकी सहमति की बात है। इसके लिये हमने यह प्रयास किया था कि किस तरह से यह हो। तो नं0 11 तक एक ही विषय के हैं। दूसरी श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र की है, तीसरी श्री हरिबंश सहाय की है, 4थी श्री नन्दकिशोर सिंह तथा श्री हरिबंश सहाय की है, 5वीं सर्वश्री मसरूर जाफरी, कुंवरसिंह नेगी, मुहम्मद आजम खां, गोपीनाथ बर्मा और खैरुल बशर की है। छठी श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की है। 7वीं श्री कन्हैयालाल व श्री जमुना प्रसाद की और 8वीं श्री बलवीर सिंह की है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, लखनऊ वाली सूचना आप ले लें, वह बहुत जरूरी है।

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष--

आपकी है लखनऊ के बारे में, नम्बर 1 से 11 तक की सूचनायें एक ही विषय पर हैं और मैं चाहूंगा उसकी ग्राह्यता के ऊपर ही एक-एक बात कुछ

माननीय सदस्य कहें । शेष सूचनायें जो नम्बर 12 से 14 तक वाली और 16 से 18 तक वाली हैं इनको मैं अस्वीकृत करता हूं ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 51 में भी सूचना प्राप्त हुई है ।

( व्यवधान )

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक-एक व्यक्ति ही अपनी बात कहें कम से कम समय में, ताकि सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके ।

( व्यवधान )

## प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स हड़तालियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, ट्रक आपरेटर्स की जो हड़ताल है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । आज उपभोक्ता कितना परेशान है उससे आप भी परिचित हैं । कल एक नयी परिस्थिति पैदा हो गयी । प्रजातांत्रिक तरीके से जो ट्रक ड्राइवर्स अपना प्रदर्शन करना चाहते थे, प्रदर्शन के द्वारा वे अपनी मांगे जनतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, उनके उस जनतांत्रिक अधिकार पर कुठाराघात किया गया । वे यहां आ रहे थे, कानपुर की चुंगी चौकी पर ही उनको रोक दिया गया, उन पर लाठी चार्ज हुआ और 20 लोग गम्भीर रूप से घायल हुये । तो यह एक नयी चीज पैदा हो गयी है आप अगर इस पर मान्यवर, चर्चा का अवसर नहीं देंगे तो और जनतांत्रिक तरीके को हमें अख्तियार करना पड़ेगा । इसलिये हमने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, आप मान्यवर, इसे स्वीकार कर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन् अध्यक्ष जी, मुझे झांसी से एक तार प्राप्त हुआ है । मैं केवल तार की शब्दावली पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप पढ़कर न सुनायें । आप उसी में से एक बात कह दीजिए ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, जो तार है, उसको मैं आपके पास भेज दूंगा । मान्यवर, जो ट्रक के अध्यक्ष थे, पुलिस वालों ने उनके सामने बन्दूकें तान दी कि अगर एक घंटे के अन्दर अपनी हड़ताल वापस नहीं ले लेते हो तो इन्काउन्टर कर दिया जायगा । मान्यवर, जो तार मेरे पास झांसी से आया है, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं । मान्यवर, ट्रक वालों ने माननीय मुख्य मंत्री के निवास के सामने आमरण अनशन करने की घोषणा कर दिया है । मान्यवर, यह बड़ा ही गम्भीर मामला है और यह अवलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बनता है । इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आज ट्रकों की स्थिति जो है, यह बहुत गम्भीर है । हम लोगों को बाजार में कोई चीज इस वक्त उपलब्ध नहीं है । लेकिन मान्यवर, जो कल

[श्री शंकर सिंह—]

परिस्थिति पैदा हुई है, यह लखनऊ में ही नहीं हुई है, पूरे प्रदेश में हुई है। हर जगह से समाचार आ रहे हैं कि ट्रक आपरेटरों को पकड़ा जा रहा है। ट्रकों को भी पकड़ा जा रहा है उनको वहां पर प्रशासन परेशान कर रहा है और इससे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है मान्यवर, वह बहुत ही गम्भीर है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप इस पर चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

चौथी सूचना जो है माननीय मोतीलाल देहलवी, माननीय मोहन सिंह, माननीय हुकम सिंह की है। इसमें एक सदस्य जो कोई बोलना चाहें वह बोल सकते हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, आज जो उपभोक्ताओं की परेशानी है, उसकी वास्तविकता मान्यवर, वह आपकी भी नजर में है कि सरकार की हठवादिता से देहातों में सब्जी, आलू वगैरह सब सड़ रही है और सामान का अभाव पैदा हो गया है और जिसकी वजह से 50 से 70 परसेन्ट तक जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं। मान्यवर, एक भुखमरी सी पड़ी हुई है। इतनी महंगाई की लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो मान्यवर, क्या होगा, यह सरकार अपनी जिद में क्या करवाने जा रही है। त्राहि-त्राहि मान्यवर, मची हुई है। मेरा आप से मान्यवर, निवेदन है कि एक रिकर्ड आप कायम करें और इस पर चर्चा करवा दें।

श्री कुबेर भन्डारी—

मान्यवर, मेरा सबसे भिन्न है। मैंने गन्ने के बारे में दिया है। मेरे जिले और बस्ती और गोंडा में गन्ने पर असर पड़ा है। ट्रकों की हड़ताल हो गयी है। एक तो मिल बन्द पड़ी हैं, मिलों की हालत जरजर है और हाउस आप एकदम समाप्त कर रहे हैं और हम फिर आने वाले नहीं हैं। तो हो सकता है कि गन्ने के सम्बन्ध में इधर के सदस्य और उधर के क्षेत्र में बांधे जायंगे मान्यवर। तो मान्यवर, इस पर वक्तव्य दिलवा दें। वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, इस शासन म आज इन्सान का पेट भी जल रहा है और पीठ भी जल रही है। किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। ट्रक चालक लखनऊ के लिए रवाना होते हैं, तो इनको पुलिस जो है, वे निहत्थे लोगों पर लाठी चलाते हैं। मान्यवर, बार बंकी से लखनऊ की तरफ ट्रक आपरेटर आ रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया गया। मान्यवर, उनमें 25 लोग जो हैं, बुरी तरह से घायल हैं। मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही स्थगित कर सदन में मान्यवर, चर्चा कराया जाय।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, यह इसलिए अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न बनता है, मान्यवर, बलिया की तरफ से, गाजीपुर की तरफ से जो ट्रक वाले आ रहे थे, उनको रोक कर लाठी से मार कर भगा दिया और लखनऊ की तरफ आ रहे थे, तो चुंगी से पास रोक कर लाठी चार्ज करके भगा दिया और रास्ते में कह रहे थे

कि हड़ताल समाप्त कर दो। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मान्यवर, इस पर चर्चा करवा दीजिये। मान्यवर, एक चीनी मिल नैनीताल के अन्दर बन्द हो गयी है।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, ट्रक आपरेटरों को बुरी तरह से पीटा गया है। कानपुर के सूती मिलों के बन्द हो जाने से 25 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं एन0 टी0 सी0 की मिलों को भी बन्द करने की घोषणा कर दी गई है। पूरे प्रदेश में 20 चीनी मिलें बन्द हो गई। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण है। सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करा दें।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इतनी लम्बी हड़ताल, जिसका प्रभाव प्रदेश के हर क्षेत्र में चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग के ऊपर पड़ा है। शासक दल के हठवादिता के कारण नौबत यहां तक आ गई है कि आज वायलेंस की स्थिति पैदा हो गई है। मैंने नियम 52 में दिया है। मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें। वैसे किसी चीज की जरूरत नहीं है यदि माननीय मन्त्री जी घोषणा कर दें और कल हम निकले तो ट्रक चलते हुये दिखाई दें।

श्री किरनपाल सिंह--

मैंने कल भी कहा था कि मुझे अन्दाज था कि विकट स्थिति पैदा होने वाली है। मान्यवर, ट्रकों की इतनी लम्बी हड़ताल कभी नहीं हुई। अब तक तीन बार हड़ताल हुई है एक बार 15 दिन, एक बार 3 दिन और एक बार 5 दिन हुई थी इस बार 20 दिन हो गया। माननीय परिवहन मन्त्री जी ने घोषणा किया कि आंशिक हड़ताल है। ट्रक आपरेटर डिस्ट्रिक्ट हेक्वार्टर पर इकट्ठा हो रहे थे, अपनी सफल हड़ताल का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए। मैं नहीं कहता कि उनकी हर मांग ठीक है लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस पर चर्चा जरूरी है तमाम चीजों का अभाव है। कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हुई है। मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाय और हड़ताल को समाप्त कराया जाय।

श्री अकबाल हुसैन--

ट्रक हड़ताल से आज सारा जन जीवन प्रभावित है। मान्यवर, देश में और प्रदेश में प्रजातन्त्र है जब कोई किसी बात से क्षुब्ध होता है तो वह प्रदर्शन के जरिये अपनी क्षुब्धता को प्रदर्शित करता है। ट्रक आपरेटर शान्तिपूर्वक आ रहे थे उनको लाठियों से पीटा गया। 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, कार्यस्थगन के रूप में इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मुझे ट्रक वालों के बारे में कुछ नहीं कहना है। पर्वतीय अंचल में कोई साधन नहीं है। मैं चाहता हूं कि वहां पर भी कोई व्यवस्था की जाय।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, इसकी गम्भीरता इस लिए हो गई है। मैं जानता हूं कि कल सामान्य प्रशासन पर चर्चा हुई। परन्तु जब ट्रक आपरेटरों ने हड़ताल करने को

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

नोटिस दिया तो सरकार को वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में 3 समस्यायें हैं । एक तो आवश्यक चीजें नहीं मिल रही हैं, दूसरे आलू और गन्ना की ढुलाई नहीं हो पा रही है । आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं जा रहा है वह सड़ रहा है । गन्ना भी अगर इस समय मिल में नहीं गया तो जून में नहीं जा सकता है । इसके लिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी । चाहे राजस्थान केन्द्र से या मिलिट्री से मगाते । वहां से 4-6 हजार ट्रकें मंगा लेते । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप भी देहात से आते हैं, आप और हम सभी भुक्त भोगी हैं । मान्यवर, मेरा भी आलू पड़ा हुआ है, मैं व्यक्तिगत इसका भुक्त भोगी हूं । इस लिए जब तक सरकार आश्वासन न दे तब तक समस्या का हल होने वाला नहीं है । इसलिए मान्यवर, दो घन्टे की चर्चा इस पर स्वीकार कर लें । यदि बजट का सवाल आता है तो मैं उस पर नहीं बोलूंगा । इसलिए इसको स्वीकार कर लें ।

श्री खैरूल बशर--

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूं कि इस गम्भीर समस्या पर सारे जिम्मेदार मन्त्री हाउस से भाग गये हैं ।

(व्यवधान)

## लखनऊ के चौक मोहल्ले में एक महिला के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, सूचना आपके पास आ गयी है । आप को उसका अहसास होगा कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात हैवान भी नहीं करेगा । मान्यवर, 60 साल की बूढ़ी औरत को रात में थाने में रखा गया जबकि नियम है कि किसी औरत को रात में थाने में नहीं रखेंगे बल्कि उसको अदालत में या जेल में भेजेंगे । लेकिन 60 साल की उस बूढ़ी औरत को थाने में उसके कपड़े उतरवा लिये गये और उसकी शर्मदानी में मिरचे घूसेड़े गये, यह काम दरोगा ने किया है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, इसमें दो बातें हो सकती हैं या तो जिस अखबार ने यह बात छापी है वह गलत छापी है या फिर थाने में यह गलत काम हुआ है । यदि अखबार की बात गलत है तो उसके खिलाफ कार्यवाही मुख्य मन्त्री जी करें और यदि अखबार सही है तो थाने के सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें । तो मान्यवर, जहां की गृह मन्त्री और देश की प्रधान मन्त्री औरत हों वहां औरतों पर इस प्रकार से हमला हो तो यह ठीक नहीं है इस पर कार्यवाही होना चाहिए वरना गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री पर भी इस तरह के हमले हो सकते हैं ।

(व्यवधान)

## प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स हड़तालियों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री मसरूर जाफरी ने अखबार दिखाते हुये व्यवधान के दौरान कुछ कहा ।

(व्यवधान)

श्री खैरूल बशर—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जो आ गये हैं वह ट्रक हड़ताल के बारे में कुछ जवाब दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं । आप लोग बैठें । आप सब लोग बैठ जायं ।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह ट्रक हड़ताल के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में संसाधनों को जुटाने के लिये बहुत सोच विचार करके कुछ निर्णय मन्त्रि मण्डल में हम लोगों ने किया क्योंकि विकास के सम्बन्ध में यह अति आवश्यक हो गया है और हम लोग आशा और विश्वास करते हैं कि प्रदेश के विकास में हर एक अंशदान देगा । किन्तु इस निर्णय से कुछ ट्रक आपरेटर्स को असन्तोष रहा है और वह अपना असन्तोष विभिन्न प्रकार से प्रकट करते रहे हैं, परन्तु हमको हम ट्रक आपरेटर्स सहयोग किये हैं और जो भार उनके ऊपर रखा गया है उसको वह अपना योगदान देने को तैयार हैं । लेकिन इस तरह की चेष्टा कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो, यातायात अस्त-व्यस्त हो और पूरे प्रदेश की जनता को एक रैन्सम में रखने के प्रयास की इस चेष्टा को हम लोग कोई बल नहीं दे सकते । अगर कोई चेष्टा ऐसी होती है तो जनजीवन को सुव्यवस्थित रखने के लिए हम लोगों को हर कदम उठाना पड़ेगा और इस दिशा में उसको व्यवस्थित करने के लिए और यातायात खुला रखने के लिए मुख्य मार्गों का, अगर कहीं कोई कार्यवाही करनी पड़ी तो किया गया है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, रात के एक बजे उनके एसोसियेशन के दफ्तर में जाकर उनके पदाधिकारियों को पकड़ा गया है ।

(अनेक सदस्य अपने आसन से खड़े होकर एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं ।

श्री बलबीर सिंह—

यह शासन नहीं चलेगा । लोकमहत्व को जिन्दा रखा जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं ।

श्री मोहन सिंह—

एक सफाई दिला दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की 18 सूचनायें थीं, सब अस्वीकार की गई हैं। एक सूचना नियम 51 में इसी सम्बन्ध में आयी है और उसको नियम 51 में स्वीकार किया जायगा। बाकी सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

(शोर)

श्री विद्यासागर नौटियाल--

लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य नारे लगाते हुये प्रतिवेदकों की मेज के सामने खाली स्थान में आकर बैठ गये।)

(लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाये गये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

सदन को नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं अब माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जो निर्णय हो चुका है उसी के अनुसार, मैं अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अनुशासित होकर अपने स्थान को ग्रहण करें।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, हमारी बात सुनें मुख्य मंत्री से हमें बयान दिलायें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य लोग अपने स्थान पर जायं।

(शोर)

माननीय मोहन सिंह जी, माननीय शंकर सिंह जी, मैं सभी से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान पर, वहां चलें।

(शोर)

माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद आप अपने स्थान पर जायं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

हम लोग आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार हठवादी हो गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया सुनें ।

(विपक्ष के काफी माननीय सदस्य सदन के मध्य बैठे चिल्ला रहे थे)

(घोर व्यवधान)

इस समय निरंतर आपकी यहां सूचनायें विभिन्न नियमों में आयीं और उन सूचनाओं के सन्दर्भ में शासन को भी इस पर वक्तव्य देने के आदेश दिये जा चुके थे, वक्तव्य आया । इस सम्बन्ध में नियमों के अन्तर्गत उसी विषय पर कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बार-बार नहीं आ सकता, तब भी आया...

(घोर व्यवधान)

और उनको भी मैंने सुना और आपको अवसर दिया । उसके बाद शासन...

(घोर व्यवधान)

नियम 51 की सूचना के सम्बन्ध में...

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कभी-कभी फर्ज बगावत बन जाता है । जब तक इस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी, हम सदन नहीं चलने देंगे । अगर आप आदेश देंगे तो हमें उठाकर बाहर फेंक दिया जायगा...

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं पुनः सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि नियमों के अन्तर्गत कार्य करें और सदन को चलने में मदद दें ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिए स्थगित हुई । 1 बजकर 35 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित रहने की सूचना मार्शल द्वारा दी गई । तदुपरान्त 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन, प्रदेश में पहली तारीख से ट्रक की हड़ताल चल रही है उससे निश्चिततौर से सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है । यह हड़ताल किसी तरह से टूटनी चाहिये थी । यह सही है कि उनको भी अधिकार है ट्रक वालों को जैसा हमारे विधान में है लेकिन उन्होंने उस अधिकार से ज्यादा जाकर जो किया और जो और लोग चलाना चाहते थे, उनको उन्होंने रोकना चाहा जो नहीं होना

[श्री राजेन्द्र सिंह]

चाहिए था, यह गलत है । जो हड़ताल पर जाना चाहते थे, उनको अधिकार है । लेकिन इस सरकार को भी पिछले 20 दिन, 18 दिन के अन्दर कोई व्यवस्था कर लेनी चाहिये थी, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार करने के लिए एक घन्टे की चर्चा हो जाये ताकि सदस्यों के सुझाव आ जायें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय नेता, विरोधी दल की भावनाओं का मैं स्वागत करता हूं कि जन-जीवन के प्रति उन्होंने चिन्ता व्यक्त की है साथ ही उसमें जिन लोगों ने अपनी भावनाओं का अतिरेक किया, उस ओर इंगित किया, ध्यान आकर्षित किया है, इस पर चर्चा हो जाये, यह मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता, विरोधी दल का प्रस्ताव और नेता, सदन की उस पर अभिव्यक्ति से मैं इस विषय पर, आज की कार्य सूची में जो कार्य है उसके समाप्त होने के बाद, एक घन्टे की चर्चा के लिए निर्देश देता हूं ।

(तालियां)

इसके साथ ही साथ एक सूचना आपको और देना चाहूंगा कि ग्रान्ट 5 बजे तक चलने की थी और 5 बजे के स्थान पर यह विचार हुआ है कि यह 4 बजे तक चले । अगर माननीय सदन सन्तुष्ट हो इस पर विचार कर ले ।

(विरोध पक्ष से कई कई सदस्यों के कुछ बोलने पर)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

ऐसी स्थिति में मान्यवर, इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिये । पूरा समय मिलना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । पांच बजे तक चलेगा ।

श्री खैरुल बशर--

मसरूर जाफरी, आजम साहब, वर्मा जी और मेरी तरफ से जो कार्य-स्थगन था, वक्तव्य दिला दें । बहुत बड़ी घटना है, एक साठ साल की महिला के साथ उसी के लड़के से कहा जाय कि बलात्कार करो ।

श्री अध्यक्ष--

बैठ जायें । इस सन्दर्भ में वक्तव्य दिलाने पर, मैं केवल वक्तव्य के लिए अगर इसे स्वीकार करूंगा तो आपको प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं होगा इसलिए आप केवल वक्तव्य चाहते हों तो स्वीकार करने की बात हो, नहीं तो आप इसको पुनः दूसरे नियम में दीजिए जिसमें आपको प्रश्न करने का भी अधिकार हो ।

(विपक्ष की ओर से कई सदस्यों ने "ठीक है" कहा गया)

(पर्वतीय विकास मंत्री को पुकारे जाने व उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री मोहन सिंह--

यह निहायत गैर जिम्मेवारी की बात है। पर्वतीय विकास मंत्री जी सदन में नहीं हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

वह कभी सदन में नहीं रहते हैं।

अनेक सदस्य--

आ गये, आ गये

श्री अध्यक्ष--

पर्वत से आने में दिक्कत होती है।

एक सदस्य--

मान्यवर, ट्रकों की हड़ताल की इसलिए आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ।

श्री अध्यक्ष--

पर्वत से आ रहे हैं, मैदान में थोड़े ही चल रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी अगर यहां पर उपस्थित रहते तो कम से कम हम थोड़ी तसल्ली होती और पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं से वे विज्ञ हो जाते। इसलिए आप से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से यहां बैठने के लिए आप कहें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, अगर एक दिन की बात होती तो ठीक था, दो दिन की बात होती तो ठीक था परन्तु प्रतिदिन की बात है कि जब भी पाठक इच्छा होती है आप खड़े होकर कुछ न कुछ कहने लगते हैं। आज पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में जब भी चर्चा होगी तो मैं इस बात का ध्यान करूंगा कि वहां से संबंधित व्यक्ति अवश्य बोलें। आप बैठ जाइये। इससे आप क्या करते हैं। सदन का समय नष्ट करते हैं और इसमें आपकी स्वांसें खर्च होती हैं और साथ में मेरी भी खर्च होती हैं। आप अभी मुझसे युवा हैं और आपकी स्वांसें बहुत दिन तक चलनी चाहिए। मेरी तो कोई बात नहीं।

## 1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--
## अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग

[समय 2 बजकर 5 मिनट]

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि अतिरिक्त 82,55,80,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--]

श्रीमन् 81-82 के पर्वतीय क्षेत्र का विकास और प्रगति तथा 82-83 के प्रस्तावित कार्यक्रम माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराए गए हैं। उनको मैं दोहराना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि समय भी कम है लेकिन उन तथ्यों उन आकड़ों और उन बिन्दुओं पर अवश्य प्रकाश डालूंगा जिससे सरकार की नीति, उसके द्वारा किये गए विकास कार्यक्रम का आंकलन या मूल्यांकन प्रकट होता है। प्लान परिव्यय 80-81 में 86 करोड़ था, 81-82 में 100 करोड़ हुआ और 82-83 के लिए 120 करोड़ है और इसमें पहले 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता था। अब वह 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष प्रदेश में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई गत वर्ष की अपेक्षा जबकि पर्वतीय योजना में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसे माननीय सदस्य और माननीय सदन की सदभावना का ही प्रतिफल मैं कहूंगा जो उन्हें हमेशा पर्वतीय क्षेत्र के प्रति, पिछड़े-पन के प्रति होता है। श्रीमन् केवल योजनायें बनाना ही जरूरी नहीं है, यह भी देखना जरूरी है। कि योजना का निरूपण कैसे हो, उसको कार्यान्वित कैसे किया जाय ताकि वित्तीय उपलब्धि के साथ भौतिक उपलब्धि भी मिल सके और उनका प्रतिफल जन-जन में पहुंच सके नियोजन संस्थान में पर्वतीय प्रभाग को स्वीकृति दी गई और अगले वर्ष के आरम्भ से हम प्रारम्भ कर देंगे कुमायूं और गढ़वाल में मूल्यांकन इकाई क्योंकि श्रीमन् पर्वतीय विकास विभाग, पर्वतीय क्षेत्र के लिए नियोजन विभाग भी है और इसकी हम बहुत कमी महसूस कराते थे। आंकड़ों के साथ-साथ योजना का निरूपण उतनी अच्छाई के साथ नहीं हो पाता है इसलिए इस योजना को कार्यान्वित करने की चेष्टा की गयी। साथ ही साथ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पर्वतीय क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है और अधिक इलिए है कि आमतौर से, परम्परागत रूप से पर्वतीय क्षेत्र के निवासी नौकरी पेशे से रहे बाहर काम करते हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वहां के आर्थिक ढ़ांचे को सम्भालने के लिए घर गृहस्थी को सम्भालने के लिए महिलाओं पर आती है।

पर्वतीय नियोजन के प्रभाग में एक महिलाओं का भी प्रभाग बनाया जा रहा है ताकि उसके लिए कोई ऐसी योजना बनायी जा सके जिससे महिलाओं को अगर वक्त मिले तो वे अपनी आय में और साधनों में भी वृद्धि कर शकें। प्रभावी नियन्त्रण के लिए क्योंकि आयोजनागत कार्यों का कार्यान्वियन दूसरे विभागों के माध्यम से होता है, यह आवश्यक समझा गया कि उस लक्ष्य की उपलब्धि के लिए एक पर्वतीय विकास विभाग का नियन्त्रण रखा जाय। इसके लिए पर्वतीय विकास विभाग के प्रति उत्तर दायी बनाया गया कि वह आयोजनागत कार्यों के मूल्यांकन के बारे में अपनी राय सचिव पर्वतीय विकास करेगा, चरित्र पंजिका में इंट्री करेगा और इस मूल्यांकन के बाद इन योजना की प्रगति में तेजी आयेगी ऐसा हमारा निश्चित विश्वास है। सभी विभागों में यह आवश्यक है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए विभागाध्यक्षों को नामित करेंगे। हार्टिकल्चर विभाग का अलग निदेशालय अलग निदेशक इसी दृष्टिकोण में रखकर बनाया गया है कि जो प्लान आउटले के लक्ष्य हैं, उसकी सारी अच्छाइयां बनी रहें। हां इस बात की आवश्यकता महसूस हुई और इसलिए भी महसूस हुई कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में उद्यान, फलोद्यान और साग सब्जी आदि की तरक्की हो जिससे कि उनकी आय के स्रोत बढ़ सकें। और इस प्रकार से इस विभाग को सशक्त बनाया गया है कि हमारे फलोद्यान के कार्यक्रम काफी मात्रा में वहां चल सकें। इसी सन्दर्भ में मैंने पूर्व में कहा था कि कुछ स्थानों म अभी भी रिक्तियां हैं। जैसे पिछली बार सदन में आया था डाक्टरों के बारे में कि बहुत से अस्पतालों म डाक्टर नहीं हैं। कुछ अध्यापक

भी नहीं थे, तो सब कैडर बनाने के लिये निर्णय लिया गया है और बहुत से विभागों ने उसके आदेश जारी कर दिये हैं जहां तक शिक्षा विभाग का प्रश्न है, उसमें कुछ नियुक्तियां की भी गयी हैं इसमें और भी तेजी लाने की चेष्टा की जा रही है । आपके ध्यान में इतना और भी लाना चाहूंगा कि पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कराने हेतु और गति देने के लिय माननीय मुख्य मंत्री जी व्यस्त होते हुए भी हर महीने एक बार पर्वतीय योजनाओं की समीक्षा करते हैं और उस के कारण बहुत सी चीजें जैसे इन्टर डिपार्टमेंटल टाइप जो अधिक लगता है उन को जल्दी हल करवाने में काफी मात्रा में सुविधा हुई ।

पशुपालन और अन्य विभागों में भी पर्वतीय क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निदेशक के पद सृजित किये गये । छोटे लघु और कुटीर उद्योग को भी प्रोत्साहन देने की योजना है और इसलिए योजना है कि पर्यावरण के परिरक्षण के कारण जो जंगलों के कटान पर प्रतिबंध लगा है, जो फारेस्ट बेस्ड हमारी इण्डस्ट्रीज थी कुछ लोग जो उन को चला रहे थे, उनको धक्का लगा है, उस का कोई वैकल्पिक उपाय ढूंढा जाय । इस के लिए भी अतिरिक्त निदेशक, इण्डस्ट्रीज का पद सृजित किया जा रहा है ताकि गंभीरता से वहां के बारे में सोचा जाय और काम किया जाय ।

यह भी बतलाना चाहता हूं कि हम पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक संभावनाओं को ले कर के जो वहां के वातावरण के अनुकूल हो, हाई प्राइस लो वोल्यूम हो, डिसको के माध्यम से सर्वे करा रहे हैं । मुझे यह बतलाते हुये प्रसन्नता होती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकेन्द्रीयकरण की योजना लागू की है । मैदानी क्षत्रों में परिव्यय का 30 प्रतिशत जिला सेक्टर को दिया गया है । मुझे बताते हुये हर्ष है कि हम ने 52 प्रतिशत जिला सेक्टर को दे दिया है । राज्य सेक्टर में 48 प्रतिशत रहेगा । हमारी यह चेष्टा है कि अधिकतम सहयोग स्थानीय लोगों का लें और इसलिए लें कि उनके अनुसार योजना बन सके और गंभीरता से उन पर विचार हो और उन का सहयोग भी लिया जा सके ।

इस प्रकार 120 करोड़ में से करीब 62 करोड़ 76 लाख रुपये डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में हमारा चला जायगा जिस का जिलावाइज ब्रेक अप किताब में दिया गया है और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं ।

श्रीमन्, रामपुर, हलद्वानी मीटर गेज लाइन है, अभी पिछले दिनों कुमायूं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, दोनों के सहयोग से वहां रा मैटिरियल डिपो खोला गया है, उद्योग के लिये । सिमेन्ट की आपूर्ति के लिये भी वैगन्स नहीं पहुंच पाते क्योंकि लाइन बदलनी पड़ती है । इसलिये यहां पर भी भारत सरकार बड़ी लाइन बिछाने के लिए विचार कर रही है, विचार क्या कर रही है निर्णय ले लिया है एक तरीके से और हम ने जो नैनीताल जनपद में हम लोगों को भूमि अध्याप्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए भी आवश्यक धन का प्रविधान कर लिया है ।

इसके अलावा, मान्यवर, वायुदूत सेवा गौचर, पंत नगर और देहरादून में चलाने का भारत सरकार ने सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है ।

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र की कम से कम गढ़वाल मंडल की बहुत बड़ी इकानामी बद्रीनाथ यात्रा पर निर्भर करती है । बद्रीनाथ मन्दिर का पुनर्निर्माण और सुधार हो रहा था । उसके लिए भी दस लाख का अनुदान इस वर्ष दिया गया है ।

[श्री चन्द्र मोहन सह नेगी—]

पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए, श्रीमन्, 1981–82 में 81 लाख 44 हजार रुपये और 82–83 में एक करोड़ रुपये रखे गये हैं। पूर्व दशम कक्षाओं में 33 हजार अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। केन्द्र द्वारा भी इस योजना के अन्तर्गत 5 हजार छात्र छात्रवृत्ति पा रहे हैं। साथ ही अर्हता को अनुमन्यता भी बढ़ा दी गई है। उसके अनुसार अभिभावक की आय 750 रुपये के बजाय 1000 रुपया कर दी गई है। उपरोक्त योजना में पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति के छात्रों पर 17 लाख 29 हजार रुपया और अनुसूचित जन-जाति के छात्रों पर 10 लाख 30 हजार रुपया व्यय हो रहा है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 9 आश्रम पद्धति के विद्यालय भी हैं जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र शिक्षा पाते हैं। उनके रख-रखाव अर्थात् वस्त्र आदि पर पहले जहां 70 रुपये का प्राविधान था उसे बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 150 रु0 प्रति वर्ष अलग से उनको इसके लिए दिया जाता है। हरिजनों के लिए पेयजल की भी वहां पर समस्या थी उनके लिए डिग्गियों की व्यवस्था की गई है और जहां 241 डिग्गियों का प्राविधान किया गया था, वह इस 82 के मार्च के अन्त तक 300 डिग्गियां बना दी जायेंगी। जहां तक इनके लिए आवास का सवाल है, अभी तक 24,433 व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि दी गई और शनैः शनैः वहां पर आवास बनाने की प्रक्रिया जारी है। मान्यवर, जनवरी के अन्त तक 538 आवास बन गये थे और मार्च के अन्त तक वह 700 बन जायेंगे, ऐसी पूरी आशा है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, निर्बल वर्ग के छात्र-छात्राओं को पोशाकें भी प्रदान की गई। इस वर्ष भी उतना ही धन इस कार्य के लिये रखा गया है।

देहरादून, उत्तरकाशी और टेहरी में बंधुवा मजदूरों की संख्या 8055 है जिनमें से 5043 बंधुवा मजदूर 135 लाख रुपये की मदद से लाभान्वित किए जा चुके हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के लिए 34.34 हजार रुपया दिए हैं और इतना ही शेयर प्रदेशीय सरकार का है। मान्यवर, आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 92 परिवार पिथौरागढ़ में ऐसे हैं जिनको प्रिमिटिव, आदिम जनजाति कहते हैं, उन पर अभी तक 2 लाख 60 हजार रुपया खर्च किया जा चुका है और वर्तमान वर्ष में भी 1 लाख रुपया उनके हितार्थ देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा मैं कम से कम समय लूंगा और थोड़ा-थोड़ा उन सभी पक्षों के बारे में कहूंगा जिनको शासन ज्यादा आवश्यक मान-कर चलता है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी जनसंख्या फौज में है, सेना में है। पौड़ी में उनके लिए वार विडोज प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्था-पित है उसमें शड के निर्माण के लिए इस वर्ष 2,45,700 रुपया दिया जा रहा है। उसके रख-रखाव के लिए 91,600 रुपये की व्यवस्था है। 1982–83 में उसके लिए 2,35,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, हमारे पर्वतीय जिलों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सेना में शहीद हो जाते हैं जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए गढ़वाल रेजीमेन्टल वार मेमोरियल वडायज होस्टल के लिए 5 लाख रुपया स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार रानीखेत में जो संचालित स्कूल है उसे कुमायूं रेजीमेन्ट को देने का प्रस्ताव है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए हल्द्वानी और लैंसडाऊन में विश्रामालय बनाने का प्रस्ताव है। देहरादून में जिला अस्पताल में 10 शैयायें उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं। लैंसडाउन में तो कोई अस्पताल नहीं है लेकिन उसके पास ही जयहरी खाल में जो अस्पताल है उसे उच्चीकृत करने तथा इसी प्रकार जोशीमठ में भी व्यवस्था की जायेगी तथा अन्य जगहों में भी आवश्यकता हुई तो उनके लिए विचार किया जायेगा और भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा दी जायेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में पेय जल की भी काफी कठिन समस्या है और दुर्भाग्य से जो जल स्रोत थे वह भी धीरे-धीरे सूखते जा रहे हैं। इसलिए सूख रहे हैं कि संभवतः अधिक जंगलों के काटने से असर पड़ा हो। इसलिए पेय जल को हमने महत्व का विषय माना है उसे विशेष ध्यान दिया एडिशनल आऊट्ले इस वर्ष दिया ताकि जल्दी से जल्दी अधिकतम मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके।

( व्यवधान )

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य हास्य में तो बहुत दिक्कत नहीं है लेकिन अट्टहास में दिक्कत है। इसलिए हास्य तक ही सीमित रहे।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

अधीक्षण अभियन्ता पौड़ी मंडल जल निगम का दफ्तर देहरादून में था उसे हम पौड़ी में ले गए हैं। पहले सामुदायिक विकास योजनाओं के द्वारा पेय जल योजना बनाई जाती थी और बहुत सी पेयजल योजनायें निष्क्रिय थी उनके रख रखाव के लिये पिछले वर्ष 20 लाख रु० दिया और इस वर्ष भी देंगे। जो उस समय स्कीम बनी हैं उसका यूटिलाइजेशन हो सके और थोड़े बहुत काम से उनसे लाभ लिया जा सके तो उसको करने का भी प्रयास किया है। श्रीमन्, 1981-82 में 505 ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार 10972 स्केयरसिटी विलेज हैं उनमें 1982 के अन्त तक 5330 गावों को पानी की सुविधा मिल जायेगी।

यही नहीं मान्यवर, पिछले वर्षों में बहुत सी योजनाएं बनीं, नल भी बिछे लेकिन सीमेन्ट की कमी या किन्ही कारणों से काम पूरा नही हो सका तो उन स्कीमों को भी पूरा कराया गया और जो स्कीमें किन्हीं कारणों से छूट गई उनसे पूरी-पूरी मात्रा में लोगों को लाभ मिल सके इसलिए नयी स्कीमों के साथ उनमें भी काम किया गया। यह भी हम प्रयोगात्मक रूप से विचार कर रहे हैं उसमें कहां तक सफल होंगे लेकिन विचार है कि जहां पर किसी तरह से पानी का श्रोत मिलना सम्भव न हो क्योंकि पम्पिग के माध्यम से करने में बहुत खर्चा आ रहा है और व्यय भार वहन करना और मेन्टीनेंस करना बहुत हद तक वित्तीय दृष्टि से कठिन है, और यह विचारणीय विषय है। विचार है कि इंपाउन्ड करके, फिल्टर करके उपयोग किया जाय। यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि अंतिम निर्णय हो गया हो, विचार हो रहा है। एक दिक्कत बराबर चली आ रही है जल निगम और जल संस्थान की, जल निगम निर्माण करता है और जल संस्थान रख रखाव करता है। जल संस्थान जल निगम की योजनाएं नहीं लेते हैं यह कह कर कि पूरी नहीं बनी हैं। तो इस द्वितीय स्तरीय स्थिति मे यह अन्दाजा नहीं लग पा रहा था कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, एक दूसरे पर दोषारोपण हो जाता है। इसलिए इस पर एक निर्णय लिया गया और मुझे आशा है और इसलिए भी आशा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी मंत्रिमंडल के निर्णय हों उनको तुरन्त से तुरन्त लागू किया जाए, कि इस जल निगम और जल संस्थान की द्वितीय स्तरीय प्रणाली को एकीकृत करके एक यूनिट बना दी जाएगी। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा इसको किया जाएगा। जो गांवों की छोटी-छोटी योजनाएं हैं, उनके रख-रखाव में अगर हमें स्थानीय लोगों का सहयोग मिल सकता है तो हम उनकी सेवाएं भी लेंगे ताकि कम खर्चे में स्थानीय लोगों को लाभ मिले और योजना भी ठीक से चलती रहे, इस बारे में भी सक्रिय रूप से विचार किया

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—]

जा रहा है और अगर इसका स्वागत किया जाएगा स्थानीय लोगों के माध्य से तो इसको निश्चित रूप से लागू कर दिया जाएगा ।

(इस समय 2 बज कर 31 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री केशरी प्रसाद पीठासीन हुए )।

मान्यवर, इसके बाद, जैसे मैंने पहले चर्चा की, पर्वतीय क्षेत्र में भूक्षरण, भूस्खलन, पानी के स्रोत के सूखने और जंगलों के कटाने को दृष्टिगत रखते हुए और आज के सन्दर्भ में जब कि हम उसका असर महसूस कर रहे हैं, तो इस पर भी बहुत प्राथमिकता देकर काम कराया जा रहा है। उसी दृष्टि से मैं कहूंगा कि कुल मिलाकर पर्वतीय क्षेत्र में चालू वर्ष में 3.24 करोड़ पौध लगाए गये और 82—83 में भी करीब 4 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। साथ ही इस बात की भी चेष्टा की गई है कि देवदार, फर, स्पूस, अखरोट, खड़िक, भीमल, खैर आदि प्रकार के वृक्ष पर्वतीय क्षेत्र में लगाए जाएं, जो स्थानीय लोगों के लिए पूरी तरह से लाभ के हों और उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करते हों। इस पर भी विचार किया जा रहा है कि जिस प्रकार विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत हमने 52 प्रतिशत रुपया जिला सेक्टर में दिया है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि वृक्षारोपण के काम के लिए भी हम व्यक्ति को, व्यक्तियों के समूह को या वोलेंटयरी सोसाइटी को जो इन काम को करना चाहेगी, हम उनको पौध, टेक्निकल सहायता, आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा। इसकी प्रतिक्रिया जनता से मालूम होने पर उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। मान्यवर, वनों की सुरक्षा के लिए पर्वतीय विकास विभाग से चार सशस्त्र दलों की स्थापना की गई है। क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई, हमारे कई फारेस्ट गार्ड्स मारे गए। इस वर्ष भी दो और प्रस्तावित हैं। वन्य जन्तु सुरक्षा के लिए नन्दादेवी वायोस्फेयर, गोविन्द पशु—विहार और केदारनाथ पशु—विहार की स्थापना की जा चुकी है। फूलों की घाटी, जिसका नाम दुनिया में है, उसके रख—रखाव की योजना भी शासन के विचाराधीन है और उस पर भी सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। इसी सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि योजनागत परिव्यय में 20 प्रतिशत का इजाफा तो हुआ ही गत वर्ष की अपेक्षा। इसके साथ—साथ हम लोग वर्ल्ड बैंक की सहायता से और फारेन ऐड से भी सहायता लेने के लिए प्रोजेक्ट बनाकर भेज रहे हैं और यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि भूमि संरक्षण कार्य कहीं पर सिंचाई विभाग द्वारा, कहीं पर वन विभाग द्वारा और कहीं पर स्वायल कन्जर्वेशन विभाग द्वारा किया जाता रहा है। वह तो एकीकृत रूप में होता ही रहेगा। 7000 स्थान ऐसे पाये गए हैं जिनमें सूक्ष्म जलागम क्षेत्र प्रबन्ध की व्यवस्था की जानी है और अनुमान यह है कि अगर आज के मूल्यों पर इनमें काम कराया जाय तो इस शताब्दि के अन्त तक 1000 करोड़ रुपया लगेगा। इसकी एक योजना भारत सरकार के पास भेजी गयी है। इसमें यूरोपियन आर्थिक समुदाय ने भारत सरकार को लगभग 3.57 करोड़ की सहायता 5 वर्ष में देने का आश्वासन दिया है और राज्य सरकार को भी इसमें 2 करोड़ 50 लाख रुपये के लगभग प्राप्त होंगे। राज्य सरकार की ओर से भी इस योजना के लिए कुछ धन लगाना पड़ेगा। हमें पूरी आशा है कि हम इस योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे सकेंगे। इसी प्रकार से सूक्ष्म जलागम क्षेत्र के लिए जर्मन आदि देशों से भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र की अर्थ—व्यवस्था को सुधारने के लिए हम दावा तो नहीं करते हैं कि हमें बहुत बड़ी सफलता मिल गई लेकिन इसे ठीक करने की कोशिश की

जा रही है और यही सोचकर इलैक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की है जो स्थानों का चयन करेगा कि कहां-कहां और किस-किस स्थान पर लगाये जा सकते हैं। देहरादून में इलेक्ट्रोनिक्स का कारखाना लगाये जाने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति मिल गयी है और उसके लिए स्थान भी निश्चित कर दिया गया है और प्रदेश की सरकार द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से इसी प्रकार लैंसडाउन में न्युक्लियस के रूप में और गोपेश्वर में भी ऐसे उद्योग खोले जा रहे हैं जिसके लिए प्रदेश व सरकार से अनुदान भी स्वीकृत किया जा रहा है, जो प्रोसेसिंग में है।

लघु कुटीर उद्योग के लिए वर्ष 1981-82 में 2200 इकाइयों को प्रोविजनल लाइसेन्स मिला है। जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से चालू वर्ष में 31.00 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 1982-83 में ऊन विकास योजना के विस्तार का भी प्रस्ताव है और इस समय गढ़वाल जन जाति विकास निगम इस काम को काफी मात्रा में कर रहा है और पिछले वर्ष दिल्ली में भी एक प्रदर्शनी लगायी गयी थी और उसके काम की वहां पर बहुत ही सराहना की गयी तथा डिजाइन आदि प्रदत्त कराने के लिए भी एक डिजाइन सेन्टर खोलने का भी प्रस्ताव है।

इसी प्रकार से रा-मेटीरियल के लिए भी मंडलीय विकास निगमों तथा लघु उद्योग निगम के सहयोग से हल्द्वानी और देहरादून में खोले गये हैं।

एस0 एस0 आई0 एल0 ( S.S.L.M. ) का स्टाकयार्ड तथा कोल इंडिया द्वारा कच्चा माल वितरित करने के लिए डिपो स्थापित कराये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप अभी और कितना समय लेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग के बजट में पुलिस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अतिरिक्त और सात चीजें होती हैं। मैं संक्षेप में एक-एक लाइन ही कह कर खत्म कर दूंगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, कई बातों की जानकारी देनी है।

श्रीमन्, इन दोनों निगमों के माध्यम से काम कराया जा रहा है। कोटद्वार में 1 करोड़ 28 लाख की लागत से एक प्लथ डोर फैक्टरी लगायी जा रही है। इसके लगने से निर्माण कार्यों में मदद मिलेगी और 350 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। लोन हमको इसके लिए हडको से मिला है और यह सस्ते ब्याज दर पर मिला है और इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी स्वयं निगम ने तैयार की है।

पर्वतीय अंचलों में गैस वितरण का काम भी शुरू हो गया है। अप्रैल, मई तक कोटद्वार, देहरादून और गोपेश्वर में गैस की एजेन्सी चालू होने की पूर्ण आशा है। जोशीमठ, कालागढ़, दुगड्डा, लैंस डाउन और मसूरी में गैस एजेन्सी आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--]

श्रीमन्, मैं कटौती का प्रस्ताव देख रहा था, इसमें वर्मा जी ने वन उपज के बारे में कुछ कहा है।

(व्यवधान)

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मोहान में भारत सरकार के सहयोग से इण्डियन फार्मेस्युटिकल कारपोरेशन आयुर्वेदिक दवाइयों के बनाने की इकाई का काम शुरू करेगा जिसमें निगम का 49 प्रतिशत अंश होगा।

गैस के बारे में एक बात और बता दूं कि 1980-81 में ही रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर में गैस के रजिस्ट्रेशन का काम आरम्भ हो गया।

एक बात और बताना चाहता हूं कि खनिज वस्तु से 1980-81 में 91 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ था जब कि 1980-81 में 1 करोड़ के प्राप्त होने का अनुमान है।

(व्यवधान)

पौड़ी-गढ़वाल में सोना धातु के सर्वेक्षण में तीव्रता का कांम भी मेसर्स भारत गोल्ड लिमिटेड के परामर्श से शुरू किया जा रहा है। चमोली में कर्ण प्रयाग के निकट मैंगनेसाइट का सर्वेक्षण 1982-83 में आरम्भ किया जायेगा।

यह सुझाव आया था कि प्रोडक्टिव सेक्टर में अधिक खर्च किया जाना चाहिये, इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है और इसमें हम सफल भी हुये हैं और 36 परसेंट से 44 परसेंट इधर हमने डाइवर्जन कर दिया है।

सिंचाई के लिये भी कई काम किये जा रहे हैं। इसके लिये अब तक 8 टैंक और 24 हाईड्रम्स बनाये गये और अगले साल का लक्ष्य उससे भी ज्यादा रखा गया ताकि जो भी खेती मौजूद है, उसमें लोग साग-भाजी आदि पैदा कर सकें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफी मात्रा में इसी दृष्टिकोण से उनकी आय में वृद्धि हुई है। कृषि में भी प्रगति हुई है। उत्पादकता में भी खासतौर से तिलहन और दलहन में वृद्धि हुई है। श्रीमन्, रानी चौरी हिल के पास, पन्तनगर यूनिवर्सिटी की बात हमेशा उठती रहती थी, उसमें बहुत प्रगति नहीं थी, श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र का स्वायत्त सर्वेक्षण किया जाय और वहां किस तरह से रिसर्च किया जाय। तो उसको बहुत द्रुत गति से दिया जा रहा है प्रोसेसिंग कराई जा रही है और इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए उसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

फलोद्यान में 1981-82 में 1 करोड़, 87 लाख, 1982-83 में 2 करोड़, 75 लाख रखा है। 20 लाख फूलदार पौधा के स्थान पर 32 लाख फलदार पौधे तैयार करने का इन्तजाम किया जा रहा है। अनुमान ऐसा है कि लगभग इस समय वार्षिक उत्पादन फलों में 2 लाख 50 हजार मीट्रिक टन, साक-भाजी 1 लाख मीट्रिक टन, आलू 2 लाख 70 हजार मीट्रिक टन है। फिर भी इसकी और वृद्धि कराने की चेष्टा की जा रही है और इसलिये की जा रही है कि यह भी शासन के सक्रिय रूप से विचार में है कि इन पैदावारों के विपणन की अगर व्यवस्था पूरी मात्रा में नहीं होती, तो वह इन्सेंटिव, प्रोत्साहन जो मिलना

चाहिये, वह मिलेगा नहीं । तो यह भी विचाराधीन है कि एक ही संस्थान से विपणन, प्रोसेसिंग आदि का काम कराया जाय और इनमें दोनों मंडलों का सहयोग लिया जाय । यह भी हर्ष का विषय है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में ही सेव पर स्कैब की बीमारी नहीं लगती, अन्य जगहों पर फल चुकी है । यह भी हमारे लिए अच्छा मौका होगा कि अगर हम स्कैब रहित पौधे प्रदान कर सकेंगे और आलू के क्षेत्र में सफलता भी मिली है । इस वर्ष 5 हजार कुंटल आलू का बीज करनाटक और पश्चिम बंगाल को भेजा गया । इस पर भी विचार किया गया और इसका प्राविधान किया जा रहा है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में भी अगर कोई फलों उद्यान करता है, कूल हाउस बनाना चाहे, तो उसे ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था की गयी है, ताकि प्रोत्साहन मिले । मसरूम उत्पादकों के लिए पिछले बर्ष हमने धन, ऋण के रूप में बढ़ाया है । अब यह भी तय कर लिया गया है कि मसरूम को कीटों से बचाने के लिए जो व्वायलर का प्रबन्ध किया गया है, उसके लिए भी ऋण देने के लिए विचार किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मन्त्री जी चाहते हैं कि इनकी कोई तारीफ न करें । समय का ख्याल रखा जाय, मान्यवर ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 1981-82 में नव निर्माण 500 किलो मीटर पूर्ण होने की आशा है । पुनर्निर्माण एवं सुधार में 180 किलो मीटर कार्य किया है और सेतु निर्माण में 27 पर कार्य किया है और हमारी उपलब्धि की पूरी-पूरी सम्भावना मार्च के अन्त तक है पिछले दिनों यह प्रश्न आया था, इसलिये मैं कहना चाहूंगा मान्यवर, अक्सर यह कहा जाता है कि 1980-81 और 1981-82 में सड़क का काम नहीं हुआ है । अब आप देखें चतुर्थ-पंचम तथा 1978-79, 1979-80, की वार्षिक योजना का स्पिल ओवर नव निर्माण 1779 किलो मीटर, पुनर्निर्माण 744 किलो मीटर और सेतु संख्या 125 है और इस काम पर 90 करोड़ की धनराशि लगी है । मैं इस बात से इसलिये अवगत करा रहा हूं यह वहां पर काम हुआ है और कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं है । जो पुरानी सड़कें मंजूर की गई उसके स्पिल ओवर पर भी कार्य हो रहा है । स्पिल ओवर प्लेन में भी होता है । मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां पर यह विकास के कार्य हुये हैं। मान्यवर, कई वर्ष पूर्व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के कार्यालय को पौढ़ी में खोलने का प्रस्ताव मंजूर हुआ था उसको मई, 1981 में लखनऊ से पौढ़ी स्थानान्तरित कर दिया गया है और कार्यालय भवनों की भी व्यवस्था की जा रही है । कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां सड़क बन जाती है लेकिन पुल न होने के कारण उसको खोल नहीं पाते हैं। पुल बनने में समय लगता है । इसके लिए हमने 4 सौ मीटर के पोर्टेबल (वेली ब्रिज) प्राप्त किये हैं। इनको टेहरी-मुरादाबाद मार्ग पर किलो मीटर 301 में गर्जिया पर 90 मीटर, सतपुली, दुधारघाट में 30 मीटर, चाफी में 30 मीटर वोसाल में 40 मीटर और कोटद्वार में 90 मीटर लगाया गया है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

चार सौ मीटर का वेली ब्रिज ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यह सभी मिलाकर है । जोशीमठ नैनीताल में रज्जुमार्ग स्वीकृत ही गये हैं । इसके साथ ही भारत सरकार से ट्रेकिंग उपकरण हेतु 6 लाख 25 हजार रुपया प्राप्त किया गया है । चेष्टा इस बात की की जा रही है कि भारत सरकार से और सहायता लेकर शीतकालीन क्रीड़ा व्यवस्था भी की जाय । श्रीमन्, पर्यटन सेक्टर में राजकीय निर्माण निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से दोनों मण्डलों के माध्यम से इसको अधिक से अधिक द्रुत गति से किया गया है । वहां पर टूरिस्ट हाउस बनाने का काम किया जा रहा है । चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में 1981-82 का जिक्र नहीं करना चाहता हूं । क्योंकि वह इस किताब में है ।

श्रीमन् 1982-83 में अल्मोड़ा में 200 शैय्याओं के बेस अस्पताल का कार्य जल्दी ही शुरू हो जायेगा और श्रीनगर में 200 शैय्याओं के बेस अस्पताल के लिये साइट सेलेक्शन प्रारम्भिक रूप से जिलाधिकारी ने कर लिया है लेकिन उसके लिये ज्योलाजिस्ट की रिपोर्ट मांगी जानी है । इसके अलावा मान्यवर, भुवाली में अस्पताल में ओईडेल केवरा एक्सरे मशीन लगायी गयी है ।

मान्यवर, जनपद मुख्यालय में यह भी प्रस्ताव है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति रहे इसके लिए जहां डाइरेक्ट फीडर लाईन संभव है वहां डाइरेक्ट फीडर लाईन और जहां संभव नहीं है वहां डीजल जेनरेटर की व्यवस्था की जा रही है और इस साल प्राविधान भी है ।

श्रीमन्, अब मैं प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के बारे में कहना चाहता हूं कि इस पर विशेष बल दिया गया है । प्रदेश में 6 से 11 वय वर्ग में जाने वालों की संख्या 72 प्रतिशत है, पर्वतीय क्षेत्र में 93 प्रतिशत है और 1982-83 म लक्ष्य 99 प्रतिशत है । इसी उद्देश्य से वर्ष 1981-82 में 115 प्राइमरी स्कूल और 34 जूनियर हाई स्कूल खोले गये और 1982-83 में 129 प्राइमरी स्कूल एवं 22 मिडिल स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव है ।

मान्यवर, 80-81 में यह भी निर्णय लिया गया है कि कुछ प्राइमरी स्कूल ऐसे थे चूंकि 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर का मानक है लेकिन आबादी का घनत्व, ऊपर कम है, इसलिये 40 से कम होने पर वहां एक ही अध्यापक रहता था और वह बीमार हो गया तो स्कूल बंद हो गया इसलिये निर्णय लिया गया कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 फीट से ऊपर 2 अध्यापक रहेंगे 1626 बी०टी०सी० ट्रेंड अध्यापकों की नियुक्ति की गयी और यह---सुविधा दी गयी जिससे पढ़ाई में व्यवधान न हो । मान्यवर, 1982-83 में नये हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज खोले जाने का प्रस्ताव है ।

श्रीमन् हमने एक योजना चालू की थी, जिसमें तय किया गया था कि डिग्री कालेज की मांग के बजाय गरीब किन्तु मेधावी छात्रों को हम 100 रुपये से 125 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दें जिन्हें 50 प्रतिशत से ऊपर नम्बर इंटर में मिले होंगे लेकिन उनके अभिभावकों की आय 7,200 रुपये वार्षिक से कम हो, लेकिन इसके बावजूद मांग अभी भी बनी है और इस संदर्भ में माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि श्रीमन, जम्मू-कश्मीर की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार

57 लाख 65 हजार है और हमारी 48 लाख है लेकिन जम्मू काश्मीर में 28 डिग्री कालेज हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कालेज एक भी नहीं है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में 10 डिग्री कालेज हैं, 17 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज हैं। तीन विश्वविद्यालय हैं। एक विश्वविद्यालय के तीन कैम्पस हैं और एक विश्वविद्यालय के दो कैम्पस हैं।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय मन्त्री जी एक घन्टे से भाषण कर रहे हैं, जवाब भी देंगे। इनको कुल 35 मिनट बोलना चाहिये। नौटियाल जी को भी बोलना है और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप इनसे बन्द करने के लिये कहें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी को इतना ध्यान है, आप बैठ जायं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

बस मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं।

द्वाराहाट (अल्मोड़ा) और नारायणनगर में राजकीय डिग्री कालेज स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। आई0 टी0 आई0 में सीटें बढ़ायी गयी हैं।

ऋषिकेश में अति हिमकृत वीर्य केन्द्र अगले वर्ष चालू हो जायगा।

श्रीनगर का नाइट्रोजन प्लान्ट भी अगले वर्ष से काम करना शुरू कर देगा।

विद्युत् को भी हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पहले 466 ग्रामों को इनर्जाइज करने की योजना थी, लेकिन 500 ग्राम कर दिये जायेंगे और साथ ही साथ हम रुड़की विश्वविद्यालय से तकनीकी जानकारी लेकर 3-4 स्थानों पर छोटे-छोटे माइक्रो-हाइडिल प्लान्ट और जहां पानी उपलब्ध है, वहां भी स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

चूंकि समय कम है और मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के और जो सुझाव आयें उससे हम भी फायदा उठायें, इसलिए इन शब्दों के साथ फिलहाल अपनी बात समाप्त करता हूं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33-पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी के एक घन्टे के भाषण से केवल एक मात्र यही झलक मिलती है कि मन्त्री महोदय केवल स्वप्नलोक का विचरण करवाते रहे। इस बजट से पर्वतीय अंचल के साथ जितना धोखा

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—]

हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका अन्य कोई उदाहरण नहीं है। इस बजट में आने वाले समय के लिये भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है और पर्वतीय क्षेत्र के जनजीवन को अधर में लटकाने वाली यह बजट आया है। उनके एक घन्टे के भाषण के पश्चात् यही निष्कर्ष निकलता है कि लगातार तीन बजट भाषण करने के साथ पर्वतीय क्षेत्र की जनता के साथ मंत्री जी ने धोखा ही किया, पर्वतीय क्षेत्र की जनता का कुछ नहीं किया। आपने कहा कि पर्वतीय विकास विभाग का कार्य नियोजन करना भी है। इस बात के लिये पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पर्वतीय विकास विभाग का कार्य नियोजन करना नहीं है, यह कार्य पर्वतीय विकास परिषद् का है और एक साल से ज्यादा हो गया पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग तक नहीं हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया। 27 दिसम्बर, 1980 को मीटिंग हुई थी इस मीटिंग में मुख्य मंत्री जी ने कहा था हर महीने में मीटिंग बुलायेंगे परन्तु उन्होंने भी अपना वायदा पूरा नहीं किया। बिना परिषद् की मीटिंग बुलाये बजट प्रस्तुत हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने और आपने पर्वतीय क्षेत्र के साथ घोर अन्याय किया कि पर्वतीय विकास परिषद् की कोई भी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी।

मान्यवर, यह बजट पर्वतीय क्षेत्र का, पर्वतीय विकास का हो ही नहीं सकता। इन्होंने जो पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये साहित्य दिया हो उसे उठा कर आप देखें मान्यवर, कि उसमें पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये कुछ दिया ही नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिये पर्वतीय विकास परिषद् की सिफारिश आवश्यक है। यह बजट प्रस्तुत करने की माननीय मंत्री जी की अपने घर की नीति हो सकती है, उनके विभाग की नीति हो सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र के जितने विधायक हैं उनकी सहमति इसमें नहीं है तो यह बजट हमारा हो ही नहीं सकता, इसमें पर्वतीय विकास परिषद् के सदस्यों से सहमति नहीं ली गयी है।

आप कहते हैं कि हम परम्पराओं को नहीं मानते, ठीक ही कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि यह सरकार परम्पराओं को मानती ही कहां है। यह बजट प्रस्तुत किया गया और उसमें भी पर्वतीय विकास परिषद् की पुरानी परम्परा को इस सरकार ने नहीं माना। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने क्षेत्र के विकास के लिये योगदान न करे। आपने घोषणा की कि हमने विकेन्द्रीयता के आधार पर बजट बनाया है। क्या ही अच्छा होता, यदि इसमें आपने पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों और पर्वतीय विकास परिषद् के लोगों की राय ले ली होती, परन्तु आपने ऐसा करना उचित नहीं समझा यहां पर भी आपने परम्परा को तोड़ा है।

जो पुस्तक आपने पर्वतीय क्षेत्र के जिलों की योजनाओं की संरचना के बारे में दी है उस विषय में आपके सचिव महोदय का पत्र गया है, इसके पेज 16 पर रोड और ब्रिजेज के बारे में कि रोड्स एन्ड ब्रिजेज 1—डिस्ट्रिक्ट एन्ड अदर रोड्स 2—रूरल रोड्स, रिवाइज्ड मिनियम अवर प्रोग्राम, रूरल रोड्स, अदर देन रिवाइज्ड मिनियम अवर नीड प्रोग्राम सर्वे एन्ड इन्वेस्टीगेशन इसको भी हटा कर आप ने जिले के स्तर से हटा कर राज्य स्तर पर ले आये। प्राइमरी स्कूलों को छोड़ कर सारे को आप राज्य स्तर पर ले आये। आपने पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के लिये क्या जिला स्तर पर योजनायें बनायी हैं, यह हमको बताइये यदि बनाई हैं तो ?

मान्यवर, जिस तरह से प्रदेश के बजट में हमारे यहां नियोजन आयोग का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र के बजट को बनाने म पर्वतीय विकास परिषद् का योगदान है। आपने पर्वतीय विकास परिषद् की सिफारिशों को इसमें शामिल ही नहीं किया। यह आपने जो परम्पराओं को छोड़ कप काम किया यह पर्वतीय क्षेत्र के साथ घोर अन्याय का व्यवहार किया है, यह निन्दनीय है, अपमानजनक है। यदि किसी सदस्य में जरा सी भी गैरत है सम्मान है तो उसे इस प्रकार के निर्णय को घोर निन्दनीय और अपमानजनक मानना चाहिए। माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इसको उन्हें नहीं मानना चाहिए। क्योंकि यह बजट पहाड़ के लोगों का बजट नहीं है।

आपको बड़ा गौरव है कि आपने 87,55,80,000 रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। आप जरा विचारपूर्वक इसको देखें कि 1,400 करोड़ का पहला बजट था और अब 1,900 करोड़ का हो गया और इसमें 200 रुपये का अंशदान हमको मिलना चाहिए था। अब क्या मिल रहा है? इसका माननीय मन्त्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया और इस तरीके से हमारा बजट प्रस्तुत कर दिया। यदि पूरी तरह से इसको हम देखें तो इसमें 400 करोड़ रुपये का हमारा बजट होना चाहिए था।

यदि आप जनसंख्या को ले लें तो हमारा यह बजट 306 करोड़ रुपये का होना चाहिए था। यदि जिला के हिसाब से देखें तो मान्यवर, आठ जिले हैं, इस हिसाब से 560 करोड़ रुपये का बजट होना चाहिए था। आप 120 करोड़ रुपये का बजट ले कर के हमको बताते हैं कि इसमें केन्द्र सरकार का अनुदान क्या है। इसको पेश करने में आपको बड़ा गौरव हो रहा है। मान्यवर, इस बजट में बहुत कमियां हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के आठ जिले साल में शासन को 108 करोड़ रुपये देते हैं। यदि हमको प्रदेश के बजट से केवल 48 करोड़ रुपये का अंशदान मिलता है तो उससे हम चटनी बना कर भी चाट नहीं सकते हैं। केन्द्र से अनुदान ले कर पर्वतीय क्षेत्र की जनता के साथ घोर अन्याय किया गया है। आपने जो परम्परायें तोड़ी हैं यह आपको आने वाला समय ही बतायगा। समय कभी किसी का साथ नहीं देता है, यह आपके आने वाला समय ही बतायेगा कि आपने किस-किस के साथ क्या धोखा किया है। आप कहते हैं कि हमने बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। मैं बताता हूं कि आपने कीमतों में 30 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि कर दी है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आपने बढ़ोत्तरी बजट में नहीं की है। जहां तक मूल्यों के नियन्त्रण करने की बात है, वह इसमें कमी नहीं आ पायी।

हां, आपने एक विभाग की वकालत की है और उस विभाग से माननीय मन्त्री जी का सीधा-सीधा मधुर सम्बन्ध है। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कार्यों में नियन्त्रण विभाग के द्वारा होता है लेकिन यदि कोई विभागीय अधिकारी इसमें सक्षम न रहे, कुशल न हो तो वह पर्वतीय क्षेत्र में रह ही नही सकत है। कोई भी अधिकारी केवल पर्वतों में केवल रह तभी सकता है, जब पर्वतीय विकास मन्त्री की स्वीकृति उसे मिलती है। तभी वह वहां रह सकता है अन्यथा नहीं। आपने यातायात की बात कही। आपने इस सम्बन्ध में तीन बजट भी प्रस्तुत किये। अब मैं उसके बारे में कहता हूं कि अभी तक अपने तीन बजटों में आपने 87 करोड़ रुपये पी0 डब्लू0 डी0 को दे दिये हैं। आपने कहा कि हमसे कोई गिला-शिकवा नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जहां पर सड़कें बनी हैं। यहां मैं आपके

[डक्टर शिवानन्द नौटियाल—]

उत्तर को पढ़ देता हूं जो आपने विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छठें बुधवार को प्रश्न सख्या 3 के उत्तर में दिया था कि 1980-81 और 1981-82 में कि आपने 8 जिलों में केवल 40 किलो मीटर सड़कें बना दी हैं। अगर आपने यह गलत कहा है तो मान्यवर, आप मेरा विशेषाधिकार का यह प्रस्ताव मान लीजिये कि माननीय मन्त्री जी ने एकबार नहीं बल्कि दो बार सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है।

गढ़वाल चुनाव की तैयारी कर अभी आप लौटे हैं। आपने कोटद्वार में भाषण दिया कि हमने 500 किलो मीटर सड़क पर्वतीय क्षेत्र में बना दी है। मैं फिर कहूंगा कि आपने स्वप्नलोक की जगलरी में सड़कें बनाई होंगी या बना रहे होंगे तो अलग बात है परन्तु गढ़वाल कुमायूं में ही इस विभाग का काम ठप्प पड़ा है। स्वप्न की बात तो अलग है पर मुझे उसमें भी सन्देह है कि उसमें भी बना पाये हैं या नहीं, पता नहीं। मान्यवर, चुनाव लड़े जा रहे हैं देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और चमोली में। यहां सड़कों का निर्माण देहरादून में ढाई किलो मीटर पौड़ी-गढ़वाल में 4 किलो मीटर और चमोली में 2 किलो मीटर मोटर-मार्ग निर्माण हुआ, पुरानी सड़कों पर तो अभी काम हुआ ही नहीं क्योंकि उनसे सीधा-सीधा सम्बन्ध आपका है। आपने विधान सभा के प्रथम सन 1982 के 7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दिया था कि, उसमें जिलों के आधार पर कहा गया था कि कितने मोटर मार्ग बने। 1981 के सत्र में प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में आपने कहा था कि कुछ पुल और सड़कों आदि का निर्माण किया गया है परन्तु केवल 40 किलो मीटर सड़क बनी है। मान्यवर, उस उत्तर में आपने कहा कि एक झूला पुल को बनाने में तीन साल का समय लगता है और मान्यवर, झूल पुल, जो पी0 डब्लू0 डी0 के रिक्त पुल पड़े हुए थे उन्ही को लगने थे। लेकिन इस पर भी मन्त्री जी ने वकालत की कि 3 वर्ष में बनेगें। यह खुले रूप से उन की सिफारिश है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौड़ी थैली सैण रोड पर कलगड्डी नामक स्थान पर एक मोटर का पुल केवल 15 दिनों में बना। 34 दिन में कर्ण प्रयाग नौटी मार्ग का पुल बना। 28 दिन में आदि बदरी का पुल बना। ऐसी हालात में जब मन्त्री जी खुद कहें कि 3 साल एक झूला पुल को बनाने में लगेगें तो अधिकारी तो 6 साल में बना देंगे तो बड़ी गनीमत होगी। अगर आप की भावना ठीक हो तो सभी मोटर रोड ठीक समय पर बन सकते हैं लेकिन आप का तो उनके विभाग से समझौता है और सीधी-सीधी इसमें हिस्सेदारी आप की भी है जिससे काम होता ही नहीं।

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

मन्त्री बीमार रहते हैं। जो करने वाले हैं वे तो नहीं रहते। लैंसडाउन डिवीजन के एक्जीक्युटिव इंजीनियर, गढ़वाल के अखबारों में विज्ञापन नहीं देते। विज्ञापन लखनऊ के एक अखबार में छपता है और मन्त्री जी के इशारे पर टेन्डर दिये जाते हैं। उन्हीं लोगों को टेन्डर मिलते हैं जो मन्त्री जी के इशारे पर चलते हैं।

सिद्ध खाल वीरों खाल मोटर मार्ग के जाब नं0 35, 36, 39, 41, 43 तथा 44 से 60 तक के जोनों के टेन्डर दिये गये कम रेट पर और बाद में उनसे अधिशासी अभियन्ता की दोस्ती हो गई और इन्होंने ठेकेदारों से कहा कि अपनी जमानत जब्त करवा लो। जमानत जब्त करने के बाद फिर उन्हीं लोगों से फुल रेट पर काम करवाया गया। यह सोचने की बात है। यह कोई आलोचना की बात नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र का मामला है, सब को वहां रहना है।

लैंस डाउन और कोटद्वार डिवीजनों में टेंडर उन्हीं को दिये जाते हैं जिन को मन्त्री जी द्वारा सार्टिफिकेट मिल जाता है अन्यथा उनके लिए वहां कोई काम नहीं है। यही नहीं, ठेकेदार भी अब बाहर से आने लगे हैं। तीन मर्डर चमोली जिले में हो गये हैं पिछले दो वर्षों में। जब ठेकेदार ने पैसा मांगने की बात की तो उसे गंगा जी में बहा दिया गया। इस पर सारे गढ़वाल में बड़ा आन्दोलन हुआ। कर्ण प्रयाग से नैनीसैंसा तक एक सड़क बन रही है, एक पी0 डब्लू0 डी0 का डिवीजन गोचर में, एक कर्ण प्रयाग में है तथा एक रुद्र प्रयाग में है, लेकिन काम ऊखीमठ के इंजीनियर को दिया गया। इसके पीछे रहस्य क्या है? मगर मैं इसे रहस्य में ही रहने देना चाहता हूं। मन्त्री जी के अपने इलाके में 40 प्रतिशत कमीशन तय करके खुले आम फुल रेट पर ठेके दिये जा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर आप पाक-साफ आदमी हैं तो कम से कम इसकी इन्क्वायरी तो करा दें इससे जनता के सामने तथ्य उभर कर आ जायेंगे कि गड़बड़ी कैसे-कैसे और किनके द्वारा हुई या हो रही है। और अगर नहीं करवा सकते तो साफ-साफ बात जाहिर है कि आप क्यों नहीं करवाना चाहते। यही बात सिद्धखाल के सम्बन्ध में है। वहां पर 60 हजार रुपया इन्जीनियर महोदय खा गए और एफ0 आई0 आर0 क्लर्कों के ऊपर लिखवा दी। पर्वतीय अंचल के माननीय मंत्री जी मुख्य मंत्री हैं, भाग्य विधाता हैं या दूसरा कुछ जो समझ लें वह हैं। मंत्री जी ने कहा कि सीमेंट की कमी है। देवप्रयाग का पुल 4 साल पहले का मंजूर है और उसके लिए 35 लाख 60 हजार रुपये मंजूर हैं लेकिन कह दिया गया कि सीमेंट नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं बन रहा है। जब कि मंत्री जी के एक चहेते को 300 बोरी का परमिट पहुंच गया और उस तहसील में इसीलिए आपने अपना तहसीलदार रखा है और सारे गढ़वाल की जनता ने कहा कि उसको बदल दें लेकिन मंत्री जी ने उसको नहीं हटाया क्योंकि उसके जरिये सीमेंट और पैसा मंत्री जी को भी मिलता रहेगा।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

वह रखा भी तो आपकी ही सिफारिश पर गया था।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

अब मैं यह सिफारिश करता हूं कि उसको तत्काल वहां से हटा दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक गढ़वाल के कितने विधायकों की सिफारिश पर वहां सीमेंट गया है। हमारी सिफारिशों पर कितना मिला और बिना सिफारिश के कितने लोगों को मिला इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाय। मान्यवर, जिस विभाग को इन्होंने सबसे ज्यादा रुपया दिया उस विभाग की यह हालतें हैं। इसी प्रकार शिक्षा विभाग का माननीय मंत्री जी का उत्तर मेरे पास है। इस समय गढ़वाल और कुमायूं मण्डल के 135 विद्यालयों में प्रिंसिपल नहीं हैं। गढ़वाल के विद्यालयों में 90 प्रतिशत अध्यापक नहीं हैं और काम किया है मंत्री जी ने यह बड़े योजनाबद्ध ढंग से इसको करवा रहे हैं। गढ़वाल में इन्होंने एक डिप्टी डाइरेक्टर भेजा हुआ है। वह 5 हजार सी0 टी0 का दस हजार हाई स्कूल और पन्द्रह हजार आगे की नियुक्तियों में खुले आम लेता है और कहता है कि हमें मंत्री जी को भी हिस्सा देना है। इसी तरह से डी0 आई0 एस0 को ऐसा बना दिया है जो कि गढ़वाल में ही था और उसी का प्रमोशन कर दिया है जब कि नियम में ऐसा नहीं है। वहां स्कूल के लिए भवनों का पता नहीं है, साज-सज्जा का पता नहीं है और उसके लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं है और

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—]

कहते हैं कि हमने 50 प्रतिशत तो क्या 52 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिये करवा दिया ।

(व्यवधान)

हम तो बच्चे हैं, आप अपनी सोचें । कब तक नौकरी करोगे । ईमानदारी से सोचो कि क्या हो रहा है प्रदेश का ।

एक सदस्य—

आप से ही उम्मीद है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

अगर मुझसे उम्मीद है तो सीधे-सीधे इधर आ जाओ ।

प्रान्तीयकरण विद्यालयों में अध्यापकों की समस्या ज्यों की त्यों है । आज से दो साल पहले आपने कहा था कि गढ़वाल में 7 डिग्री कालेज खोले जायेंगे तो इन दो सालों में वे कहां गायब हो गये । अपने क्षेत्र भृगुखाल तक में ही डिग्री कालेज खोलवा दीजिए । मेरे क्षेत्र में तो आपने प्राइमरी स्कूल तक नहीं खोलवाया । न हो तो एक डिग्री कालेज थेलीसेन में ही खोलवा दीजिए । कम से कम गढ़वाल को तो डिग्री कालेज दीजिये । डिग्री कालेज में साइंस पढ़ाने के लिये व्यवस्था नहीं है । अध्यापक नहीं हैं, हाई स्कूल व इंटर कालेजों तक में साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं है । आप सोचें कि आजकल के विज्ञान युग में भी अगर बिना साइंस अध्यापक के ही लड़के स्कूलों से पास होते रहे तो आगे क्या होगा । माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 7200 रुपये सालाना जिसकी इनकम होगी उनके बच्चों को जो 50 प्रतिशत नम्बरों से पास होंगे, उनको 100 रुपये से 120 रुपये तक देंगे । आप सोचते हैं कि आपने यह बड़ा भारी काम कर दिया है । मैं पूछता हूं कि गढ़वाल में कौन ऐसा है जिसकी आमदनी 7200 रु0 से ऊपर है । सारे लोग उसके नीचे आ जाते हैं । बिना मास्टर के, बिना साइंस अध्यापक के भी अगर लड़के पास हो रहे हैं अपने परिश्रम से तो इसको नामित समझिये । जो गरीब लड़के अपने परिश्रम से पास हो रहे हैं, ऐसे गरीब लड़कों को आप इस तरह की आर्थिक मदद क्यों नहीं देते यह बात मेरी समझ में आती नहीं है ।

मान्यवर, अब मैं जल सम्पूर्ति विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । गढ़वाल का यह जो जल सम्पूर्ति विभाग है, पी0 डब्ल्यू0 डी0 के बाद यह सबसे भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट है । मेरे पास आपके पहले के आंकड़े हैं और आपका उत्तर भी है । आपके उत्तर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि चौरा-सैंण पेयजल योजना, जो चमोली जिले में है, उसका सारा का सारा रुपया डकार गये और अभी तक पानी नहीं मिला । मध्य जुमाखेत और गैर सेण पेयजल योजना का सारा का सारा रुपया खा गये और वहां भी पानी नहीं मिला । टेहरी गढ़वाल के हिंडोल्याखाल योजना के अन्तर्गत 100 गांव वालों को वहां से हटा दिया जा रहा है और आज तक भी वहां पानी नहीं पहुंचा । इसी तरह से पौड़ी गढ़वाल के लोगों को भी पानी नहीं मिल पाया । जहां आपने पौड़ी वालों को पीने के लिए पानी नहीं दिया वही हालत पिथौरागढ़ की भी है । क्या यह सत्य बात नहीं है ? ऐसे विभाग में रुपया देकर पर्वतीय क्षेत्र की जनता के साथ धोखा नहीं तो और क्या है ? हम रुपया देते रहें और ये डकारते रहें । ये मंत्री जी उसमें से हिस्सा लेते रहें और हम कुछ बोलें नहीं, इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र का अहित होता रहे, यह पर्वतीय

क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है ? इसलिए विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

11 गाड़ियां मिली हुई हैं । एक गाड़ी तुम भी लेकर चले आओ और गढ़वाल की गंगा में गोता लगा लो । अगर इस समय गोता नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे ?

(व्यवधान)

गढ़वाल में बहुगुणा के बोनस में दूसरों के साथ-साथ मंत्री जी भी हिस्सा ले रहे हैं ।

अब मैं कृषि विभाग पर आता हूं । कल ही माननीय मंत्री जी ने एक डिप्टी डाइरेक्टर की बात की । वहां के माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे कि गढ़वाल, कुमायूं में एक कीड़ा होता है कुरमुला जिसने सारी खेती बरबाद कर दी है । इसे मारने के बहाने विभाग के लोगों की रोजी रोटी चल रही है । जिन जिलों में उसको मारने के लिए दवाई पड़नी चाहिए थी । अभी तक नहीं पड़ी । 16 फरवरी को डिप्टी डाइरेक्टर ने लखनऊ की एक फर्म को आर्डर दिया हिसाब पटा नहीं । 24 तारीख को सप्लाई का आदेश पहुंचा था कि डिप्टी डाइरेक्टर ने कैन्सिल कर दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

डा0 नौटियाल साहब, आधा घन्टा हो गया ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मैं तो एक घन्टा बोलूंगा . . .

श्री अधिष्ठाता--

और माननीय सदस्यों को भी अवसर द . . .

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यह तो अनर्थ अन्याय होगा । आप समय बढ़ायें हम बैठने के लिए तैयार हैं ।

मान्यवर, यह बता रहा हूं कि कृषि निदेशक, पौड़ी मंडल ने 16-2-82 को मेसर्स रैलीज इंडिया लिमिटेड, लखनऊ, जो एक बहुत बड़ी फर्म है, को सप्लाई का आदेश दिया । आप इसको नहीं कर सके और 24 तारीख को आदेश कैंसिल कर दिया । जून, जुलाई से लोगों की खेती बरबाद हो गई, दवा कहां है, पता नहीं। कृषि विभाग का जो कार्य पर्वतीय क्षेत्र में हो रहा है वह ज्यादा निराशापूर्ण है । एक विभाग की मैं प्रशंसा करता हूं और वह है हार्टिकल्चर विभाग, फलोत्पादन विभाग । लेकिन फलोत्पादन विभाग को इन्होंने छोड़ा नहीं है । फलोत्पादन विभाग में इनके डाइरेक्टर हैं जो आज से पांच साल पहले भारतवर्ष के पांच पुरस्कार जीत चुके हैं और गढ़वाल, कुमायुं फल संरक्षण पर दस पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं । उनके साथ अन्याय किया गया है । जो कार्य वह कर सकते थे उस कार्य में व्यवधान पैदा करने के साथ-साथ विपणन की स्थिति सामने आई है ।

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

आलू सड़ रहा है, फल सड़ रहे हैं। कह रहे हैं बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। इससे पर्वतीय क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है। अब तक विपणन की समस्या का हल नहीं ढूंढा गया।

आलू की खेती करने वालों के आलू को कहीं भी कोई पांच रुपये कुन्तल से ज्यादा पर नहीं उठा रहा है। मान्यवर, आपको (मंत्री को) व्यवस्था करनी चाहिये ताकि पहाड़ के किसानों की समस्या हल हो सके। आप व्यवस्था नहीं करेंगे। आप व्यवस्था करेंगे रेलवे डिपार्टमेंट की। रेल चलानी है केन्द्र सरकार को और केन्द्र सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन है, उसका अपना बजट है। आपने 63 करोड़ रुपये देकर के पर्वतीय अंचल के साथ अन्याय किया गया है। रेलवे द्वारा लाइन बनाने के लिए केन्द्रीय बजट में पर्याप्त प्राविधान है, आप ने हमारे यहां से रुपया दे कर आप ने पर्वतीय अंचल के साथ धोखा किया है। यही बात नहीं, मान्यवर, लघु सिंचाई में भी कमाल किया है, मंत्री जी ने। ठीक आधा कर दिया है उस का बजट। इस के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस के दो कारण हो सकते हैं। विभाग में कटौती की गई या दलाली हुई है तो उस में मंत्री जी का काम बना नहीं है।

भूमि संरक्षण का जहां तक सवाल है, एक ऐसा डिपार्टमेंट यह है कि स्वयं वनों के आधार पर खाना चाहता है। आपने कहा है, मैंने कहीं नोट किया था, शायद तीन करोड़ पौधे लगाये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जीवित कितने हैं। तीन करोड़ में से जीवित स्थिति में कितने हैं। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं जरा बता दें कहां हैं?

श्री बिहारी लाल--

मेरे साथ चलिए आपको दिखा दूंगा।...

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

बिहारी लाल जी इतना बिहार मत करिये, सच बात करिये।

श्री बिहारी लाल--

बिहार की बात नहीं है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मंत्री जी ने हांडा के साथ 8 करोड़ 34 लाख का प्राविधान किया है। लोग पहाड़ी में हाडा को कहते हैं हड्डी। हमारी सारी हड्डी चकनाचूर कर दी गयी है इस स्कीम के द्वारा। लोग भैंस खरीद रहे हैं और हड्डियां प्राप्त हो रही हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी तीन दिन पहले एक ब्लाक, जिसका मुख्यालय पौड़ी है, विभाग के द्वारा एक भैंस खरीदी गई। भैंस पर मुहर लगायी गई। एक नया तरीका निकाला है और जब समझौता हुआ कि पुरानी भैंस अपनी निकालो तो मोहर लगाकर चले गये और जब रुपये की बात आयी तो कहा कि हम गाय को नहीं देते। इस तरह से भैंसें खरीदो, गाय खरीदो, आधा हिस्सा लो, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इस स्कीम से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है।

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत माननीय मन्त्री जी ने बड़ी विद्वता का परिचय दिया है। मैं तो पिछले साल और उससे भी पिछले साल से

निवेदन करता आ रहा हूं। अभी परसों न मालूम कौन-सी कृपा माननीय मन्त्री जी की मेरे ऊपर हो गई। वह आपके अनुकूल पड़ गयी होगी, लेकिन नाम उसमें मेरा ले लिया। मैं तीन साल से कहता आ रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के ब्लाकों को अधिक रुपया दिया जाय, जिला परिषदों को अधिक रुपया दिया जाय, लेकिन वहां रुपया नहीं देंगे। इस बजट में भी वही हालत है। जिला परिषद् के लिये 16 लाख रुपये का प्रविधान किया गया है जब कि हमारे 8 जिले हैं। दो-दो लाख रुपया एक-एक को मिला। क्या इसका चन्दन लगाना है, कोई तिलक लगाना है। विकास खण्डों के अनुदानों की भी वही हालत है। इसमें बढ़ोत्तरी हुई है अब तक 18 लाख का अपने 36 लाख किया है लेकिन जितने हमारे ब्लाक हैं उनको यह रुपया दे दिया जाय तो एक-एक ब्लाक को एक-एक बकरी भी हिस्से में नहीं आती है। इसको सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत मान्यवर, आप देखें तो यह पैसा बहुत ही कम है। वही पुरानी चीज इसके अन्दर की गई है कोई नई धारणा, नई विचार धारा, नई परम्परा आप नहीं कर पाये हैं।

सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं। सहकारिता तो माननीय मन्त्री जी ने गायब ही कर दिया। या तो मैंने सुना नहीं या सुना है तो ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, सहकारिता विभाग एक ऐसा विभाग है जो भी मन्त्री वहां जाता है उसके लिए पहले वहां दक्षिणा वसूल होती है। मेरे पास आंकड़े हैं। मन्त्री जी, आपके विभाग के, आपके दल के महा सचिव हैं या अध्यक्ष हैं, एक करोड़ 50 लाख का गबन कर दिया और बैठे हैं। माननीय नरेन्द्र सिंह भण्डारी, एम0 एल0 ए0 बैठे हुये हैं, इनके जाली दस्तखत करवा दिये और पैसा ले लिया। आज मोहम्मद सद्दीक जिसने जाली दस्तखत करवाये वह तो खुले-आम घूम रहा है और बेचारा सेल्समैन जेल के सिकंजों में बन्द पड़ा है

(व्यवधान)

नाम तो आपही ने दिया था। होना यह चाहिये था कि उस व्यक्ति को जेल खाने में होना चाहिये था लेकिन चूंकि माननीय मन्त्री जी ने नाम दिया था इसलिये न्याय कैसे होता। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जेल के अन्दर बन्द कीजिये और दुनिया को यह दिखाये कि हम भी निष्पक्ष हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको यह कहें कि आप निष्पक्ष हैं तो दोषी व्यक्ति को सजा दें और इसका एक परिचय दें

(व्यवधान)

मान्यवर, उद्योग और खनन के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें भी जगलरी है। बृहद् एवं मध्यम उद्योग, ग्रामीण लघु उद्योग, उद्योग निदेशालय, हथकरघा निदेशालय हैं, ये रुपया दे रहे हैं और गाड़ी देकर।

(व्यवधान)

यह पैसा आपका नहीं है। देश का है। प्रदेश की जनता के खून पसीने का पैसा है।

श्री अधिष्ठाता—

नौटियाल साहब आपस में बात न करें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, उनको रोकिये, उनको आप रोकते नहीं मुझे रोक रहे हैं। यह पैसा उनके घर का नहीं है यह देश और प्रदेश के विकास के लिए है।

मान्यवर, मैं कह रहा था यह उद्योग धंधे कहां हैं। कितने उद्योग धंधों को पैसा मिला और उनकी क्या प्रगति है यह जरा बता दें। इनका विश्वास ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को बनाने में है, ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट खोल दिये लेकिन वह सब अधिकारी कहां जा रहे हैं। जिस पी0 डब्लू0 डी0 के चीफ इंजीनियर की वकालत आपने की मैं पूछना चाहता हूं आप गिनती कर लें 4, 5 दिन वह पौड़ी में पड़े रहे उसके अलावा कहां गये। तो इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र के रुपये के साथ अन्याय हो रहा है। 70 प्रतिशत रुपया इन महा-रथियों के मुंह में चला गया और बाकी 30 प्रतिशत ही पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंच रहा है।

(व्यवधान)

अधिकारियों के बढ़ाने से विकास सम्भव होता तो जो सड़कें पहले बनी थी जबकि कम डिवीजन थे उसके मुकाबले में आज 100 प्रतिशत ज्यादा में सड़कें कुमायूं और गढ़वाल मंडल में बन रही हैं। यह सारी की सारी चीजें तमाम डिवीजन खोलने के बाद वहीं रह गयी हैं। हमारे मन्त्री जी ने एक बहुत बड़ा सगूफा छोड़ा है अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए उसमें भारत सरकार का एक कम्पोनेंट प्लान बना है कम से कम उसको ही अपनी इस पुस्तक में दिखा देते। लेकिन मान्यवर, यहां भी आप देखें भारत सरकार के बजटिंग में साफ लिखा हुआ है यदि आप हरिजनों और पिछड़ी जातियों का कल्याण चाहते हैं तो जो बजट है उसका निश्चित रूप से 20 प्रतिशत हरिजनों के कल्याण की योजनाओं का भाग होना चाहिये इसी को कम्पोनेंट प्लान कहते हैं। तो 120 करोड़ के बजट में 20 प्रतिशत होना चाहिये था यानी 24 करोड़ उनके लिए होना चाहिये था और दिया आपने एक करोड़ है और उसमें भी जो किताब आपने दी है उसमें 80 लाख रुपया छपा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नौटियाल साहब आप अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त करिये।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्यों करूं मान्यवर, मेरे ही साथ यह पक्षपात क्यों ?

श्री अधिष्ठाता--

इसलिये कि 5 बजे वित्त मन्त्री 1981-82 के तृतीय अनुपूरक अनुदान पेश करेंगे और यह विवाद 5 बजे तक समाप्त कर देना है। बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं उनको अवसर देना है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

यह तो मान्यवर, मन्त्री जी से कहते उन्होंने इन बातों को अपने भाषण में नहीं कहा। एक लाइन भी कही होती तो मैं जो शर्त कहें हारने के लिए तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता--

समय के लिए मैंने माननीय मन्त्री जी से भी कहा था और आपसे भी कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

उनको मौका मिलना चाहिये बेचारे सताये हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

यह अपने को हरिजनों का हित करने वाली, उनके विकास का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार कहते हैं तो इसमें भी रुपया खा गये, इसमें भी पैसा डकार जायं तो इससे ज्यादा शर्म की और बात क्या हो सकती है । जब 20 प्रतिशत बजट का उनके लिए खर्च होना है तो 24 करोड़ के बजाय 1 करोड़ और उस एक करोड़ में भी केवल 80 लाख छपा है, तो यह जो हरिजनों और जनजातियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं क्यों नहीं किया । तो मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि या तो भारत सरकार का और नियोजन आयोग का जो नीति निर्देशन है वह गलत है । यदि नीति निर्देशन सही है तो आपने पर्वतीय क्षेत्र में 20 प्रतिशत का हरिजनों के लिये प्राविधान क्यों नहीं किया ? उसमें से भी आप उनका 23 करोड़ रुपया क्यों खा गये ? मुझे इस पर बहुत कहना था, लेकिन आपके बार-बार कहने पर, आपके सम्मान को रखने के लिए अब मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि जहां बजट में इस प्रकार की लूट मार हो, पर्वतीय क्षेत्र के रुपयों की इस प्रकार बर्बादी हो, वहां कोई काम न हो, ऐसे बजट का पास करना मैं समझता हूं कि नियम और नैतिक कर्तव्य में नहीं आता है । जब तक यह ठीक से काम न करें इस बजट को पास करना बेकार है ।

जो इन्होंने बजट पेश किया है वह घोर निराशाजनक, धोखामात्र और स्वप्न लोक में विचरण करने वाला बजट है । जैसी उनकी सलोनी भाव मुद्रा है, उस मुद्रा में उन्होंने जो बजट पेश करने की चेष्टा की है, उस भाव मुद्रा से वह पर्वतीय अंचल को नहीं बहला सकते हैं । ऐसे बजट को पास करना मैं समझता हूं पर्वतीय क्षेत्र की जनता के लिए और पूरे प्रदेश की जनता के लिए अहितकर होगा । इसलिए आपके माध्यम से मैं कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

(समय 3 बजकर 45 मिनट)

श्री बि[illegible] लाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया है और मंत्री जी ने जो पर्वतीय क्षेत्र का बजट पेश किया है, उसका समर्थन करना चाहता हूं । श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के माननीय सदस्यों से, विपक्ष के सदस्य नौटियाल जी हमारे सम्मानित सदन के काफी पुराने सदस्य हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो आपने टीका-टिप्पणी की यह मेरे समझ में बात नहीं आई इस सम्मानित सदन में

(व्यवधान)

[श्री बिहारी लाल--]

मैंने आपकी बात बड़ी गम्भीरता से सुनी । आप मुझसे सीनियर हैं, आप इस सदन के बड़े पुराने सदस्य हैं ।

(व्यवधान)

मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप हमारी बात सुन लें, क्योंकि हमने आपकी बात सुनी है । आप बीच में हमारी बात में बाधा न डालें, तो बड़ी अच्छी बात होगी । आपने व्यक्तिगत रूप से कई मामलों की चर्चा की ।

श्रीमन्, इन्होंने विकास की बात के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है । जहां तक विकास की बात है, पर्वतीय क्षेत्र के 8 जिले हैं, 5 गढ़वाल में और 3 कुमायूं में । लेकिन आपने आरोप-प्रत्यारोप व्यक्तिगत रूप से किये । कहीं सीमेन्ट की बात, कहीं स्कूल की बात कही, कहीं पी0 डब्लू0 डी0 की बात कही और कहीं टीचर्स की बात कही । जहां से आपने कहा वहां से मैं शुरुआत करता हूं, मैं कुमायूं का रहने वाला हूं और गढ़वाल से भी सम्बन्धित हूं । आपने वनीकरण के बारे में कहा इतना बढ़िया वनीकरण हमने गढ़वाल में देखा है कि जो सर्वथा सराहनीय और प्रशंसा करने योग्य हैं । कभी आपको मौका मिले तो विरोखाल व न्योरान रा स्थानों आदि पर जाकर देखें । 28 महीनों में जो आपने विकास किया वह सब जनता के सामने है और पूरे हिन्दुस्तान के सामने है । यदि आपके 28 महीनों के शासनकाल में विकास होता तो आप इधर से उधर न जाते । जो आपने विकास किया इसलिए आपका विनाश हुआ । पर्वतीय क्षेत्रों--कुमायूं व गढ़वाल में हमारे यहां सीढ़ीनुमा खेती है । सिंचाई विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं जहां सिंचाई विभाग की ओर से छोटी-छोटी नहरें हमारे यहां होती हैं, वह जरूर हैं लेकिन पानी की व्यवस्था उसमें कतई नहीं है । सीढ़ीनुमा खेतों में हम लोगों को सिंचाई करनी पड़ती है ।

मैं माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं । इस समय यहां पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी बैठे हुए हैं । मेरे क्षेत्र ओखलकांडा ब्लाक और धारी ब्लाक हैं । पिछले साल जब मैं इस विभाग के बजट के सम्बन्ध में बोला था तो मुझे टूरिस्ट विभाग के एक उच्च अधिकारी ने धन्यवाद का पत्र भेजा था और उन्होंने अपने उस पत्र में लिखा था कि आपने जो विभाग के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । उसमें उन्होंने मेरे प्रति अपना धन्यवाद भी व्यक्त किया था । लेकिन जिन-जिन बातों का मैंने उस समय जिक्र किया था वे वहीं की वहीं रह गयीं । मैंने कई सुझाव दिये थे । एक सुझाव यह था कि ओखलकांडा में सनराइज का बहुत अच्छा दृश्य होता है जिसे देखने के लिए वहां पर बहुत से टूरिस्ट्स जाते हैं तो इस क्षेत्र में कम से कम कुमायूं निगम या किसी विकास निगम की ओर से, वैसे तो निगमों ने प्रदेश को बहुत चौपट कर दिया क्योंकि जितने भी निगम बने हैं उनमें अधिकारियों ने अपना-अपना पेट भरने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है, जो टूरिस्ट देश और विदेश के वहां पर आते हैं उनकी फैसिलिटीज के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए । देखने में यह आया है कि विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको गाड़ी मिलनी चाहिए जिसमें 4-4 बत्तियां हों, उनमें बढ़िया किस्म के गद्दे होने चाहिए, उनके ऐशोआराम में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिये । ओखलकांडा, हरीश ताल, जोस्युडा, पतलोक, नानक मत्ता ऐसे स्थान हैं जहां पर दुनिया के सभी लोग पहुंचते हैं । लेकिन खेद की बात है कि वहां पर टूरिस्ट विभाग की ओर से एक शैय्या वाला एक भी टूरिस्ट बंगला (विश्राम गृह) नहीं है । मेरा

सुझाव है कि टूरिस्ट विभाग की ओर से वहां पर एक एक टूरिस्ट बंगला बनना चाहिए।

मान्यवर, मेरे यहां पर टनकपुर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी में पुनियागिरी में मां का दरबार है। वह एक पवित्र स्थान है।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मेरा अग्रह है कि मुझे 2-3 मिनट का समय और दे दिया जाय। वहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं लेकिन टूरिस्ट विभाग की ओर से कोई भी सुविधा वहां पर पर नहीं है उनके रहने के लिए।

मेरा निवेदन यह भी है कि मैंने खटीमा या सितारगंज में एक डिग्री कालेज खोलने के लिए भी मंत्री जी से कहा था, उन्होंने भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी लेकिन फिर उसे रोक दिया गया।

मेरे यहां पर हरिजनों, अनुसूचित जनजाति और थारू बोक्सा की बात बहुत की जाती है लेकिन जहां पर 10-10 और 11-11 इन्टरमीडिएट कालेज हों और बहुत से (लगभग 10-12) हाई स्कूल्स हों, वहां पर एक भी डिग्री कालेज न हों, कितने दुख की बात है। मेरी मंत्री जी से मांग है कि वहां पर कम से कम एक डिग्री कालेज अवश्य खुलवा दिया जाय।

जहां तक अस्पतालों की हालत है, पर्वतीय क्षेत्र में कहीं पर भी किसी अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है। सइया के अस्पताल में भी कोई डाक्टर नहीं है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेगी जी ने जो हमारे पर्वतीय विकास मंत्री हैं, 120 करोड़ रुपये की बात बड़े जोरदार शब्दों में कही है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 48 लाख के करीब है। उन्होंने पिछले साल तो हिमांचल प्रदेश से तुलना की थी और अब आगे बढ़े हैं तो जम्मू काश्मीर से तुलना करने लगे हैं। माननीय मंत्री जी को विदित होगा कि नागलैंड जिसकी आबादी पौने 4 लाख है, उसका सन् 1980-81 में 76 करोड़ का बजट था और हमारे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय विकास का बजट उस समय का 86 करोड़ का था। उसी अनुपात में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा बहुत ही कम बजट है। आज जिस प्रकार से रुपये की कीमत घट कर 22 पैसा रह गयी है, सभी चीजों के भाव बढ़ गये हैं, मजदूरी भी बढ़ गयी है, उसी अनुपात में हमारा बजट नहीं बढ़ाया गया है। यही कारण है कि जो तरक्की या विकास होना चाहिये था वह नहीं हुआ है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट सब से अधिक करीब 2[illegible] करोड़ का होता है। बजट अधिक होता है और काम कम होता है। पिछले साल स्वास्थ्य उप केन्द्र 200 खोले गये थे, इस वर्ष 100 खोले जायेंगे। आयुर्वेदिक अस्पताल पिछले साल भी 8 थे इस वर्ष भी 8 रखे गये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिये कि पिछले साल 38 जूनियर हाई स्कूल खोले गये थे, इस साल 2[illegible] खोलेंगे। पिछले वर्ष प्राइमरी स्कूल 115 खोले गये, इस साल 119 हैं, हाई स्कूल भी इस साल केवल 12 ही खोले जायेंगे। हमारे चमोली जिले में ही 10 हाई स्कूल की मांग है। 8 जिलों में 12 हाई स्कूल आप कहां-कहां खोलेंगे ?

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

जहां तक पी0 डब्लू0 डी0 की बात है, माननीय नौटियाल साहब ने काफी कहा है। इसमें हमारे बजट का मुख्य हिस्सा तो अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। और काम कम होता है। पुरानी कहावत है कि रानी के साथ बांदी जाया करती थी। हमारे यहां जब इन्जीनियर जाते हैं तो उनके साथ ठेकेदार भी जाते हैं, गुन्डे चाकू की नोक पर मनमाने टेन्डर्स पास कराते हैं और इस तरह से पैसे की लूट मची हुई है। जो बजट आपका 120 करोड़ का था अगर इसका सदुपयोग किया जाता तो बहुत अधिक विकास का काम हुआ होता। किन्तु भ्रष्टाचार के कारण कोई विकास का काम हो ही नहीं पा रहा है। बजट भ्रष्टाचार एवं स्वार्थ की जटा में फंस जाता है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाये तो निश्चय ही विकास का काम दिखलायी पड़ेगा।

आपने पर्यटन की बात कही। हमारे यहां जो तीर्थ स्थान हैं, जहां पर पर्यटक आते हैं, वहां लोगों के ठहरने के लिये छोटे-छोटे होटल बनाये जाने चाहिये। आपने कहा भी था कि हम इन जगहों पर छोटे-छोटे होटल बनाने वालों को अनुदान देंगे, ऋण देंगे, पर आज तक किसी को भी कोई अनुदान या ऋण नहीं दिया गया। आप बता दें कि चमोली जिले में इस काम के लिये कितने लोगों को आपने ऋण दिया।

बद्रीनाथ और केदारनाथ पर काफी यात्री जाते हैं और उससे आपको आर्थिक लाभ भी होता है। वहां के मन्दिर पुनर्निर्माण के लिये 10 लाख रुपये का अनुदान सरकार ने दिया, पर उस मन्दिर के लिये पत्थर आन्ध्र से मंगाये जा रहे हैं जहां से मंगाने में भाड़े में ही लाखों रुपया खर्च आ जायेगा। इसे रोका जा सकता है। वहां की जलवायु के अनुसार वहां का ही पत्थर वहां के लिये तो उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अनादि काल में शंकराचार्य ने भी यहीं के पत्थर से बद्रीनाथ के मन्दिर का निर्माण किया था। यहां की जलवायु के लिये वहां का पत्थर अनुकूल नहीं होगा इस ओर भी ध्यान दिया जाय।

पेयजल की स्थिति भी हमारे यहां बड़ी गम्भीर है। ब्लाकों द्वारा आपने योजनायें तो बनायी हैं पर उनके पास पैसा ही नहीं है जो वह योजनाओं को पूरा करें। जो योजनायें पहले की चली आ रही हैं उनकी मरम्मत के लिये भी उनके पास पैसा नहीं है। इसके लिय तो प्राविधान कर दिया जाय।

एक मेरा सुझाव यह है कि आप जल निगम और जल संस्थान को मर्ज कर दें।

कृषि के बारे में मंत्री जी ने कहा है, यह ठीक है कि वहां पर जो नदी घाटियां हैं, वहां पर कृषि होनी चाहिए लेकिन जो ऊपर के इलाके हैं, उनमें उद्यान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहां पर खेती जो है टुकड़े-टुकड़े में बंटी हुई है। वहां पर सारी पद्धति चलायें और यह देख लें कि वहां पर चकबन्दी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मंत्री जी आपने कहा है कि कम वजन वाली चीजों को आप पैदा करेंगे। एलेक्ट्रानिक का आपने जिक्र किया। जो वहां पर पैदावार होती है, वहां पर कम वल्यूम की और हल्की चीजें पैदा हों, ताकि उसको लोगों को ले जाने में सुविधा हो और अधिक दाम की चीजें वहां पर पैदा हो जायें। फलों के बारे में जो समस्या है, वह कितने सालों से आ रही है कि वहां पर फलों के भंडारण की व्यवस्था नहीं है। चमोली जिले में माल्टा इतना पैदा होता है कि एक रुपये का 10 दाना मिलता है। अगर आपने उसके भंडार की कोई

व्यवस्था कर दी, तो वहां पर एक रुपये का एक दाना उसका दाम हो जाता है दो माह रुकने पर अगर ऐसा कर दें तो आप समझिये कि आपने आर्थिक स्थिति किसानों की ठीक कर दी ।

मान्यवर, मरारी सेण के विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र के बारे में मैं कहना चाहता हूं । मरारी सेण में विदेशी गाय तो रख दी हैं परन्तु उनके लिए वहां पर घास की, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, जो गायें लाखों रुपये की खरीदी हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है । उनके दूध रखने और उसे बाजार में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, वहां पर उनकी चिकित्सा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । मक्कू में जो भेड़ का प्रजनन केन्द्र है, वहां पर आपकी योजना कोई पूरी नहीं हो पाई है जब कि वह बहुत पहले मान्यवर, हमारे यहां एनीमल हस्बेंडरी वालों का कार्य बड़ा खराब है । मान्यवर, वहां पर मुर्गी फार्म है । दो मुर्गी फार्म वहां पर थे, एक नन्द प्रयाग में और दूसरा ऊखीमठ में था । उसको सरकार चलाती थी, लेकिन वह असफल रहा । सरकारी फार्म यदि मान्यवर, असफल हो गये, तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि और फार्म कैसे सफल हो जायं । सिंचाई के बारे में हमारे यहां पर हाइड्रेम स्कीम आपने चलाई है । वह वहां पर असफल हो गयी हैं । सारे गढ़वाल मंडल का अधिशासी अभियन्ता जो है, उसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, जो कि देख-भाल नहीं कर सकता है । बेसिक शिक्षा के बारे में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं । हमारे जिले में वहां पर प्राइमरी स्कूलों की बहुत कमी है । वहां पर आवश्यकता है प्राइमरी स्कूलों की । हम चाहते हैं कि जो आपकी 40 शाखा विद्यालय है, उन्हें पूर्ण विद्यालय किया जाय 113 जो जूनियर हाई स्कूल हैं, उनमें परिचारक नहीं हैं, उनमें नियुक्ति कर दी जाय । 409 प्रधानाध्यापकों के पद प्राइमरी में नहीं हैं, मैं चाहता हूं मान्यवर, कि उनके पद सृजित कर दिये जायं ।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया । श्रीमन्, सबसे पहले मैं अपने देश की महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को तथा अपने प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री और पर्वतीय विकास मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने पर्वतीय विकास के बजट में एक बहुत बड़ी रकम इस प्रदेश की गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिये प्रदान करवाई है । जहां सड़कों के विकास का प्रश्न है आज से पूर्व वहां का विकास हो जाना चाहिये था । हम 34 साल तक इन्तजार किया और जब हिमालय की पहाड़ी की बर्फ से चीन ने आक्रमण किया तो देश की आंख खुली कि इधर से भी देश पर आक्रमण हो सकता है । आज पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़ेपन और उसके विकास की बात कुछ सामने आयी । यह तब आई जब चीन के आक्रमण की बात सामने आयी । श्रीमन्, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने पर्वतीय क्षेत्र में यातायात के साधन के लिये मोटर मार्गों का निर्माण आपने बजट से 25 करोड़ रुपया देकर किया है । मैं तो यह समझता हूं कि अगर इस प्रदेश में यातायात के साधन सुलभ हो जायं तो हमारी गरीबी बहुत हद तक दूर हो सकती है । बजट का आधा रुपया 87 करोड़ है । उसमें सबसे पहले इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यातायात के साधन सुलभ हो । जिससे पहाड़ के लोग देश के दूसरे भागों में सहूलियत से आ जा सकें और अपनी पैदावार को मार्केट में ले जा सकें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिव नारायण सिंह नेगी—]

अभी मेरे साथी ने इस ओर ध्यान कराया कि पर्वतीय क्षेत्र में छोटी जोतें और सीढ़ी के खेत हैं जिनमें सिंचाई का कोई भी प्रबन्धक नहीं है। नदियों और घाटियों के सहारे सारी पैदावार है यह तीन महीने के लिये बाकी हमको मैदानी भागों पर आश्रित रहना पड़ता है। श्रीमन्, वहां पर सिंचाई का साधन होना बहुत जरूरी है। मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी छोटे-छोटे गूले, नहरे बनाते हैं इसका बनाने का काम करते हैं। वह जो मेटेरियल सीमेन्ट आदि होता है उसको बाजार में बेच लेते हैं। उसको मार्केट में समाप्त कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ताकि जो सामान वहां जाय वह उसको मिल सके और सिंचाई का प्रबन्ध पहाड़ों पर हो सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्रों में जो आलू और फल होते हैं उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने देखा है विदेशों में भी इतना बढ़िया सेब नहीं पैदा होता है जितना हमारे पर्वतीय अंचल में धारचुला में कश्मीर आदि से भी ज्यादा स्वादिष्ट सेब हमारे यहां पैदा होता है। लेकिन हमारी जो पैदावार है उसको मार्केट में ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि यह निगम जो वहां पर काम कर रहा है उनको आदेश दे कि वह पर्वतीय क्षेत्रों में जो पैदावार होती है उसको मार्केट में लाने का काम करें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रति बहुत बड़ा उपकार होगा। श्रीमन्, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि जो निगम वहां पर है उनको इसका काम दिया जाय और उनके द्वारा यहां की पैदावार को मार्केट में पहुंचाने की व्यवस्था करवाई जाय।

मान्यवर, फलों के बारे में एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी पैदावार होती है और मार्गों के न होने से मार्केट में उनको सुविधा के साथ नहीं पहुंचाया जा सकता है और वह फल सड़-गल जाते हैं उसके लिए फ्रूट प्रिजरवेशन यूनिट लगाई जाय। श्रीमन्, एक बात मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, हमारे पर्वतीय अंचलों में स्कूलों और कालेजों में अध्यापकों की कमी है। मेरा अनुरोध है कि पर्वतीय अंचलों में स्कूलों और कालेजों में अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाय। माननीय मंत्री जी, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बजट हमारे यहां के लिए आवंटित होता है उसका आधा पैसा सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक इसको नहीं दूर किया जायेगा तब तक यहां का विकास समुचित रूप से नहीं हो सकता है। श्रीमन्, आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि नैनीताल में जमरानी बांध प्रयोजना जिसमें 155 करोड़ रुपये भारत सरकार ने दिया है उसमें 770 लाख रुपये खर्च किया गया और 500 लाख रुपये 1982-83 में खर्च करने का प्राविधान है। लेकिन मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बांध को जल्दी पूरा करवायें जिससे तराई और भाभर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो सके और अधिक उत्पादन किसान कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री शिवानन्द नौटियाल जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

ऐसे अ भागे क्षेत्र के बारे में विचार रखने के लिए में खड़ा हुआ हूं जिनकी मांस और खाल निकाल दिया और हड्डी रह गई और माननीय मंत्री जी की तो दशा ऐसी है हमारी नजरों में जैसे महाभारत में शिखंडी जी की हुई। मान्यवर, जल बिन मीन प्यासी वाली की बात लागू होती है कि पर्वतीय क्षेत्र से सारी नदियां निकलती हैं लेकिन वहां की जनता एक-एक बूंद पानी के लिए और जमीन तरसती है। मैं जब अपने क्षेत्र में गया तो ढाई किलोमीटर दूर से हमारी बहनें और भाई जब पानी चढ़ाई के ऊपर से ला रहे थे तो मेरे आंसू आ गये। उनको जब मालूम हुआ कि विधायक आये हैं, तो उन्होंने मुझको पकड़ा और कहा कि क्या कारण है कि तुम्हारे होते हुए हमारी यह दुर्दशा हो रही है। तो मैंने कहा कि हमारा दोष नहीं है, यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां राजा और महाराजा राज्य कर रहे हैं, यदि गरीब राज्य करता होता तो शायद दूर-दूर से पानी न लाना पड़ता और आप लोग दुखी न रहते कि सारा पानी पहाड़ से आ रहा है और मान्यवर, जैसा कि आपने अपने दौरे के समय वहां देखा। मान्यवर, पहले लोगों को विश्वास नहीं था कि यह ऐसे ही कहा करते हैं लेकिन जब आपने उस दिन देखा तो विश्वास हुआ और कहा कि बड़ी कठिनाई के दिन आप लोग गुजारते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कई बार मंत्री जी से कहा और यहां प्रश्न भी किये।

आपके जल निगम द्वारा जो पेयजल योजनायें बनी हैं उनके सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2 प्रतिशत योजनायें सुचारु रूप से नहीं चल रहीं हैं। सारे नल सूख गये हैं और बहाना है कि पानी के स्रोत सूख गये हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से निवेदन किया था कि वह हमारे साथ हेली-कॉप्टर से न सही मोटर या पैदल चलें तो मैं आपको दिखाता हूं कि उन योजनाओं को जिसको बनाने में लाखों रुपये खा गये हैं लेकिन आज तक किसी ने उन योजनाओं को देखने की कोशिश नहीं किया और उसका नतीजा है कि आप तो डूबेंगे ही साथ में अपने साथियों को डुबायेंगे। मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि 10, 15, 20 सालों में यह शासन डूबेगा और पूंजीपतियों का शोषण समाप्त होगा और गरीब चैतन्य होंगे और वह समझने लगे हैं कि शोषण अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा चूंकि यह कोरे आंसू बहाते हैं। जब मुख्य मंत्री हरिजनों और गरीबों के लिए कल आंसू बहा रहे थे, तो मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कई नाटक देखे हैं जहां रोने का जब अवसर आता है तो वह लोग पानी का रुमाल भिगों कर अपने साथ ले जाते हैं और ऊं ऊं करके रोते हैं और आंसू बहाते हैं।

(इस समय 4 बज कर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

ठीक उसी तरीके से यह सरकार नाटक करना जानती है और उसी नाटक के बहाने 34 साल तक इस देश पर शासन कर चुकी है। आप पर्वतीय क्षेत्र के बड़े हमदर्द हैं तो देखें जाकर कि कैसे गुजर कर रहे हैं। क्या आज इस युग में भी सिंचाई योजना नहीं बन सकती थी। सिंचाई योजना का प्रस्ताव हुआ, 6 वर्ष पूर्व नहर तो बन गई लेकिन बिजली का वह उसे क्या कहते हैं, नहीं लगा है, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पा रहा है। मैंने वीर बहादुर सिंह जी से कहा कि इस योजना को चलाइए। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो कलंक का घड़ा आपके सर पर रखा हुआ है, यह आपके सर पर उसे फोड़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी इज्जत बचायें और पहाड़ का विकास हो, वहां की भूख दूर हो, वहां का नौजवान भी एम० ए० पास करे, तो आप दौरा कीजिये हमारे साथ। आपका यह विभाग जो बैठा हुआ है, वह किस तरीके से शोषण कर रहा है हमारे पहाड़ों का।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--]

अगर आप चाहते हैं पहाड़ का सही मायने में विकास करना, तो वहां के ही लोगों को योजना बनाने का काम सौंपिये । गत वर्ष ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि योजना बनाने का काम पर्वतीय विकास परिषद् करेगी । एक योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी कि जल निगम और जल संस्थान को एक कर दिया जायगा, यह भी नहीं हुआ । आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की भूमि बिखरी हुई है, छोटे-छोटे खेत हैं, आप वहां चकबन्दी कीजिए और "सार पद्धति" चलाइए। "सार पद्धति" के मायने हैं कि एक इलाके में एक ही चीज बोई जाय । मैं कुछ जगहों से हो आया हूं । मुझे गर्व है ईश्वर पर जिसने मुझे यहां भेजा । अगर मैं उस स्थान से नहीं आता तो मैं भी आपकी तरह कोरे आंसू बहाता, लेकिन मैं जानता हूं आप लोग किस तरीके से नाटक करते हैं । पहाड़ की पीड़ा को अगर आप सचमुच हल करना चाहते हैं तो मुख्य मंत्री जी से कहिए । मैंने पहले इस बात को कहा आज भी कहता हूं, इस प्रदेश के साथ रह कर पहाड़ का निर्माण और विकास नहीं हो सकता । कई वर्षों से बराबर चलता आ रहा है कि पर्वतीय अंचल के अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं । 5 हजार से ऊपर हाई स्कूल, इन्टर कालेज और महाविद्यालयों में प्रवक्ता और अध्यापक नहीं हैं । अगर आपका बच्चा उन कालेजों में, उन स्कूलों में पढ़ता तो आपको पता चलता लेकिन आपके बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं ।

खर्चीले स्कूलों में भेजते हैं जहां सारी सुख सुविधायें मिलती हैं क्योंकि आप के पास आंधाधुन्ध पैसा है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं अगर गरीबों के प्रति जरा भी दर्द है क्यों नहीं कहा कि दो वर्ष से वहां अध्यापक नहीं है । आपके क्षेत्र में, नौटियाल जी के क्षेत्र में, ब्रह्मदत्त जी के क्षेत्र में, धवन साहब के क्षेत्र में नहीं है । 5 मंत्री हैं पर्वतीय क्षेत्र के लेकिन पांचों ऐसे बना रखे हैं जो भाटगीरी करते हैं । पहले राजा-महाराजाओं के यहां भांट रहते थे जो राजाओं की बहुत तारीफ करते थे और ये पांच मंत्री उनका गुणगान करते हैं । यदि उनमें दर्द होता तो कहते--भाई मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। 5 सितम्बर के दिन मैंने उनसे कहा कि ग्राम वालों की यह हालत आपने कर दी है, रोयें, कहा कि बड़ी पीड़ा हुई बिष्ट जी, राहत कार्य खोलूंगा, मैंने कहा कि न खुले तो, कहने लगे नहीं--नहीं, खोलेंगे और मैं आज भी कहता हूं कि मुख्य मंत्री चलें, पांचों मंत्री चलें, जहां राहत कार्य चल रहा हो, गरीब जहां जीविका चलाने के लिए काम कर रहा हो । मैं चलने के लिए तयार हूं ।

ट्रकों की हड़ताल से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है वहां के लिए, व्यवस्था आप क्या कर रहे हैं, यहां तो इक्का चलता है, रिक्शा, रेल, तांगा चलता है लेकिन पहाड़ में केवल ट्रक । उसकी कोई व्यवस्था आप नहीं करते । गाली देते हैं हमको लोग। हम किसके लिए रोयें । माननीय उपाध्यक्ष जी, आपका आभारी रहूंगा, मुझे कुछ खास बातें कहनी है । दो-तीन वर्षों के अन्दर पर्वतीय क्षेत्र में खेत जो अलाभकर हैं, लाभकर बनाये जाय इसके लिए शासन ने कोई विचार नहीं किया । पंतनगर विश्वविद्यालय से जो बीज बनता है वह गर्म जगहों के लिए, पहाड़ी जलवायु के लिए वह माफिक नहीं बैठता । उसके बोने से खेत या तो बंजर हो जाते हैं या फसल लेट हो जाती है यह पहले । इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के लिए वह बीज तैयार करें जो वहां की जलवायु के लिए माफिक बैठे । लिफ्ट सिंचाई योजना, बिजली पैदा होती है, सारा पानी पहाड़ से आता है, क्या कारण है कि वहां पानी नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस सम्बन्ध स विचार करें । जितनी

भी लिफ्ट सिंचाई की योजनायें हैं उनको प्राथमिकता दें। इससे पहले पेयजल की व्यवस्था करें साथ ही साथ उन योजनाओं को भी देखें जिन पर लाखों रुपया खर्च हुआ और गांव वालों को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। जिन्होंने यह योजना बनायी उन अधिकारियों को आप कतई न बख्शें, मैं आपके साथ हूं।

मैंने देखा है, जो डिग्गियां बनायी गयी हैं उनमें मिट्टी का, गारे का इस्तेमाल किया गया है और बाहर से सीमेन्ट की पुताई कर दी गई है ताकि बाहर से देखने वाले कहें कि क्या सुन्दर है जैसे हमारे मंत्री जी हैं सुन्दर बाहर से। स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा है, लेकिन कोई भी नहीं कहेगा कि मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप उन योजनाओं को देखें और जो अधिकारी ऐसी योजनाओं को बनाते हैं उनको दण्ड दिया जाए।

इसके अलावा भ्रष्टाचार, उनका कुनबा ही डूबा पड़ा है। मंत्री जी ने गत वर्ष एक बहुत बड़ी घोषणा की, उसका दुष्परिणाम आज हमको भोगना पड़ रहा है। किच्छा, काशीपुर, भोगीपुर, रुद्रपुर को भी पर्वतीय क्षेत्र भत्ता दिया जायगा। कुछ लोग आये होंगे मंत्री जी के पास, मंत्री जी ने घोषणा की, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, चमोली, काशीपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रानीखेत में कोई रहना नहीं चाहता। वह कहते हैं कि रामनगर, काशीपुर, रुद्रपुर रहेंगे। आज वहां के विधायक मिले, वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है कि हमको भी पर्वतीय भत्ता दो।

माननीय मंत्री जी ने बड़ी सूझ-बूझ का काम किया। एक चीज और कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार में हमें कुछ महाविद्यालय मिले थे पर्वतीय अंचल में। इस सरकार के हम बड़े आभारी हैं। मेरे क्षेत्र में भी विद्यालयों में एक महाविद्यालय खोलने की घोषणा हुई लेकिन वहां पर न तो भवन बनाने के लिए बजट दिया गया और न ही छात्रावास बनाने के लिए बजट दिया गया और न आवासीय सुविधा के लिए ही कोई बजट दिया गया इसलिए मेरा अनुरोध है कि ऐसे महाविद्यालय जो खुले हैं उनको बजट दिया जाय जिससे कि वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा मिल सके। इसी तरह से यह भी कहा गया कि जो 10 किलोमीटर की दूरी से छात्र वहां के महाविद्यालयों में अध्ययन करने आयेंगे उसको 125 रु0 और 150 रु0 दिया जायेगा उसका नतीजा यह हुआ कि कोई बच्चा वहां नहीं रहना चाहता जबरदस्ती हम लोग कहते हैं कि रहो और पढ़ो। मैं चाहता हूं कि उसके लिए भी बजट दें। जितने भी महाविद्यालय खुले हैं उनके लिए बजट दें।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप आज किसी और को नहीं बोलने देंगे ?

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं। एक बात हिल कैडर के बारे में कहना चाहता हूं कि हिल कैडर में एक भी पर्वतीय को इन्होंने नहीं रखा है क्योंकि दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम। हमको न तो पर्वतीय विकास से ही लाभ मिल रहा है और न अन्य विभागों से ही लाभ मिल रहा है। ऐसी हमारी दशा हो गई है इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आप अड़िए अच्छे कामों के लिए हम आपका साथ देंगे। बुरे कामों के लिए तो आपके यह साथी बैठे ही हुए हैं। पहाड़ों के विकास के लिए हम जीजान से जुटेंगे और आपका साथ देंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं डाक्टर शिवानन्द नौटियाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चारु चन्द्र ओझा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्वतीय क्षेत्र के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया तथा साथ ही में पर्वतीय विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, पर्वतीय विकास विभाग, जो 1972 से बना और उसका शुरू का जो बजट था वह 23 करोड़ रु0 का था।

श्री उपाध्यक्ष—

कितने का था ?

श्री चारु चन्द्र ओझा—

23 करोड़ रुपए का।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इसलिए पूछा कि वह मेरे ही जमाने का है और कहीं आप गलत तो नहीं कह रहे हैं इसलिए मैंने पूछा।

श्री चारु चन्द्र ओझा—

उस समय 23 करोड़ रु0 का था और आज है 120 करोड़ रु0 का। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो उत्तरप्रदेश और केन्द्र की सरकार है वह पहाड़ के विकास के लिए कृत संकल्प हैं क्योंकि जब माननीय इंदिरा जी ने पहाड़ का दौरा किया तो पाया कि पहाड़ में अधिक गरीबी है और विकास की गति पहाड़ों में कम है इसलिए एक अलग विभाग बनाने का निर्णय लिया गया। आज देश की नेता इंदिरा गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि पहाड़ का विकास किसी स्थिति में हो और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का निर्णय लिया कि वे एक महीने में एक बार जरूर पहाड़ जायेंगे और पहाड़ के विकास के लिए वहां जाकर विचार करेंगे।

और दूसरी बात यह है कि उन्होंने सारे पहाड़ी क्षेत्र का दौरा कर लेने के बाद इस बात का निर्णय लिया कि प्रत्येक माह एक दिन सारे पर्वतीय विकास कार्यों की समीक्षा, सारे विकास सम्बन्धी अधिकारियों को बुलाकर करेंगे ताकि पहाड़ी क्षेत्र में विकास की गति में तेजी लायी जा सके। आखिर पर्वतीय विकास विभाग है क्या ? वह ऐसा विभाग है जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर जितने भी नियोजन के विभाग आते हैं और पर्वतीय विकास विभाग, नियोजन के लिए पैसा देता है और वह विभाग पहाड़ी क्षेत्र में उस पैसे से अपनी योजना को कार्यान्वित करते हैं। इसलिए चाहे इरीगेशन विभाग हो, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो सबों का पर्वतीय विकास विभाग से सम्बन्ध है क्योंकि वे वहां के काम के लिए पैसा देते हैं। लेकिन इस पैसा देने के बाद कुछ कठिनाइयां सामने आयी कि हम पैसा देते हैं। लेकिन कोई कन्ट्रोल हमारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार द्वारा दो क्रांतिकारी कदम पहाड़ों में विकास की गति देने के लिए उठाए गए हैं। पहला कदम तो यह कि पर्वतीय क्षेत्र में जो भी अधिकारी जायेगा वह पर्वतीय विकास विभाग की स्वीकृति के बगैर नहीं जायेगा, ताकि पर्वतीय विकास विभाग इस बात की छानबीन कर ले कि पहाड़ों में अच्छे अधिकारी जायं। दूसरा निर्णय इस प्रकार का है कि पहाड़ों में जितने भी अधिकारी हैं, एक तो प्रत्येक विभाग एक ऐसे अधिकारी

नियुक्त कर देगा तो केवल पहाड़ों के विकास कार्य को देखेगा और दूसरे जो पहाड़ों में काम कर रहे हैं उनकी जो वार्षिक प्रविष्टि पर्वतीय विकास विभाग देगा। इस प्रकार उपरोक्त जो दो क्रान्तिकारी कदम उठाए गए हैं ताकि पर्वतीय क्षेत्र में जो अधिकारी हैं वे समर्पित भाव से काम करें। इससे विकास के कार्यों में गति आयेगी।

आखिर विकास है क्या ? हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि फलां जगह सड़क नहीं बनी, स्कूल या हाई स्कूल नहीं खुले, लेकिन केवल हाई स्कूल खोल देना, मोटर मार्ग बनवा देना या अस्पताल खोल देना, ही पहाड़ का विकास नहीं है। सन् 1972 से लेकर सन् 1982 तक जो करोड़ों रुपया हमने पहाड़ों में खर्च किया, क्या उससे वहां के लोगों की आमदनी बढ़ी ? यदि बढ़ी तो यह पहाड़ों का विकास हुआ, यदि नहीं बढ़ी तो पहाड़ों का विकास नहीं हुआ। मोटर मार्ग बना देना, स्कूल खोलना या अस्पताल खोलना वह तो विकास के लिये साधन हैं, साध्य नहीं है। देखना है कि लोगों की आमदनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, सन् 1972 से लेकर आज तक करोड़ों रुपये पहाड़ों पर खर्च हुए। पहाड़ों पर जितना रुपया खर्च हुआ उस गति से आमदनी नहीं बढ़ी। इसलिये इस बात का प्राविधान कर दिया गया है, और इसी बात पर सेंट्रल प्लानिंग कमीशन ने जोर दिया है कि सारे पैसे सिर्फ सुविधाओं वाली मदों पर ही खर्च कर दिये गये हैं। मोटर मार्ग बना दिये गये हैं स्कूल खोल दिये गये हैं और स्वयं बिष्ट जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके क्षेत्र में डिग्री कालेज तक खोल दिया गया है और जब इतना विकास कार्य हुआ है, तब भी वे अपने को अभागा कहें तो उनके लिये क्या कहा जाय। उनके बराबर इतना भाग्यशाली कौन होगा जिसके यहां पढ़ने वाले लड़के 18 हों, और अध्यापक 25 हों और इतना ज्यादा रुपया वहां लगाया गया हो। तो अभागे वे हैं। इतना भाग्यशाली कौन होगा जहां कि इतना रुपया लगा दिया गया है बिष्ट जी के घर पर। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि दो चीजें हैं। इनकम जनरेटिंग मुद्दों पर अधिक खर्च करें या सुविधा देने वाले मुद्दों पर अधिक खर्च करें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय ओझा जी पर्वतीय विकास के उपाध्यक्ष हैं। मैं जहां का रहने वाला हूं वहां स्कूल में केवल 6 अध्यापक हैं। पांच प्रवक्ता और एक प्रधानाचार्य। अपने कितने बताये ? 25 बताये ..

श्री चारु चन्द्र ओझा--

18 हैं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

1 भी नहीं हैं 6 हैं। इतने जिम्मेदार व्यक्ति हो कर के.... ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

हमारे माननीय नौटियाल साहब भी मंत्री रहे हैं। उनकी नीति थी कि सुविधायें ज्यादा देंगे। अब नीति बदल दी गई है। 45 प्रतिशत लोगों की आमदनी बढ़ाने में लगेगा। जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक पहाड़ का विकास नहीं हो सकता है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

आप आमदनी बढ़ाने में सफल हो गये ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

अभी बताता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ओझा जी, एक चीज और बता दूं । पांच बजे सप्लीमेन्ट्री बजट पेश होना है और समय बढ़ता चला जा रहा है, अभी नौटियाल जी बोलेंगे फिर पर्वतीय विकास मंत्री जी को बोलना है ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

मैं दस मिनट में खत्म कर रहा हूं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

जो इन्होंने कहा उसकी जांच तो करा लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

नौटियाल जी ने यह बात कही कि 120 करोड़ का जो बजट है वह बहुत कम है । इससे अधिक होना चाहिए था । आप भी मंत्री रहे । उस वक्त केवल 65 करोड़ रुपये का बजट था । उस वक्त कहां सोये थे श्री नौटियाल जी । कहने में और करने में बड़ा अन्तर होता है । कहना सरल है करना कठिन है । उस वक्त तो आपका 56 करोड़ का बजट था । आप उसके हिसाब से देखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

मैं, महोदय, इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारा पर्वतीय विकास का लक्ष्य है वह यह है कि लोगों की आमदनी बढ़ायें । उसके लिए 45 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है । पहाड़ में दो चीजें हैं, जवानी व पानी । हमारे पहाड़ से दो चीजें जवानी और पानी नीचे प्लेन्स को आ रही हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय भी नीचे आ रहा है ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

हमारा लक्ष्य है कि पानी को वहीं रोक कर, विद्युत् व शक्ति पैदा कर उद्योग चलावें ताकि पहाड़ की जवानी वहीं रुक जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं ।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

मैंने छलिया मंत्री का छलिया भाषण सुना पिछले साल जब ये बजट लेकर आये थे तो मंत्री जी ने कहा था कि वे रिषीकेश के पास योगासन सिखाने के लिये कोई यौगिक केन्द्र खोलना चाहते हैं । इस साल जब ये बजट लेकर आये हैं तो वर्ल्ड बैंक और ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटी को ले आये हैं । अब ये भी पहाड़ों के अन्दर आ गये । मान्यवर, चावल का एक दाना देखकर जाना जाता है कि वह पका है या कच्चा रह गया है । पहाड़ के किसी जिले में, किसी नगर में, किसी गांव के अन्दर देख लें यह सर्वत्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है । सुबह से शाम तक केवल हरिजनों का नाम लिया जाता है । इस तरह से हरिजनों का बखान करने वाली इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि नरेन्द्रनगर में बडेड़ा गांव हरिजनों का है वह किसकी वजह से तोड़ा गया है । अफसरों के आराम करने के लिये एक सड़क बनायी गई जिसका कि जिला परिषद् ने विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया लेकिन वह सड़क केवल अफसर लोगों को आराम फरमाने के लिये बनायी गई और दो किलो-मीटर पैदल को कवर करने के लिये 7 किलोमीटर लम्बी एक सड़क बनायी गई और उसमें यह बहेड़ा गांव मलबे में दब गया, तोड़ दिया गया । मैं डेढ़ साल से इसके बारे में लिखा-पढ़ी कर रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है । नरेन्द्र नगर के पला सड़ा से कुम्हार खेड़ा तक एक बाई पास बनाया गया । 35 लाख रुपये की एक सड़क बनी, गौटी पर बनी । मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर वगैरह किसी ठेके के अपने चहेतों को जो ऐसा कार्य दे देते हैं उसे गौटी कहते हैं । इस तरह से सड़क गोटी पर बनायी गई । एक दिन भी इस सड़क पर साइकिल तक नहीं चली, भूक्षरण हुआ और जनता के हुकूकों का नुकसान हुआ । इस साल माननीय मंत्री जी का विभाग 5 लाख रुपया उस सड़क पर और खर्च करना चाहता है । टेहरी डैम पर 32 पहियां वाली गाड़ी पहुंच गई है, उत्तर-काशी की मनेरी में गाड़ियां जा रही हैं लेकिन नरेन्द्रनगर की इस रोड पर साइकिल तक नहीं चली, वह बी0 आई0 पी0 की सड़क है, ट्रैफिक तो दूर की बात है । कोई अफसर आराम करने जायेगा उसके खर्चे इसी सड़क से पूरे होंगे ।

मान्यवर, चूंकि समय कम है मैं एक-दो मिनट और लूंगा । हमारे यहां एक फकीट गांव है वहां पर एक विद्यालय है जिसमें संस्कृत अध्यापक नहीं हैं, हिन्दी का अध्यापक नहीं हैं, नागरिक शास्त्र का अध्यापक नहीं है, अर्थशास्त्र का अध्यापक नहीं है । पौखाल में भूगोल का अध्यापक नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, समाजशास्त्र का नहीं है, अंग्रेजी (द्वितीय) का नहीं है, विज्ञान का अध्यापक नहीं है, गणित का अध्यापक नहीं हैं, व्यायाम का नहीं है । इस तरह से 9 अध्यापक नहीं हैं । अक्तूबर, 1980 से ये अध्यापक नहीं हैं । मान्यवर, जिस शिक्षण संस्था में 9-9 अध्यापक न हों और इस समय पौने पांच बजे हैं लड़के परीक्षा हाल में परीक्षा दे रहे होंगे, उसका क्या हाल होगा । मान्यवर, मेरी एक लड़की इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा दे रही है । उसकी सहेली उससे कहती हैं कि तुम्हारे पापा एम0 एल0 ए0 हैं और वहां पर हमारे लिये एक विज्ञान के अध्यापक भी नहीं भेज सकते हैं । पहाड़ों के अन्दर पढ़े लिखे, प्रशिक्षित नौजवान घूम रहे हैं, मंत्री जी यह बात जानते हैं । उनको काम नहीं मिल रहा है । पता नहीं क्यों

[श्री विद्यासागर नौटियाल—]

नहीं मिल रहा है, मंत्री जी बता सकते हैं। वे कभी पौड़ी, कभी लखनऊ और कभी इलाहाबाद बुला लिये जाते हैं। मां बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, पढ़े लिखे हैं, ट्रेन्ड हैं किन्तु उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है। आपने अस्पताल खोल दिये लेकिन वहां कोई डाक्टर नहीं जाता है। पूरे पहाड़ में कहीं डाक्टर नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आप योजनाओं को सही तरीके से चलायें। वैसे तो यह बजट भाषण आपका रस्मी भाषण है मैं तो खाली अपने फेफड़ों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने पहले भी कहा जमाना बाहुबल का था स्वयंबर तो बहाना था

(व्यवधान)

पंतनगर के पास एक जगह रानी चौरी है जिसे आपने रानी चौरी लिखा और माननीय मन्त्री जी ने भी रानी चौरा कहा है। आप अपने अधिकारियों से कहें वह पहले घूमें और क्षेत्रों की जानकारी करें, वहां अच्छा काम हो रहा है लेकिन उसको स्थान नहीं मिल पा रहा है। वन विभाग की भूमि वहां पड़ी है तिवारी जी ने इसके लिए प्रयत्न किया उनके जमाने से यह स्कीम चल रही थी। न्यू दिल्ली तिवारी जी उस समय मुख्य मन्त्री थे। तब से उसे स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है। आपने पूरा साज सामान भेज दिया। जब जगह ही नहीं है तो रिसर्च कहां से करायेंगे। पहाड़ों की हवा आप लोगों को खिलाते रहें, लेकिन मेरे जिले में जो यह पुस्तक दी गई है कहीं पर कोई काम नहीं है टूरिजम में इसमें मेरे जिले का कहीं नाम नहीं है। यह ताज्जुब की बात है कई जगह पचासों काम हो रहे हैं लेकिन टेहरी-गढ़वाल को क्यों नहीं लिया गया वहां से केवल दो विधायक हैं एक मैं हूं और दूसरे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वे शायद उनसे मिलते नहीं और मुझसे मन्त्री जी संतुष्ट नहीं रहते हैं। देहरादून के अंदर मन्त्री जी ने यह जो एजेंडा दिया है। हमको तो इस सरकार ने प्रूफ रीडर बना दिया है। यह तीन पेज की लम्बी संशोधन सूची दी है। मैं सुबह से बैठकर उसका प्रूफ रीडिंग कर रहा हूं। मेरा यही काम रह गया है। मैंने इसमें लाल लकीर लगा कर एमेंडमेंट कर दिया है और हरे से अपने नोट लगाये हैं। तो देहरादून में नम्बर 8 से 33 तक

(व्यवधान)

के मोटर मार्ग केवल देहरादून में बने हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी प्रूफ रीडिंग कम्पलीट हो गई है या नहीं। कम्प्लीट हो गई है तो उसे छपवा देंगे। आप समाप्त करें।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं तो इनमें सब देहरादून की सड़कें हैं जो हमारे मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं ज्यादा समय नहीं लेता जब आपका आदेश हो जाता है तो मैं सीधे धराशायी हो जाता हूं। तो इसमें पृष्ठ दो के उद्देश्य नम्बर एक में लिखा है विकास से संपूर्ण आबादी को लाभ हो किसी एक सेट्स ग्रुप को नहीं पहाड़ों में सब का स्टेटस एक होता है यह समझ कर आपको

चलना होगा। इस समझदारी से आप अलग हुए तो आपकी सारी योजनायें शीर्षासन कर जायेंगी। माननीय मन्त्री जी की मुस्कान हम देख रहे हैं स्माइल टु आल फेवरस् टु नन शो बेस्टाव्ज, मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रसाद जी ने कहा है--

देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले,
हां कि गर्व रथ में तुरंग स, जितना जो चाहे जुत ले।

(डा0 शिवानन्द नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री उपाध्यक्ष--

आप 5 मिनट में समाप्त करें। 5 बजे सप्लीमेंटरी बजट पेश होना है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, थोड़ा सा टाइम आप बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

वह हमारे वश में नहीं है वह तो गवर्नर तय करते हैं।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैंने अभी दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के विचार सुने और कम से कम दूसरे तरफ के मित्रों के विचार सुने। इतना तो मैं उनको आश्वस्त कर ही देना चाहता हूं कि कांग्रेसी विधायकों की नौकरी पक्की हो गयी। क्योंकि आधा तो उन्होंने इन्द्रा जी का यशगान किया और आधे में विश्वनाथ प्रताप सिंह का यशगान किया और आधे में स्वयंनाथ का गायन किया। तो नौकरी तो उनकी पक्की हो ही गयी उसमें कोई कमी नहीं रही है। यह जो बजट पेश हो गया है वह पर्वतीय विकास परिषद् की मंशा के खिलाफ पेश हुआ है। विकेन्द्रीयकरण योजना के बारे में सेक्रेटरी महोदय का जो पत्र गया है कि यह सब पास करके हमने योजना बना ली है यह हमारे सभी सदस्यों के अधिकारों का हनन है। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें। वह ऐसी परम्परा न डालें जिसमें हम शरीक न हो सकें।

हम पर्वतीय अंचल के लिए सच्चा और वास्तविक विकास चाहते हैं, ऐसा विकास नहीं चाहते हैं जो मनमाने ढंग से लखनऊ में बैठकर तैयार कर लिया जाय। मंत्री जी ने अपने बयान में एक जगह में दो लाख जाली यूनिटों की कोटद्वार में चर्चा की और कहा उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस दिन 6 बैगन्स चीनी कोटद्वार में पकड़ी गयी थी, वह प्रश्न इस सदन में कुछ दिन पहले आया था कि उसमें सीधे-सीधे एक मन्त्री जी का हाथ है। वह मन्त्री कौन है? जब सीधे चीनी पाकिस्तान जा रही थी तो उसके लिए आपने कुछ कहा नहीं लेकिन जो यूनिट जाली बन गये हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह काम भी जो इनके सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर का है तहसीलदार और दूसरे कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया गया है। आपकी सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ लेती है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं करती है। जहां तक इसका सवाल है कि ओझा जी एक बात कही कि मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम हर मा

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

मीटिंग करेंगे। मैं उनका ध्यान इसके बारे में आकर्षित करते हुए उनको बताना चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने 27 दिसम्बर, 1980 से कोई पर्वतीय विकास की मीटिंग नहीं की है। मान्यवर, मुझे हैरानी है कि ओझा जी कैसे पर्वतीय विकास परिषद् के औनरेरी उपाध्यक्ष वहां पर बने हुए हैं जिन्होंने परिषद् का उपाध्यक्ष बने रहने के लिए अपने साथियों की कभी कोई वकालत की है? उन्होंने हमारे कहने पर भी उसकी मीटिंग नहीं बुलायी।

मान्यवर, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने नवम्बर से गढ़वाल जाने के लिए 11 बार कार्यक्रम बनाया, लेकिन फिर उसको कैंसिल किया। तमाम पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे। यह निरर्थक ही व्यय हुआ, इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी प्रदेश के धन का दुरुपयोग किया।

जहां तक पर्यटन का सवाल है मानसरोवर की यात्रा करने वाले पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पूरी करने के बाद ही वहां पर जाते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि बदरी-केदार के सीमान्त के लोगों को गाइड के लिए तैयार किया जाय।

इसी प्रकार से स्कूलों और अलग हिल कैडर की बात कही गयी है। हिल कैडर की बात तभी ठीक हो सकती है कि जब वहां पर पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले लोगों को ही नौकरियों में रखा जाय। जनता पार्टी के राज्य में कुमायूं और गढ़वाल के 4,000 लोगों को नौकरी दी गयी तो। अगर वहीं के लोगों को वहां पर नौकरी दी जाय तब तो आपके हिल कैडर की बात ठीक है अगर यहां के (मैदान के) लोग नौकरियों में वहां पर जायेंगे तो वे फिर 8-10 दिन बाद हाजिरी देकर छुट्टी लेकर लौट आयेंगे। मेरा सुझाव है कि जितने कालेज बन गये हैं, उनमें साइन्स की शिक्षा दी जाय और जिन हाई स्कूलों में और इन्टरमीडिएट कालेज में अध्यापक नहीं हैं वहां पर अध्यापक भेजे जायं और जिन अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं, वहां पर डाक्टर्स भेजे जायं। होता यह है कि अगर अस्पताल में डाक्टर नहीं हैं तो दवाई नहीं मिल सकेगी और अगर कहीं पर कम्पाउन्डर हैं तो डाक्टर्स नहीं हैं।

मेरा यह भी निवेदन है कि इस प्रकार का अनैतिक बजट इस इतनी बड़ी मैजोरिटी के आधार पर पास तो हो ही जायेगा परन्तु मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात में हमें भी शामिल कर लें ताकि हम उन्हें अपने विचार दे सकें। जो बजट माननीय मन्त्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है वह पर्वतीय क्षेत्र के तनिक भी हित में नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मन्त्री जी को हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मान्यवर, जैसा यह बजट है यह हमारे अधिकारों को डकारने का बजट है और इससे कभी भी प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। इसलिए मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने अपने फर्ज का निर्वहन करते हुए अगर कुछ और भी कहा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी, जरा आप रुकिए।

[समय 5 बजे]

## 1981-82 के तृतीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1981-82 के तृतीय अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इनसे यह भी पूछ लीजिए कि ये और कितने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

और नहीं हैं ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, श्री नौटियाल जी का कथन था कि प्रदेश के सापेक्ष्य में यह बजट बहुत कम है । लेकिन मैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें, अनुपूरक अनुदानों की कापियां वितरित हो जायें ।

( अनुपूरक अनुदानों की कापियां बंटने पर )

## 1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग (क्रमागत)

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

मान्यवर, वर्ष 1974-75 में प्रदेश के सापेक्ष्य में यह 5·6 प्रतिशत था, वर्ष 1975-76 में 5·4 प्रतिशत, वर्ष 1981-82 में यह 9·3 प्रतिशत था और वर्ष 1982-83 में यह 10 प्रतिशत है । इस प्रकार यह कहना कि इसमें कमी हुई है, उचित नहीं है । पहले से वृद्धि हुई है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि यहां पर बार-बार प्रश्न उठते हैं कि नये विद्यालय भवन भी बनाये जायें, पिछली पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग में माननीय नौटियाल द्वारा यह भी कहा गया था कि स्कूलों के भवनों के निर्माण एवं उनकी साज-सज्जा के लिए अधिक धनराशि का प्राविधान होना चाहिये । अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में 21 करोड़ 24 लाख का काम स्वीकृत है जिन पर काम होना है । इस प्रकार हमने उनके सुझाव को भी माना है ।

( व्यवधान )

1981-82 में करीब 70 हजार रुपया भवनों की रिपेयर्स के लिए दिया गया । इस वर्ष भी करीब 50 प्राइमरी विद्यालयों के भवनों के लिए पैसा दिया गया है । भविष्य में भी जो प्राइमरी या जूनियर हाई स्कूल खोले जायेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि वहां भवन भी दिये जायें । जो आपने सुझाव दिये हैं हम उन्हीं के अनुरूप चलने की चेष्टा कर रहे हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मैंने यह कहा था कि रुपया दिया गया पर काम कुछ नहीं हुआ ।

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी जब बैठें तभी आप पूछ सकते हैं । वे बैठे नहीं हैं, इसलिए आप कृपया बोलें नहीं ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, पर्वतीय अंचलों में प्रधानाचार्यों के पदों के रिक्त होने के बारे में कहा गया था । पर्वतीय अंचल के विद्यालयों में इस समय लगभग 92 प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं जिन पर व्यवस्था इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रोन्नति का प्रकरण सब जूडिस है । जैसे ही यह मामला तय हो जायेगा, उनकी नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

अध्यापकों के बारे में भी कहा गया कि उनके 90 प्रतिशत पद रिक्त हैं । मैं माननीय सदन को बतलाना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल के विद्यालयों में प्रवक्ता के एक प्रतिशत से भी कम पद रिक्त हैं । स्नातक वेतनक्रम के लगभग पांच प्रतिशत पद रिक्त हैं तथा सी० टी० वेतन क्रम के लगभग तीन प्रतिशत पद रिक्त हैं । उन रिक्त पदों पर प्रोन्नति तथा नियमित चयन द्वारा व्यवस्था की जा रही है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

अध्यापक वहां पहुंचते ही छुट्टी लेकर चले जाते हैं । 90 प्रतिशत अध्यापक नहीं हैं ।

( व्यवधान )

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

यह कहा गया कि जिला विद्यालय निरीक्षक की नियुक्ति नियमानुसार नहीं है । मान्यवर, जिला विद्यालय निरीक्षक का पदस्थापन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति उसी जनपद का निवासी न हो । इस समय पौड़ी में जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं वे चमोली जनपद के निवासी हैं ।

माननीय कुंवर सिंह नेगी ने जो सुझाव दिये हैं उन पर अमल करने की चेष्टा की जायेगी । हमने पर्वतीय क्षेत्रों में निजी उद्यमियों को पर्यटक व्यवसाय में खपाने हेतु 141 उद्यमियों को ऋण दिये जाने की संस्तुति बैंकों से की है । हमने निजी उद्यमियों को भी ऋण व सब्सीडी देने की बात की थी । हमने यह योजना बनाई थी कि जो भी व्यक्ति 50 हजार रुपया संस्थागत वित्त साधनों से लेकर इस तरह की टूरिस्ट काटेजेज बनायगा उसको 20 प्रतिशत सब्सीडी देंगे । हमें यह भी पता चला है कि बैंक ऋण देने में दिक्कतें पैदा करता है । मैं यह भी आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में उनकी एक मीटिंग बुला रहे हैं और यह चेष्टा की जायेगी कि इसमें कोई दिक्कत न हो ।

माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट जी ने कहा था कि पम्प नहर योजना जो पूर्ण हो चुकी है, बिजली लगना शेष है। बिजली विभाग द्वारा योजना का इनरजाइजेशन इस माह के अन्त तक पूर्ण हो जायेगा और नहर में पानी चल सकेगा।

सड़कों के सम्बन्ध में एक पिछले प्रश्न का हवाला दिया गया। वह प्रश्न सीधा-सादा था कि 1980-81 और 1981-82 में स्वीकृत कितनी सड़कें बनी और उसका उत्तर 40 किलो मीटर है। यह प्रश्न नहीं था, कि कुल कितनी सड़कें बनी उसमें कुल मिलाकर फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में स्वीकृत सड़कों सहित 1981-82 में 563 किलो मीटर सड़कें बन गईं। देव प्रयाग पुल के सम्बन्ध में जो वास्तविकता है वह यह है कि उसका सुपर स्ट्रक्चर लोहे का बनना है जिसमें सीमेन्ट का सवाल नहीं है। सुपर स्ट्रक्चर का प्रबन्ध किया जा रहा है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की चर्चा की गई। पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की संख्या कुल जनसंख्या की लगभग 16 प्रतिशत है। कुल प्लान परिव्यय में चालू वर्ष में लगभग 12.84 करोड़ का व्यय अनुमानित है जो कुल प्लान परिव्यय का 12.8 प्रतिशत है। परन्तु उन योजनाओं, परियोजनाओं को (जिनका विभाजन सम्भव नहीं है) जैसे विद्युत् प्रजनन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण, माइनिंग सोथ (हिल कैम्पस), बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान/इकाईयां आदि निकाल कर प्रतिशत निकाला जाय तो अनुसूचित जातियों के लाभार्थ कम्पोनेन्ट प्लान में लगभग 19 प्रतिशत प्लान परिव्यय आवंटित किया जा रहा है। इसमें हरिजन सेक्टर के प्लान परिव्यय भी शामिल है। मान्यवर कुवर सिंह नगी ने चर्चा की, कि माल्टा काफी मात्रा में पैदा होता है। मैं मुतमईन हूं इस बात से। बड़ा अच्छा सुझाव है और इसी दृष्टिकोण से हम सोचते भी चले जा रहे हैं। उद्यान फलों के लिए कूल हाउस बनाने की हमने व्यवस्था की थी। सार पद्धति और हिल डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की गई। अगले माह निश्चित रूप से यह मीटिंग बुलाई जायेगी और आपके जो भी सुझाव होंगे जैसा कि हमने आपके सुझावों पर पहले गौर किया ही है उस पर भी गौर करेंगे। जहां तक परिव्यय का सवाल है मैं समझता हूं परिव्यय भी बढ़ रहा है। आपकी भावनाओं का समावेश हम करते ही जा रहे हैं। आप सब जो सुझाव देते हैं उस पर भी विचार किया जाता है। मैं समझता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के प्रति आप भी जागरूक हैं और आप भी चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो। मेरा ख्याल है आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मन्त्री जी ने जो बात कही थी, मेरा स्पष्ट कहना था कि पर्वतीय विकास परिषद् की मीटिंग बुलाने के बाद ही यह बजट पेश होना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि यह आयोग है, हमारे प्रदेश का जो बनता है, उसी तरह से पर्वतीय विकास परिषद् वहां का बनता है। विकेन्द्रीकरण की योजना यह थी कि मीटिंग बुलानी थी, मान्यवर, सब लोगों के सुझाव अगर होते, तो यह मीटिंग बुला ली जाती।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि अगले माह निश्चित रूप से मीटिंग बुलाई जायेगी।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, जब असेम्बली प्रारम्भ हो चुकी थी, तब वह कार्य इस सदन के सत्र के बीच में नहीं हो सकता था।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, आपके प्रान्त में ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे आपका मिर्जापुर है, वह पर भी मान्यवर, पहाड़ हैं, बुन्देलखण्ड में भी पहाड़ हैं और भी ऐसे जिले हैं जहां पर पहाड़ हैं और वही परिस्थितियां वहां पर भी हैं, चाहे वह अधिकारी वाली बात हो, या अन्य कोई बात हो, सभी पहाड़ों पर एक समान ही समस्यायें हैं। सड़क वहां पर भी नहीं हैं। फसलें वहां पर भी नहीं हैं तो मान्यवर, मैं तो केवल आप से यह पूछना चाहता हूं कि जो योजना पहाड़ में लागू की जा रही है। क्या प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जो उसी परिस्थिति के हैं वहां भी लागू करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह योजनायें बर्फीले पहाड़ के लिये है भाई शंकर सिंह। आओ अफीम के नगरों में बस जाओ प्यारे रोज अफीम खिलायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शंकर सिंह ने एक शंका उत्पन्न किया है। उसके विषय में मन्त्री जी को कुछ कहना है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इस समय तो मैं 8 जिलों को देख रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विचार करेंगे। ठीक है बैठ जायं। डाक्टर शिवानन्द नौटियाल अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

नहीं। यह कैसे हो सकता है यह छीन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 87,55,80,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से एक सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की गई है। शेष अस्वीकृत हुईं। जो सूचना स्वीकृत हुई वह माननीय मोहन सिंह, माननीय कन्हैया लाल तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद द्वारा उत्तर प्रदेश के पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशनों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में है। माननीय मन्त्री जी वक्तव्य के लिए कौन सी तारीख रख दी जाय ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

5 अप्रल रख दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

5 तारीख के बारे में नहीं कह सकता, इसलिए बाद में तिथि निश्चित करके आपको सूचित कर दिया जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी—

है।

## उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982†

[समय 5 बजकर 15 मिनट]

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, इस अध्यादेश द्वारा जो जनतापार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र पर आधारित एक व्यवस्था कायम की गयी थी उसे समाप्त किया जा रहा है। इन मण्डी समितियों के अन्तर्गत जनता के प्रतिनिधि मनोनीत करके उनके सुपुर्द कार्यभार सौंप दिया गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

एक निवेदन है कि इसके लिये एक घंटे का समय दिया गया है, इसलिए ऐसा समय लें कि जिससे सब को बोलने का मौका मिल जाय।

---

†दिनांक 19 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

किन जैसे ही श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आयी उसने मण्डी समितियों पर कुठाराघात किया और जो जन प्रतिनिधि संचालित कर रहे थे, उनको समाप्त करके जिलाधिकारी को, मण्डी समितियों को सुपुर्द कर दिया। आज भी आपको संतुष्टि नहीं हुई और आपने पुनः एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाने की इच्छा चाही।

मान्यवर, समय कम है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि एक माप दंड प्रस्तुत कर दिया जाय कि जब यह मण्डी समितियों को जन प्रतिनिधि संचालित कर रहे थे तो उस समय कि आय ले लें और आप द्वारा 2 वर्ष में जो उनका संचालित कर रहे हैं उनकी आय ले लें और तुलना करें तो यदि आय उस समय ज्यादा हो तो ठीक है और यदि आय कम हो गई हो तो वही व्यवस्था करें। अब थोड़ी देर के लिए किसी मण्डी समिति की आय बढ़ गई है तो यह माप दंड नहीं हो सकता है क्योंकि टैक्स की दरों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि मण्डी समितियों का चुनाव आप नहीं करा सकते हैं तो आप अपने ही कार्यकर्ताओं को उसमें मनोनीत कर दें और उसका अध्यक्ष विधान सभा के किसी सदस्य को मनोनीत कर दें। जो व्यवस्था मण्डी समिति की है उसका संचालन यदि जन प्रतिनिधियों द्वारा होगा तो जो उद्देश्य मण्डी समिति का था कि क्षेत्र का विकास और मार्गों का विकास होगा वह जरूर पूर्ण होगा। मुझे आशा थी कि मुख्य मन्त्री जी ने एक बार यह आश्वासन दिया था, अध्यक्ष के निवास पर, कि जो मण्डी समितियों द्वारा मार्ग बनाये गये थे और समाप्त हो रहे हैं, हम मण्डी समिति के अधिनियम में संशोधन करके उन मार्गों को रख-रखाव करेंगे परन्तु ऐसा नहीं किया। जो कार्य विकास का होता है उसको मुख्य मन्त्री जी भूल जाते हैं और ऐसे कार्य आपको याद रहते हैं कि जन प्रतिनिधियों के हाथ से अधिकार लेकर सरकारी कर्मचारियों को सौंप दें। इसलिए विशेषकर उधर बैठने वाले सहयोगियों माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रशासन पर इस बात का दबाव डालें और हमारे संकल्प का समर्थन करें कि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे। शासन ने जो मण्डी समिति का एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया है इसको समाप्त करके मनोनयन कर दें उससे हम संतुष्ट हो जायेंगे। इतनी बात कह करके मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1964 में मंडी समितियों का अधिनियम बनाया गया। सन् 72 में इसमें अल्पकालिक व्यवस्था की गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय बलबीर सिंह जरा रुक जायं। माननीय मंत्री जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें विचार करने के लिये।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, अब तो 12 बजे हुये साढ़े पांच घंटे हो गए हैं।

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति ( अल्पकालिक व्यवस्था ) ( संशोधन ) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

विचार किया जाय, कहिए ।

श्री सीताराम निषाद---

विचार किया जाय ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

आप कुछ कहना चाहते हैं, मंत्री जी ।

(मंत्री जी खड़े हुए लेकिन कुछ क्षण उपरान्त बैठ गये ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, आपने जो पहले निर्देश दिया था कि समय कम है उसका ध्यान रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखने की चेष्टा करूंगा । मान्यवर, प्रवर समिति को सुपुर्द किए जाने के प्रस्ताव को दो दृष्टिकोण से देखना होगा । एक तो यह विधेयक अध्यादेश के रूप में आया । इस सम्बन्ध में पहले दो शब्द कहना चाहूंगा । मान्यवर, अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित करके विधान मंडल की अवमानना की गई है और जो विधायी शक्ति प्राप्त है उसका दुरुपयोग किया गया है । प्रजातंत्र की जो मूल भावना है उस पर कुठाराघात किया गया है । मान्यवर, अध्यादेश कब प्रख्यापित किया जाता है । भारतीय संविधान में राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार तब दिया गया है जब कोई सदन सत्र में न हो । इसका कार्यकाल 5 मार्च तक था, शंका हो रही थी कि 5 मार्च तक चुनाव नहीं करा पायेंगे तो इसको पास कराने का मौका था, कि एक विधेयक प्रस्तुत करते और संख्या के बल पर वह पास हो जाता । लेकिन सरकार की आस्था प्रजातंत्र में, संसदीय पद्धति में नहीं है, चाहे इनकी गलती हो या इनके सलाहकारों की गलती हो कि परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई । विधान परिषद्, जो सत्र में थी, उसको बिना किसी आवश्यकता के आपने सत्रावसित कर दिया, उसका सत्रावसान कर दिया और संविधान के अंदर आपको जो टेक्निकल पावर मिली है उसका आपने फायदा उठाया और आप अध्यादेश ले आये । विधान परिषद् सत्र में थी, उसका सत्रावसान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन सत्रावसान किया गया, केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

इसलिए किया गया कि अध्यादेश जारी करने का मौका मिल जाय। इस सरकार को प्रजातंत्र में आस्था नहीं है, जानबूझकर विधान परिषद् का सत्रावसान किया।

अब मैं विधेयक पर आता हूं। इस विधेयक के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। इसमें एक वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया। इस सरकार की आस्था इस बात में नहीं है कि जो हमारे स्टेट्यूट्स बने हुए हैं, उनकी जो भावना है कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाय। उन्होंने चुनाव कराया नहीं पूरा मौका था, कोई झगड़ा नहीं था, विवाद नहीं था, चुनाव न कराकर एक साल और कार्यकाल बढ़ा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन न कराने का नुकसान क्या है? अधिनियम जो है 1966 का उसकी धारा 19 की उपधारा (7), (9) और (12) में यह प्राविधान किया गया है कि कृषि उत्पादन मंत्री का गठन क्यों हुआ है। इसका गठन इसलिए हुआ है कि जो काश्तकार मारकेटिंग के लिए जाते हैं तो बिचौलिए उनका शोषण करते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि वे शोषण से बच जायं और उन्हें अपने सामान का उचित मूल्य मिल जाय। यह भी व्यवस्था की गई थी कि जो मार्केटिंग स्थल होगा उसको प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा और सुरक्षा के लिए भवन बनायें जायेंगे। धारा 19(9) में यह भी व्यवस्था की गई थी कि कृषि सुधार और विपणन की व्यवस्था की जायगी, लेकिन ये काम तिरोहित हैं। ब्यूरोक्रेसी का यह काम है कि कृषि मंडी के माध्यम से कैसे आमदनी बढ़ाई जाय। आज जितने भी उत्पाद हैं, चाहे कृषि उत्पाद से बाहर की चीजें हों, मसाला हो, उस पर भी मंडी टैक्स पड़ेगा। पहले मंडी क्षेत्र सीमित था, अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पूरा प्रदेश मंडी के परव्यू में आ गया। एक तरकारी वाला अगर अपनी तरकारी को मंडी में न ले जाय तो उस पर भी टैक्स पड़ जायगा। बथुआ और पालक बेचा तब भी टैक्स पड़ जायगा। जनहित में जो पैसा खर्च होना चाहिए था, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है।

मैं सीतापुर मंडी की स्थिति बताना चाहता हूं। सीतापुर मंडल में न तो मंडी स्थल पर पानी की व्यवस्था है और न और कोई व्यवस्था है। मैंने विधान सभा में सवाल भी उठाया था। वहां पर न तो पानी की व्यवस्था है और जो यार्ड है, वह मंडी समिति को सरेण्डर नहीं किया गया है। मेरे यहां तम्बौर में मंडी स्वीकृत हुई, 11 लाख रु0 बिसवां में जमा भी कर दिए गए, जमीन एक्वायर कर ली गई, चारों ओर तार भी लगा दिए गए, तार लगा दिए गए लेकिन मंडी का निर्माण आज तीन साल हो गए हैं, शुरू नहीं हुआ है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसे देखने वाली है हमारे जिले सीतापुर में मान्यवर, सीतापुर मंडी में झगड़ा हुआ, वहां के एक उप सचिव थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। मैंने उसकी शिकायत की कि वहां पर भ्रष्टाचार जोरों पर है। मंडियों के सहकारी सचिव ने जनता से पैसा लूटा है। मान्यवर, दिल्ली में जो किसानों की रैली हुई थी उसके लिये उसने 5 हजार रुपया इस तरह से इकट्ठा किया। यह चन्दा उसने जनता से किसान रैली के नाम पर इकट्ठा किया फिर पता नहीं उसे पार्टी के कोष में जमा भी किया या नहीं किया। इसके अलावा गवर्नमेन्ट सर्विस कन्डक्ट रूल्स के खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी जनता का पैसा जाकर पार्टी के लिए वसूल करता है। इसके बारे में मैंने शिकायत की, मेरे सीतापुर के विधायक, चौधरी परागी लाल ने भी शिकायत की थी। मेरी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई तो मैं तो ठहरा प्रतिपक्ष का विधायक, मेरे पक्ष की बात वह कैसे सुन सकते थे परन्तु अपने पक्ष के विधायक की

बात को, अपने पार्टी के विधायक की बात को भी नहीं सुना तो यह मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी का ही काम है ।

कहते हैं कि हम जनहित के कार्यक्रमों पर पैसा खर्च करते हैं, परन्तु मान्यवर, ये ऐसा नहीं करते हैं । जनता सरकार ने जनता के हित में पैसा खर्च किया था और मंडी समिति के माध्यम से सड़कों का निर्माण कराया था । चिलबाड़ा से लेकर सीतापुर तक एक सड़क बनी थी, पुलियों के बनाने की योजना थी । परन्तु मान्यवर, इस सरकार ने आते ही जो 6 पुलिया बननी थी वह आज तक नहीं बनी हैं और सड़कें सारी बह गई हैं ।

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है और इसके बारे में मैं माननीय कृषि मंत्री जी से भी जानना चाहूंगा कि आप बतायें कि पिछले एक वर्ष में कृषि उत्पादन मंडी समिति में कितनी जीपें खरीदी गई हैं । अब मान्यवर, आप ही बताइये कि इतनी जीपें खरीदने की क्या आवश्यकता थी । परन्तु इन्हें आवश्यकता थी क्योंकि केवल इसीलिए जीपें खरीदी जा रही हैं कि उनके ऊपर जो प्रशासक नियुक्त हुए हैं वे काम कर सकें । मन्त्री जी इस बात से सहमत होंगे, मैं उनके स्वभाव को जानता हूं कि मण्डी सचिव कौन बना ? आपके विभाग के एक क्लर्क को मण्डी सचिव बनाया गया है क्या मन्त्री जी आप मेरी इस बात से सहमत हैं ? एक सामान्य स्तर के व्यक्ति को, दर्जा दो के व्यक्ति जब आप इतना बड़ा पद दे देंगे तो उसका परिणाम यही होगा कि जो इसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं फिर कहता हूं कि मण्डी सचिव बनने के लिए एक पी0 सी0 एस0 ग्रेड के व्यक्ति को यहां का सचिव होना चाहिये । केवल मात्र बाबू को डेपूटेशन पर मण्डी समिति का काम करने के लिए नियुक्त करेंगे तो फिर स्वयं भ्रष्टाचार बढ़ेगा । मैं एक सामान्य बात करता हूं, मुझे किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है परन्तु यह एक सामान्य सी बात है, मैं समझता हूं कि मन्त्री जी भी मेरी बात से सहमत होंगे ।

इन दो-चार मुद्दों को रख कर मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय । आज आर्डिनेन्स का अननुमोदन हो जायेगा । आपने बिल रखा है परन्तु आपने इसमें कोई व्यवस्था नहीं की है कि आर्डिनेन्स का निरसन होगा इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है । बाद में जब विभाग को ख्याल आया तो सरकार ने संशोधन पेश किया है । यह आपके विभाग की दूर-दर्शिता का परिणाम है कि पहिले तो उल्लेख नहीं किया और अब संशोधन भेज दिया । इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं पुनः बल देता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, बड़ी बदनसीब है मण्डी समिति, जो उसका बिल आज फिर आ गया । सन् 1964 में यह पहिले अधिनियम बना था यू0 पी0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 था । आज 1982 आ गया । जब यह बिल बना था उस वक्त जो बच्चे पैदा हुये थे वह आज 18 साल की उम्र पार करके बालिग हो गये हैं परन्तु जो किसान से मुताल्लिक बिल है, इतना इम्पारटेन्ट है कि यदि कोई एक बोरी गेहूं की बेचने जाय तो उसे मण्डी समिति का कर देना पड़ेगा और अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन--]

भी नहीं कहा जा सकता है कि 5 मार्च तक आपने समय लिया है मन्डी समिति के बारे में, अब तक तो आप कहते रहे कि प्रधानों के चुनाव होंगे, वह होने वाले हैं, उसके बाद आप लोगों के क्या जरूरी मसले खड़े हो जायें, जैसे आज ही 28 तारीख को मेनका गांधी का प्रोग्राम खड़ा हो गया, सारा मामला अस्त-व्यस्त हो गया, इसी तरह से न मालूम जो एक साल और मांग रहे हैं, कितने जरूरी काम खड़े हो जायें। आप एलेक्शन न करायें, यह बदकिस्मती है इस प्रदेश की, जो कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि मन्त्री बहुत अच्छे कृषक हैं, उप मन्त्री, राज्य मन्त्री, पूरी की पूरी कैबिनेट कृषक है परन्तु यह एक ऐसा बिल है जो उन सब बातों के होते हुये भी, आज इसका चुनाव आप नहीं करा सके। एक साल और, 5 मार्च, 1983 तक के लिए और समय हो जाय। मालूम नहीं क्या हस्र होगा उस समय तक। संदेह का मामला है किस पर करें, मुख्य मन्त्री पर, कृषि मन्त्री पर या किस-किस पर करें। मुझे तो कुछ समझ में हीं नहीं आता। जो मन्त्री इसको पुट करते हैं तो कहता है कि 31 मार्च तक एलेक्शन तो करा देंगे, लेकिन शंका है हम लोगों को। हमने कहा कि 31 दिसम्बर तक करा दें तो हम लोग इसे वापस ले लें और यूनैनिमस, सर्वसम्मति से यह अधिनियम पास हो जाय लेकिन कराने की हिम्मत तो है 31 दिसम्बर तक लेकिन एहतियातन 31 मार्च तक का समय ले रहे हैं। इस मामले में शंका है और दोष दिया जाता है हम लोगों को, विरोध पक्ष के लोगों को। मेरी समझ में नहीं आता कि बड़ी चिन्ता है राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को, सेक्रेट्री जो हैं वह सचिव का काम कर रहे हैं। जब एक अधिनियम 64 को पास किया गया और आज तक डेमोक्रेटिक मेथड तक आप तय नहीं कर सकते तो क्लर्क अगर सेक्रेट्री बन जायगा तो कौन बड़ी ताज्जुब की बात है। 18 साल में अधिनियम अपना रूप प्राप्त नहीं कर सका जो होना चाहिए, जो लोगों को एलेक्टोरल का अधिकार होना चाहिए।

कोई हिसाब नहीं पैसे का। आमदनी बेइंतिहा है। किसानों को सुविधा आप क्या देंगे, वासुदेव सिंह जी नहीं हैं, 15 दिन के बाद शुरू हो जायेगी उन की परचेजिंग। सेन्टर कहां-कहां बनने हैं, उसमें मण्डी समिति भी खड़ी हो कर एक रुपया लेती है। न हर्रा लगे न फिटकरी। फायदा ही फायदा। न लोट है न बाल्टी है, न तम्बू है न शामियाना है। कुछ होता है नहीं लेकिन बिल सब बनते हैं। पिछले दफा श्रीमन् मेरे यहां का एक मामला था, मैंने कहा कि अगर आप तम्बू, शामियाना तक नहीं लगा सकते तो जब यह हर साल यहां होता है तो कम से कम एक मुस्तिकल नल ही लगवा दें। तो वह एक नल पानी पीने के लिए लगाना जो हमेशा आइन्दा के लिए भी हो जाता, वह कायदे, कानूनों में उलझ गया नियम में शामियाना जा सकता है, बाल्टी जा सकती है लेकिन नल नहीं लग सकता है पानी पीने के लिए। इस रुपये का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, आप में अगर कुछ साहस है तो एक किस्म की कोई कमेटी वगैरह कायम कर दीजिये क्योंकि यह छोटी-छोटी समितियां ही नहीं बल्कि बड़ी-बड़ी समितियां भी हैं जहां करोड़ों में आमदनी होती है। अगर आप यह किसी कमेटी को सौंप दें तो उस जांच-पड़ताल हो जाय कि किस तरह से आपके रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। आपको यह देखना चाहिए कि यह जो रुपया खर्च हो रहा है इसका यूट लाइ-जेशन हो रहा है कि नहीं।

आपने मुरादाबाद की मन्डी मझोले में बना दी जिसमें ज्यादातर रामपुर और काशीपुर का इलाका पड़ता है। यह नेशनल हाई-वे को पारकर, पूरे मुरादाबाद शहर को पार कर वहां पर आपने मन्डी बना दी, अभी पूरी हुई भी

नहीं हैं । तीन चार साल पहले जब शायद वीरेन्द्र वर्मा जी कुछ थे, उस वक्त हुआ था । म आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसानों की सुविधा के लिए सब परचेजिंग सेन्टर भी बनना चाहिए। अगर नहीं बनायेंगे तो क्या मझौले की मन्डी से मुरादाबाद का किसान फायदा उठा पायेगा । आप ऐसी जगह बनाइये जहां से किसान उसका फायदा उठा सके तो श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने रखा है, यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है । यह 64 से आज तक आपका जो इलेक्शन नहीं हुआ है, जो आप उसको पुराने ढांचे में चलाना चाहते हैं उसमें पहले ही सब एमेन्डमेन्ट वगैरह हो जायं, उसमें कोई कमी न रह जाय, इस लिए इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत है, हो सकता है कि आप पारित कर दें और कुछ समय के बाद फिर उलट कर आये तो इससे अच्छा है कि पहले ही इसमें सुधार कर लें, क्योंकि किसी चीज का कायदा कानून तो है नहीं । हम मुख्य मन्त्री जी की ही बात को कहते हैं कि एक बार का वायदा तो वायदा हुआ और दूसरी बार बात कहना तो बेहयाई हुई । इस तरह से किसी बात का भरोसा नहीं है, इसलिए श्रीमन्, यह बात कह कर माननीय गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री बलबीर सिंह (रामपुर)—

मान्यवर, यह मन्डी समिति का कानून 1964 में बना और अब 1982 आ गया । करोड़ों रुपया प्रदेश के किसानों में लगना चाहिए था वह नहीं लगा वह बैंकों में तथा अन्य जगहों पर पड़ा हुआ है । मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि बिलासपुर मन्डी समिति के लिये कई प्रस्ताव यहां डाइरेक्टोरेट में पड़े हुए हैं, जिसमें खड़ंजा बनाने, पुलिया बनाने, मंडी के लिए सड़कें बनाने के लिए प्रस्ताव किया है । मान्यवर, बिलासपुर मन्डी में पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । वहां कोई शौचालय नहीं, जानवरों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । गाड़ियों के खड़ी करने की कोई व्यवस्था नहीं है । रामपुर का बिलासपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस कानून के तहत चरमरा रहा है । किसानों की जेबों से रुपया निकाल कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने यहां जमा कर रखा है, उसे उत्तर प्रदेश के गांवों के विकास में नहीं लगाया गया है । आज किसानों से पैसा वसूल करने के अलावा इसका और कोई काम नहीं है ।

माननीय मन्त्री जी से मैंने कमेटी में भी कहा था कि इन मन्डियों का आप उद्धार करें । लेकिन माननीय मन्त्री जी को अपने अधिकारियों से ही फुरसत नहीं है । अगर उनको फुरसत होती तो जरूर कम से कम उनके चुनाव करा दिए होते। जनता सरकार ने कम से कम जन-प्रतिनिधियों का उसमें नामांकन तो किया था, जिससे जो धांधली थी, वह खत्म हो गई थी । आज मन्डी समितियां भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं । आढ़तियों के साथ सांठ-गांठ करके किसानों का शोषण किया जा रहा है । बिलासपुर मंडी में कोई बोली नहीं होती है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निहित स्वार्थी रामपुर में आज तक कभी बोली नहीं करते हैं । सौदेबाजी करके चोरी लिये खा रहे हैं । लोकतांत्रिक ढांचे को बनाकर आप जन-प्रतिनिधियों का चुनाव करावें, इन मन्डी समितियों का चुनाव जल्द से जल्द करावें । जन-प्रतिनिधियों द्वारा ही इन मन्डी समितियों का संचालन किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बलवीर सिंह--]

जाना चाहिये । मैं माननीय मन्त्री जी से मांग करता हूं कि करोड़ों रुपये जो किसानों के यहां पड़े हैं, उन्हें गांवों के विकास में लगाइये, पुलिये बनाने, सड़कें बनाने व अन्य व्यवस्था करने में लगाइये । इन शब्दों के साथ श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये अपना संशोधन रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री हुकम सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह चाहूंगा कि इस संशोधन विधेयक को देख लें, अगर अल्पकालीन की कोई परिभाषा यह पढ़ते और समझते तो शायद इस तरह का संशोधन विधेयक नहीं लाये होते । आप देखें कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 में बना था और 1972 से अभी तक इसमें संशोधन चलता आ रहा है । अगर सन् 72 में ही इस संशोधन विधेयक के जरिये अल्पकाल के लिये व्यवस्था थी तो वह व्यवस्था अभी तक ज्यों की त्यों चली आ रही है । हर साल, कभी एक साल में कभी दो या तीन साल में संशोधन ये लाते रहे हैं । तो अगर अल्पकाल की यह परिभाषा है तो दीर्घकाल की स्थिति में तो ये शायद 50, 100 साल में ही व्यवस्था कर पाते । माननीय मन्त्री जी को इसके लिए कोई नार्म बनाना चाहिए और उस नार्म के आधार पर ही अल्पकाल की परिभाषा होनी चाहिए । दीर्घ काल की नहीं होनी चाहिए ।

जो संशोधन का प्रस्ताव माननीय गुप्त जी और श्री शंकर सिंह द्वारा रखा गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जब से जिला अधिकारी को मन्डी समिति का प्रशासक बना दिया गया है, जिसके द्वारा गरीब किसानो के लाखों-करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हो रहा है । एक दो नहीं, कितनी दर्जन मन्डियां हैं, इस प्रदेश में जिनमें करोड़ों रुपये खर्च करके निर्माण कार्य कराए गए हैं, लेकिन आज तक उनमें कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है । मेरे खुद के जनपद मुजफ्फरनगर, शामली में चार साल से क्या हो रहा है । मन्डी स्थल पर निर्माण कार्य मुकम्मल हो चुका है । दरवाजे लोग उतार कर ले जा रहे हैं, छत उखाड़कर ले जा रहे हैं । कुछ गधों, जानवरों को वहां शरण मिली हुई है । अभी काम शुरू नहीं हुआ है । न जाने कितनी मन्डी समितियां इस प्रकार पड़ी हुई हैं । जहां पर आपने कार्य शुरू भी किया है 75 फीसदी व्यापारियों को आप एडजेस्ट नहीं कर पाये हैं । उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा । लाखों रुपया आपका, व्यापारियों का खर्च हुआ । सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया केवल इस कारण कि लाइसेन्सधारी थे, उन लाइसेन्स वालों के लिए प्राविधान मन्डी स्थल पर नहीं किया है ।

किसी मन्डी स्थल पर 100 व्यापारी काम करते हैं आप 100 को स्थान नहीं दे पाते हैं । दूसरी तरफ जो आदमी आपके मन्डी स्थानों का उपयोग नहीं करते हैं खासतौर पर उत्पादन का काम करते हैं, वे अपने उत्पादित सामान को दूसरी जगह भेजते हैं । आपको क्या अधिकार है, उनसे मन्डी समिति का शुल्क लेने का । जन-प्रतिनिधि बैठते तो समझते । डन्डा लेकर आपके जिलाधिकारी वहां पर बैठते हैं । वही मनोवृत्ति उनकी हो गई है, जो इमरजेन्सी के टाइम में थी कि केवल डन्डे के बल पर, फर्जी मुकदमें बना कर परेशान कर रहे हैं । सौभाग्य से हमारे जनपद के वरिष्ठ मन्त्री आप के बीच बैठे हैं । आपके सामने दो-चार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समस्यायें रखी गईं । उन्होंने निराकरण का प्रयास भी किया, लेकिन जो वहां पर अनियंत्रित जिलाधिकारी बैठते हैं हमारे वरिष्ठ केबिनेट मन्त्री के कहने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल अनसुनी कर दी और कोई आग्रह भी स्वीकार नहीं किया, आदेश तो दरकिनार रहा। मैं चाहता हूं कि अपने विभाग के प्रशासक वहां बैठा दें । कम से कम जो कृषि प्रशासक है, वह किसानों की समस्याओं के बारे में, खेती के बारे में जानकारी तो होगी । जिलाधिकारी का एप्रोच प्रशासनिक एप्रोच होता है । केवल डन्डे के बल पर शासन करना जानते हैं । किसानों की समस्याओं का निराकरण करना नहीं जानते हैं । मेरा आग्रह है कि इस दीर्घकालीन को अल्पक लीन में परिवर्तित करें । आपके विभाग की क्षमता केवल इस आधार पर आंकी जा सकती है कि बिल प्रस्तुत हुआ और उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी । पेश भी नहीं हुआ संशोधन की आवश्यकता पड़ गई । जाहिर होता है कि आपके विभाग के अधिकारी पूर्णतया बिना किसी समस्या के निराकरण किए, बिना समझे, ड्राफ्ट करके दे देते हैं और उसे आप यहां पेश करते हैं ।

इन शब्दों के साथ में इस उम्मीद के साथ बैठूंगा कि आप कृषि परिवार से आते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, कुछ दर्द आपके प्रति होगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुये इसमें कुछ सुधार करने की कृपा करें ।

*श्री गौरी शंकर भैय्या---

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का प्रस्ताव कि इसको प्रवर समिति के सम्मुख भेज दिया जाय, जो अपनी राय विचार करके दे, तो श्रीमन्, यह इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि अभी हमारे नेता रियासत साहब बोल रहे थे कि 64 में यह बिल आया और उम्मीद थी कि 82 तक इसको कोई न कोई रूप दे दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में बहुत सारे नेताओं ने अपनी बात कही । मैं भी दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

जनता राज्य में जो हमारी भावना थी, मन्डी समिति कानून बनाकर काम करने की, हमने उस दिशा में दो-तीन काम शुरू किए। एक तो मन्डी समिति के स्थल का चयन किया दूसरे जहां मन्डी समिति का निर्माण करना था, उसके लिये जमीन एक्वायर की और तीसरे वहां पर तार करवा कर छोड़ दिया ताकि जैसे-जैसे पैसा आयेगा वैसे-वैसे मन्डी स्थल का निर्माण कर दिया जायेगा । मैं नहीं कहता कि लखनऊ या उत्तर प्रदेश के मध्य में क्या किया गया है और जैसा हुकम सिंह जी ने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है । वहां गधे बैठे हैं । हमारे अधिकांश गधे तो लखनऊ चले आये हैं लेकिन हमारे यहां जो पाईलिंग की गई थी और जो कई एकड़ जमीन ली गई थी उसमें मंडी समिति के हजारों रुपये बरबाद हो गये और वह जमीन बेकार पड़ी हुई है । हमारे बलिया में एक चितबड़ा मंडी समिति है, कई एकड़ जमीन लेकर छोड़ दी गई है । मैंने इस सम्बन्ध में यहां पर विधान सभा में सवाल भी किया था और मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हम उसका घिराव करवा रहे हैं और उसको एक्वायर करवा रहे हैं । मैंने कहा कि आप कौन सा तीर मार रहे हैं कि जमीन एक्वायर कर ली है । वह जमीन आज भी खाली पड़ी हुई है । मंडी समिति के अन्दर जो बढ़िया-बढ़िया गांव थे किसानों को अपने बैल मंडी तक लाने के लिए हमने दो-दो तीन-तीन सड़कें बनाई, कुछ को पक्का भी कराया, ईंट बिछवाये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गौरी शंकर भैय्या--]

20/30 फिट चौड़ी सड़कें इस तरह से हमने बनाई । उसमें पुल और पुलिया बनाने का काम हमने किया था । ये कहते हैं कि हम अल्पकालिक व्यवस्था करके इसका कार्यकाल एक साल तक और बढ़ाना चाहते हैं । जिस सरकार को किसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, जनता के पैसे की कोई हमदर्दी नहीं है तो यदि इनको समय और दे दिया जाता है तो जो सड़क बनी हुई भी है, वह पता चलेगा कि एक साल के अन्दर ड्रेन बन जायेगी और ड्रेन के रूप में बदल जायेगी ।

दूसरी बात मैं मंडी समिति के टैक्स के बारे में कहना चाहता हूं । बलिया की चितबड़ा मंडी समिति में ट्रक आते हैं, घोड़े आते हैं, गधे आदि पर सामान आता है तो पैसा वसूल लिया जाता है । वहां पर कुछ फर्जी रसीदें बनी हुई हैं । इस तरह से वे फर्जी रसीदें काट दी जाती हैं और पैसा अधिकारी के यहां चला जाता है । यदि जनप्रतिनिधि वहां पर आ जायेंगे तो वह निश्चित रूप से यह सब कन्ट्रोल करेगा । आपके जो अधिकारी हैं उनको जनता के पैसे से कोई हमदर्दी नहीं है, वे लूटने का काम कर रहे हैं । आज सारे प्रदेश की मंडी समितियों की यही हालत है, चाहे वह कानपुर की मंडी समिति हो, माननीय हुकम सिंह जी की हो या कोई और हो । इसलिए मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार जी के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाना चाहिये जहां इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो जायेगी ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, इसको प्रस्तुत करने में जितना समय लिया गया था, उतना ही समय लूंगा । मान्यवर, आपके सामने माननीय सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार रखे और आशंका व्यक्त की है कि मंडी समितियों की जो कुछ भी आय हो रही है वह उसके विकास के लिए प्रयोग नहीं की जा रही है और किसानों को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है । मुझे मंत्रीजी और मंत्री जी की सरकार से कोई आशा नहीं है कि यह किसानों के हित का कोई काम करेगी भले ही यह एक व्यपारी के रूप में अपने कर्मचारियों से आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर ले । लेकिन इससे मंडी समितियों का उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है । इसलिए मैं अपने इस संकल्प के लिए पुनः बल देता हूं और माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस संकल्प को पास करे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन पर अपने विचार प्रकट किए । मैं संकल्प पर एक दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी जरा ध्यान देने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, वे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह संयोग की बात है कि जब मैं पहले बोल रहा था उस वक्त भी माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर थे और इस समय भी हैं । तो यह जो आर्डिनेंस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जारी हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं 5 मार्च तक का इसका समय था और 20 फरवरी को अपने विधान परिषद् को भंग करा दिया और आर्डिनेंस ले आये, आप अपना जगह पर नियमानुकूल सही होंगे पर औचित्य की दृष्टि से यह एक घृणित उदाहरण था। आपके ध्यान में यह मामला देर में आया, प्रशासनिक अधिकारी देर में लाये, आपके पास इतना मौका नहीं था उसका नियमन करा लेते या मंत्रिमंडल की कोई ऐसी मंशा रही हो। लेकिन यह जो आर्डिनेंस जारी हुआ यह लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है। आपकी सरकार है और आपके पास बहुमत है, अगर यह विधेयक लाना था तो जनवरी, फरवरी में हम यहां बैठे थे तब ले आते और तत्काल पास हो जाता और यह अनावश्यक रूप से विधायी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने का मौका हमको नहीं मिलता।

अब मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तक आप भूमिका बांध रहे थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह तो मैं आर्डिनेंस के बारे में बता रहा था। अब मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। पिछले साल आपने 12 सचिवों को हटा दिया इस आरोप पर कि उन्होंने निर्धारित मात्रा में मंडियों से आमदनी नहीं की। मैंने सवाल किया तो उनमें से दो को आपने रख लिया, मैंने फिर सवाल किया तो आपने 12 को रख लिया। जब आपने लोगों को हटा दिया इस आरोप पर कि उन्होंने निर्धारित आमदनी नहीं की फिर दुबारा रखने की क्या बात थी। तो मैंने इस पर आरोप लगाया था कि किसी भय, किसी लालच में उनको लिया।

दूसरी बात यह कि हमारे विधेयक में साफ है कि मंडियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी क्योंकि अधिकांश मंडियां शहर से बाहर चली गई हैं। मैं सीतापुर के बारे में कहना चाहता हूं वहां आपने दो-तीन पुलिस के आदमियों को नियुक्त कर दिया लेकिन जो व्यवस्था पुलिस चौकी की थी वह नहीं बनाई। मैं कहना चाहता हूं कि जहां-जहां मंडियां बाहर चली गई हैं वहां आप पुलिस चौकी की व्यवस्था करें। सीतापुर में लकड़ी मंडी दो कि0 मी0 दूर है, आप जानते हैं जितने ट्रक हैं वे रात में चलते हैं तो जब वह रात में लोड करते हैं तो उनको गेट पास चाहिए, उस समय तक दफ्तर बन्द हो चुका होता है। तो वह उनके घर पहुंचते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उत्तर दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो घर पहुंच कर गेट पास लेता है तो उसमें आप कल्पना कर सकते हैं कितनी असुविधा होती है। उससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है।

एक बात और कहना चाहता हूं जैसा माननीय रियासत साहब ने विस्तार में कह दिया, माननीय जाहिदी साहब से डर लग रहा है, वह समय की बात

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

कहेंगे । जुलाई तक आपके गांव प्रधान वोटर हो जायेंगे उसके बाद चुनाव कराने में आपको क्या दिक्कत है, आप सितम्बर तक का समय और ले लें अगर आप ऐसा संशोधन ले आये तो मैं अपने प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस ले लूंगा । तो सितम्बर के बाद भी इसे आगे ले जाना चाहते हैं तो फिर मन में सन्देह पैदा होता है कि आप चुनाव करायेंगे भी कि नहीं जैसा 72 से अल्पकालिक व्यवस्था चली आ रही है, आप कभी करायेंगे नहीं । तो इस सन्देह और विश्वास पर अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(कृषि मंत्री के उत्तर देने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि माननीय सीताराम निषाद ने इसे पेश किया है, इसलिए वही उत्तर देंगे ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का प्रस्तुत किया है और उसके सम्बन्ध में जो बातें उन्होंने माननीय सदन के सम्मुख रखी हैं, उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय हरी किशन श्रीवास्तव जी ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये यह बताया था कि यह जो अल्पकालिक व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ? मान्यवर, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि यह विधेयक जो सन् 1964 ई0 में बनाया गया था अधिनियम । यह बात सही है कि समितियों के गठन के सम्बन्ध में और मंडी परिषद् के सम्बन्ध में जो व्यवस्था दी गई है, इसकी धारा 13 में यह व्यवस्था है कि मंडी समितियां जो जिलों में बनेंगी, उसमें कौन से लोग सदस्य होंगे । धारा 26 में यह भी व्यवस्था दी गई है कि राज्य मंडी परिषद् का गठन किया जायेगा । जहां तक मान्यवर, राज्य मंडी परिषद् के गठन की व्यवस्था है उसमें सरकारी अधिकारी होते हैं और राज्य सरकार के द्वारा कुछ सदस्य भी मनोनीत किये जाते हैं । उसमें ए0 पी0 सी0, खाद्य सचिव, कृषि सचिव, कोआपरेटिव रजिस्ट्रार, कृषि विभाग के निदेशक तथा मार्केटिंग और हार्टीकल्चर के लोग उसमें सदस्य होते हैं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे राज्य मंत्री जी पूरा ऐक्ट हम लोगों को सुना रहे हैं, आपसे निवेदन यह है कि आप इस पर व्यवस्था दें कि यदि कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ है और इस सम्बन्ध में अनुमोदन का प्रस्ताव है तो उसमें जो हम लोगों ने शंका व्यक्त की है इसका जवाब दिया जाएगा, उनका स्पष्टीकरण किया जाएगा या मंत्री जी सदन को पूरे ऐक्ट से अवगत करायेंगे ? मंत्री जी पूरा ऐक्ट समझायेंगे या लोगों की आशंका के बारे में बतायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप सीधे आपस में व्यवस्था देने लगें तो म क्या करूंगा । सवाल यह है कि आपने किसी एक मुद्दे पर व्यवस्था चाही, वह ऐक्ट की तस्वीर आपको दे रहे थे, उसके बाद आपकी शंका दूर करते ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह उठाई गई है कि चुनाव क्यों नहीं कराया गया। उस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह व्यवस्था है कि उसका किस तरीके से गठन होता है और किस तरीके से चुनाव होते हैं। इसके सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष--

यह लोग यह चाहते हैं कि जितने प्वाइन्ट्स इन लोगों ने उठाए, उनका आप जवाब दे दें।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आदेश दे दीजिये कि दो शब्दों में बात समाप्त हो जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम मन्त्री जी को सुनना चाहते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है, मेरा सुझाव नियम न बन जाय, लेकिन विशेष परिस्थिति में आप मन्त्री जी को आदेश दे दें कि वह बोलें, हम उन्हें सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है। इसलिए नियम को शिथिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय निषाद का उत्तर पर्याप्त है।

श्री सीताराम निषाद--

माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न किया था कि....

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, कार्य सूची में इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय निर्धारित किया था, जो अब बीत गया है और अगर इसको....

श्री उपाध्यक्ष--

आप घड़ी को नहीं देख रहे हैं, मैं उसको देख रहा हूं।

श्री सीताराम निषाद--

माननीय सदस्यों ने यहां पर यह आशंका व्यक्त की कि शासन ने मंडी समितियों के कार्य और अधिकारों को जिलाधिकारी को सौंप दिया क्या उससे आमदनी में बढ़ोतरी हुयी है या कमी हुयी है। इस सम्बन्ध में, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी उस समय अर्थात् 1977 और 1978 में मंडी समितियों की आमदनी 12.24 करोड़ थी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस बात का ध्यान रखें कि मेरे पास केवल 5 मिनट का समय है, इसे पास भी करना है ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि वर्ष 1978-79 में मंडी समितियों की आमदनी 13.1 करोड़ थी, वर्ष 1979-80 में 14 करोड़ थी और कांग्रेस की इस लोक प्रिय सरकार के समय में जो मंडी समितियों का प्रबन्ध किया गया उससे वर्ष 1980-81 में यह आमदनी बढ़कर 18.65 करोड़ हो गयी है । यह बढ़ोत्तरी हमारी सरकार की ओर से जो प्रबन्ध व्यवस्था की गयी है, उससे हुयी है ।

माननीय सदस्यों ने यह भी आपत्ति उठायी है कि मंडी समितियों में जो शुल्क लिया जा रहा है उससे कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। माननीय रियासत साहब ने अपने वक्तव्य में यह कहा था कि किसान को. .

(व्यवधान)

लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है, किसान से कोई मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि मंडी क्षेत्र में जब किसान का उत्पादित सामान जाता है और उसे जो खरीदता है उसको शुल्क देना पड़ता है, वह हमारे किसानों को नहीं देना पड़ता है ।

(श्री श्याम लाल बाजपेयी के कुछ कहने पर जो सुनाई नहीं दिया)

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन तो श्री राज्यपाल के आदेश के बाद ही समाप्त होगा ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, यह व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है अतः मैं अनुरोध करूंगा कि इसको प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने तो न 'हां' कहा है और न 'ना'।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सीताराम निषाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित....

श्री उपाध्यक्ष--

अभी कृपया रुक जायें। पहले खंडों पर विचार हो जाये।

खंड-2

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष" रख दिये जायेंगे — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड-3

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिया जाये, अर्थात्--

उत्तर प्रदेश अध्यादेश, संख्या 3, सन् 1982 — निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री सीताराम निषाद—

स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 1982

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1982 सतद्द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नया खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड—1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तेंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

"1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायेगा ।

(2) यह दिनांक 20 फरवरी, 1982 को प्रवृत्त समझा जायेगा ।"

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, इसमें जो खंड 1 में संशोधन प्रस्तावित किया है वह तो वही है जो मूल विधेयक में है, आप उसे देखें, उसमें तो कोई संशोधन है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसके नीचे वाला पढ़ें ।

श्री हुकम सिंह—

2 को तो जोड़ा है, मगर एक में क्या संशोधन है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब 2 को जोड़ेंगे तो उसे भी पढ़ा जायेगा ।

श्री हुकम सिंह—

नहीं मान्यवर, इसमें संशोधन तो कुछ है ही नहीं । यह तो बिल्कुल वही है जो मूल अधिनियम में है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हुकम सिंह, शायद आपको यह भ्रम हो गया कि उप-खंड (1) के साथ उप खंड (2) जोड़ा नहीं गया ।

श्री हुकम सिंह—

इन्होंने जो कुछ और भी जोड़ दिया खन्ड एक के साथ मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या आपको यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री सीता राम निषाद—

मान्यवर, स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1--"(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा।

(2) यह दिनांक 20 फरवरी, 1982 को प्रवृत्त समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं:

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सीताराम निषाद--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रियासत हुसैन--

मैंने थर्ड रीडिंग पर आपकी आज्ञा चाही थी, मैं खड़ा हुआ लेकिन आपने आज्ञा नहीं दी। मैं एक लाइन कहना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो यह पारित हो गया।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने आपसे अनुज्ञा मांगी, आपने मुझको मौका नहीं दिया, क्या यह मेरे अधिकारों का हनन नहीं हुआ। मैं कल इसको नियम 300 में उठाऊंगा। मैं एक लाइन कहना चाहता था कि जो इक्जीक्यूटिव ने 20 फरवरी से आज तक जितने आदेश पारित किये उनको सेंक्शन दे दिया विधायिका के जरिये से। इसलिये इक्जीक्यूटिव के सामने विधायिका का सिर नीचे कर दिया।

प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स द्वारा हड़ताल के सम्बन्ध में चर्चा

(श्री हुकम सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

[समय 6 बजकर 23 मिनट]

श्री रियासत हुसैन--

मैं यह चाहता था कि आप इस चर्चा के बारे में यह बता दें कि आप यह चर्चा किस नियम के अन्तर्गत करा रहे हैं। नियम 52 के अन्तर्गत या 56 के अन्तर्गत करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह नियम के अन्तर्गत नहीं हो रही है। यह आपस में बाहमी तौर पर तय हुआ था इसलिए यह चर्चा कराई जा रही है।

*श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के साथ में सरकार कितना मजाक कर सकती है, यदि कैबिनेट के सदस्यों में मतभेद होंगे दो मंत्रियों के आपस में मन-मुटाव होंगे तो यह मजाक करेंगे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था के साथ। मान्यवर, तमाम ट्रक चालकों ने हड़ताल की हुई है। और जितनी भी आवश्यकता की वस्तुयें थी वह या तो आज मिल नहीं रही है और यदि मिल रही है तो कई गुना भाव बढ़ गया है। उस समस्या का निराकरण करने के लिए इनका सामूहिक उत्तरदायित्व था कि यह मजबूती के साथ बैठकर उस समस्या का निराकरण करते और उस चेतावनी का सामूहिक रूप से मुकाबला करते। श्रीमन्, आज समाचार-पत्रों के माध्यम से भिन्न-भिन्न चर्चायें सुनने में आ रही है। एक चर्चा यह है कि परिवहन मंत्री जी का एक दृष्टिकोण है, हमारे केबिनेट के कुछ मंत्रियों का और मुख्य मंत्री भी उसमें शामिल हैं, दूसरा दृष्टिकोण है। हमें समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है इस ट्रक की हड़ताल को आज इस स्थिति में पहुंचने का कारण मंत्रिमंडल का आपसी मनमुटाव और आपसी खींचतान के कारण है और कोई कारण नहीं है। इन्होंने नहीं सोचा कि हमारी कोई जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता के प्रति है। इन्होंने सोचा ट्रक का किराया बढ़ा दिया। आपको यह अधिकार तो था नहीं कि वह किराया उनको आप दिला सकें। आपके विभाग के माध्यम से सरकारी ट्रक जो लगाई जाती उनको तो आप बढ़ा हुआ दे सकते हैं लेकिन जो प्राइवेट एजेन्सी है जो प्राइवेट रूप में बुकिंग करते हैं क्या उनके संबंध में भी आपको कोई अधिकार है दिलाने का। आपने बार-बार बयान दिया कि कर में बढ़ोत्तरी नहीं की। जिसको गुड्स टैक्स कहते हैं उसमें वृद्धि नहीं की गई है। लेकिन जैसे किराया बढ़ाया गया उसी अनुपात में आपने कर में भी वृद्धि कर दी। गुड्स टैक्स में बढ़ोत्तरी कर दी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण दें और इसका निराकरण करें। श्रीमन्, आज ट्रक मालिकों की तरफ से एक यह पक्ष आ रहा है कि आपने दर में वृद्धि करके कर में वृद्धि कर दिया। उसी अनुपात में कर बढ़ाया। तो मैं चाहूंगा कि जो यह दर की वृद्धि के साथ-साथ करों में वृद्धि हुई है इसको आप वृद्धि नहीं मानते हैं। क्या आपको कानूनी अधिकार है कि आप बढ़े हुए दर से प्राईवेट ट्रक वालों को दर आप दिला सकेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी समस्या थी जिसको आपस में बैठकर बातचीत करके एक घंटे में हल किया जा सकता था लेकिन यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकम सिंह---]

सरकार बातचीत में विश्वास नहीं करती है यह तो बन्दूक, राइफल और पुलिस के माध्यम से इस समस्या का हल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। श्रीमन्, यह सरकार अपनी अदूरदर्शिता और निष्क्रियता के कारण इस समस्या का निराकरण नहीं कर पा रही है। मान्यवर, आज गैस नहीं है अस्पतालों में आक्सीजन नहीं है, बाजारों में सब्जी नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है, चीनी नहीं है, गेहूं नहीं है। श्रीमन्, यह सरकार इस समस्या को इतना होने के बाद भी बातचीत के माध्यम से हल करने को तैयार नहीं है। यह सरकार न तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही कर सकी ताकि यह चीजें बाजारों में पहुंच सकती। माननीय परिवहन मंत्री का दृष्टिकोण है कि कर में वृद्धि नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि कर में वृद्धि कर सकते हैं। श्रीमन, आज इन्होंने प्रदेश की जनता को इस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत मामूली सी बात थी आपस में बातचीत करके इसका निराकरण निकाला जा सकता था। लेकिन सरकार इसका निराकरण करने को तैयार नहीं है।

मैं जानता हूं कि आपकी पुलिस की बन्दूक की गोलियां, लाठियां डकैतों के लिये उतनी प्रभावी नहीं हो सकती हैं लेकिन नागरिक जो व्यापार करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं उनको बन्दूक से आप दबाना चाहते हैं। इसलिये हमको घोर आपत्ति है और मैं चाहता हूं कि जब चर्चा हो रही है तो सरकार इस हालत में होना चाहिये कि आज घोषणा करे कि यह व्यवस्था कर दिया है। लेकिन आशा इस बात की नहीं दिखाई देती है। चूंकि समय कम है, इसलिये मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, इस समस्या के दो पहलू हैं जिसकी ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला पहलू यह कि कितना बड़ा अत्याचार और अन्याय ट्रक आपरेटरों के साथ उ० प्र० शासन कर रहा है। दूसरा पहलू यह है कि इस प्रदेश की जनता के साथ और अर्थ व्यवस्था के साथ यह शासन कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। मान्यवर, अब मैं पहला पहलू प्रस्तुत कर रहा हूं। जनता पार्टी के शासनकाल में ट्रक आपरेटर्स से शासन की बात हुई थी और शासन ने एक अनुमान निकाला था कि, जो ट्रक हर स्थान पर रोके जाते हैं, बेरियर लगाकर चुंगी ली जाती है उससे 2 हजार ट्रक एक घंटे में रोके जाते हैं और उससे 2 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुपात आया था। इसलिये जनता पार्टी ने इसलिये कि ट्रक न रोके जायं बैरियर्स को हटा दिया था और 60 रुपये प्रति माह प्रति ट्रक पर टैक्स लगा दिया था। यह इसलिये किया था कि राष्ट्रीय आय की क्षति न हो और ट्रकों को परेशान न किया जाय। यह निर्णय समझौता के रूप में हुआ था। मान्यवर, यह सरकार आयी तो अपनी आदत के अनुसार जो दिखाई पड़ रहा है कि हर अच्छी परम्परा को इस शासन को तोड़ना है और गलत परम्परा डालना है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि शासन यदि बदले तो जो पहली सरकार ने समझौते किये हों उसको न माने। लेकिन जो 60 रुपये टैक्स लगा था वह तो लगा रहा किन्तु बैरियर फिर से लगाना शुरू कर दिया और ट्रकों का रोकना प्रारम्भ हो गया है।

मान्यवर, दूसरा कार्य यह किया कि 15 दिसम्बर, 1981 को एक आदेश निकाला कि जो 10 रुपये प्रति दिन एक ट्रक देता था उस पर इन्होंने गुड्स टैक्स बढ़ाकर 15 रुपये प्रति दिन कर दिया और कहा कि जो माल भाड़े की दर 3 रुपये थी उसको 4.50 रुपये बढ़ाये जाते हैं। अब मान्यवर, कौन स शब्द इस्तेमाल हम करें इनके लिये 1 माननीय मुख्य मंत्री एक बात बता दें कि इशेन्शियल सप्लाईज के अन्तर्गत खाद की बोरी 122 रुपये किसानों को मिलनी चाहिये, उसके दाम बढ़ाये नहीं जा उकते हैं। ट्रकों से कह रहे हैं कि वे मजदूरी बढ़ा दें तो वह कैसे मजदूरी बढ़ा लें। यदि बढ़ाते हैं तो खाद की बोरी के दाम बढ़ते हैं जो सम्भव नहीं है। मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो काम यह कर रहे हैं वह सम्भव नहीं है। उसको आप अध्ययन करें जिस प्रकार से आपने यह कहा कि ट्रक अपना भाड़ा बढ़ा सकते हैं, वह न्याय संगत नहीं है। आप यह भी देखें कि सरकार न्याय प्रिय बनती है ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे जैसे दवाई, तेल और फर्नीचर आदि आदि इससे बाजार में मंहगायी आयेगी तो निष्कर्ष होगा कि सरकार ने तो कीमतें बढ़ाई नहीं हैं बल्कि ट्रक आपरेटर्स ने भाड़ा बढ़ा दिया जिससे महंगाई बढ़ गयी। तो आप उनके कंधे पर बन्दूक रखकर क्यों चलाना चाहते हैं। आप टैक्स बढ़ाकर भाड़ा बढ़ाने को क्यों प्रोत्साहित करते हैं। आप कहते हैं कि भाड़ा बढ़ा लीजिये और हमको अधिक टैक्स दीजिये यह न्याय संगत नहीं है : ट्रक वालों का कहना है कि जब हम 3 रुपये की दर से भाड़ा लेते थे तो माल नहीं मिलता था तो अब माल कहां से मिलेगा। माल उनको जरूर मिलेगा जो ठेकेदार हैं, सरकारी कार्य करते हैं। पहले वह तीन रुपये के हिसाब से बिल बनाते थे अब साढ़े 4 रुपये का बनायेंगे। इससे कोई फायदा जनता का होने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री जी का कहना है कि कर भार छोटों पर नहीं डालना है। आप अपना एक भ्रम दूर कर लें कि जितने ट्रक मालिक हैं वह बैंकों से कर्ज लेकर ट्रक लेते हैं सारे ट्रक बैंकों के धरोहर हैं। जब ट्रक की आधी लाइफ खत्म हो जाती है तो बैंकों का प्लेज खत्म होता है। शायद आपका भ्रम है कि बड़ी-बड़ी ट्रांसपोर्ट वाले बड़े लोग हैं। लेकिन जो बड़ी-बड़ी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी वाले हैं उनके ट्रक हैं ही नहीं। ट्रक ओनर अपना ट्रक उनके यहां लगाते हैं। टी0 सी0 आई0 जो सबसे बड़ी कम्पनी है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी वर्किंग को जानता हूं। मुझे भी भ्रम था कि उनके पास हजारों ट्रक होंगे। उनके मैनेजर ने मुझसे बताया कि उनके पास एक ट्रक नहीं है लेकिन वह उत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी है।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

वकालत अच्छी कर लेते हैं।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

अगर मेरी वकत्लत गलत है तो फिर आप नाम बता दीजियेगा कि फलां ट्रांसपोर्ट कम्पनी है जिसके पास 50 ट्रक हैं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

ढाई-ढाई तीन-तीन सौ ट्रक हैं।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

अगर दो सौ ट्रक वाली कोई कम्पनी होगी तो आप ही लोग उसके मालिक होगें क्योंकि आप लोग ही इतने परमिट ले सकते हैं दूसरे लोगों को

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव—]

इतने परमिट नहीं मिल सकते। अगर मान लीजिये कि 200 ट्रकों का कोई मालिक होगा तो ऐसे कितने आदमी होंगें, मान लिया कि 50 हुये तो क्या 50 आदमियों के लिये आप जो छोटे-छोटे लोग हैं उनका गला दबा देंगें। ट्रक वालों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रोड टैक्स 4,220 रुपये उन पर वार्षिक लगा रखा है। पंजाब में 1,050 रुपये आता है और आपका सब मिलाकर 5,475 रुपये आता है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां इतना कम टैक्स क्यों है, पंजाब भी हमारे देश में ही है। लोग कहते हैं कि सरदार लोग ट्रक बहुत चलाते हैं। क्षमा कीजियेगा माननीय परिवहन मंत्री जी, वह इसलिये चलाते हैं कि वहां की सरकार उनको सुविधा देती है लेकिन हमारी सरकार सुविधा नहीं दे रही है।

जो गुड्स टैक्स बढ़ाया गया वह एक प्रकार से अन्याय है। मुख्य मंत्री जी अच्छी तरह से जान लें कि उनकी बात में कोई तर्क नहीं है। जो सब्जी पैदा हो रही है वह सब्जी सड़ रही है और जहां सब्जी की जरूरत है वह वहां पर 4 या 5 गुने दामों पर मिल रही है। पहाड़ के लिये आप अलग बजट प्रस्तुत करते हैं। वहां पर रेलें तो हैं नहीं, ट्रकों से वहां माल जाता है। माननीय सदस्य जो पहाड़ के हैं उन्होंने बताया कि आप लोगों को इस समस्या का आभास नहीं है, हमारे यहां कोई चीज नहीं पहुंच रही है। हमारे मुख्य मंत्री इस बात के लिये जिद किये बैठे हैं कि हड़ताल समाप्त नहीं हुयी है तो समाप्त कर दी जायेगी। यह आपका राजहठ जनहित में नहीं है। आज भी यहां पर आने के एक घंटे पहले मेरी इस एशोशियेसन के कुछ लोगों से वार्ता हुयी और उन्होंने यह कहा कि सरकार यह चाहती नहीं है कि हम लोगों से बात हो। तो हम अपनी कठिनाइयों को उनके सामने रखें, मानें या न मानें उनका काम है। आप नहीं मानेंगें परन्तु वार्ता से वह अपनी कठिनाइयों को बता सकते हैं कि इसलिये आप उनसे अविलम्ब वार्ता करें। लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात पर डटी हुई है कि हम ट्रक मालिकों को कुचल देंगें लेकिन बात नहीं करेंगे। जिस सरकार की यह नियत होगी वह कभी चल नहीं सकती और आप दमन नहीं कर सकते। दमन के जरिये आप चाहते हैं कि कामयाबी मिले, तो वह आप नहीं कर सकते।

हमारा शहर कानपुर है, नेशनल टैक्सटाइल मिल एक भी ऐसी नहीं है कि जहां एक भी कपास की गांठ रह गयी हो। स्टेशन के गोदामों में माल पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपये का नुकसान सरकार का सेल्सटैक्स और दूसरे टैक्सों में हो रहा है सत्तापक्ष के लोग आंख में पट्टी बांधे और कान में रुई लगाये बैठे हैं। उसके बाद झण्डा बुलन्द करेंगे कि हड़ताल विफल कर दी और काम होने लगा। यह आपका स्वप्न, स्वप्न रह जायगा, जनता को जो कष्ट उठाना है, उठा रही है।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मुझे बड़ा अफसोस है कि यह हड़ताल पहली तारीख से चल रही है, आज 19-20 दिन हो गये, उसकी सीरियसनेस और ग्रेविटी पर शासन ने विचार नहीं किया। वह तो ऐसी हालत हो गयी कि जैसे कोई स्टीम रोलर हो और उसके पिछले दो पहियों में एक पहिया तो ट्रक ओनर्स का हो गया और दूसरा पहिया शासन का हो गया और अगले पहियों ने रौंद दिया जनता को मंहगाई की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शक्ल में, किसान को रौन्द दिया और आलू पैदा करने वाला जो किसान है, उसका आलू पड़ा सड़ रहा है। बड़े फख्र के साथ कहा था माननीय मुख्य मंत्री जी ने और खाद्य मंत्री जी ने कि 45 लाख टन आलू पैदा होगा और हमारे कोल्ड स्टोरेज में 17 लाख टन आलू रखने की क्षमता है और बाकी के दाम दिलवायगे। आज यह हालत है कि उस आलू को कोई कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने वाला नहीं है। किसान का गन्ना खेत में खड़ा है। ख्याल कीजिये उस बच्चे का को जोशीमठ के पास रहता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, पिथौरागढ़ में रहता है, जहां सड़क के माध्यम से ट्रकों से आवश्यक खाद्य सामग्री पहुंचायी जाती है, जिस बच्चे को दूध मयस्सर नहीं है, खाने को दाना नहीं है। आज 20 दिन हो गये इस तिरियाहठ रूपी राजहठ को लेकर शासन और ट्रक ओनर्स यह कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि इसकी सजा आपको भी मिलेगी और ट्रक ओनर्स को भी मिलेगी। आज 19 दिन हो गये आपकी असफलता को। पहले भी हड़तालें हुई, दो दिन चार दिन, पांच दिन चली, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ। माननीय श्रीवास्तव, जी ने आपके सामने मसला रखा। हमारे सामने 11 करोड़ जनता के सामने जो सबसे बड़ा मसला है, उसका ताल्लुक जीवन से है, इन्सानियत से है। इन 20 दिनों के अन्दर आपने किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं की।

शासन सारा आपका है। आपको जरूरत पड़ती है तो मुरादाबाद हो चाहे अलीगढ़ हो, सी0 आर0 पी0 भी आ जाती है, मिलेट्री भी आ जाती है, लेकिन इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये शासन ने कोई इन्तजाम नहीं किया जिससे जरूरी आवश्यकता की चीजें—दूध, शक्कर, चीनी इत्यादि ऐसी जगहों पर पहुंचती रहें, जहां पर कि इन्हें पहुंचाने का ट्रकों के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। होली पर जब सदन उठ रहा तो मा0 खाद्य मंत्री ने इस बात का विश्वास दिलाया था कि होली पर चीनी पहुंचेगी, लेकिन कलेक्टरों को टेलीफोन किया कि होली पर चीनी पहुंचे और चीनी मिले, तो कलेक्टर ने कहा कि जब फेडरेशन के अन्दर चीनी नहीं आयी, गोदामों में चीनी नहीं गयी तो फिर कहां से ब्लाक लेविल पर चीनी मिलें। जनता की होली बिना चीनी के हो गयी आपने क्या इस बात का ख्याल किया? आपका जितना कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिये ट्रकों के बिना ईटा कहां से आयेगा क्या बिना ईटें के ही आप आपना कंट्रक्शन का वर्क कर लेंगे? लोगों को प्रति दिन की आवश्यकता की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, ईटें नहीं पहुंच रही हैं, चूना नहीं मिल रहा है, चीनी तो गायब ही है इसी तरह से कपड़े की फैक्ट्रीज बन्द हो गयी हैं, जनता परेशान है, आपका करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। मुझे बड़ा दुख है और अफशोस है माननीय मुख्य मंत्री जी कि आपके हाथ में पूरी शक्ति है आपके पास पूरा शासन है। ट्रक वालों ने तारीख दी आपसे बात करने के लिये परन्तु आपने उनसे बात करने की आवश्यकता नहीं समझी। आप उनसे बात-चीत करने या न करते यह आप दोनों के बीच की बातें हैं आप और वे जानें परन्तु हमें ध्यान है इस प्रदेश की सवा ग्यारह करोड़ जनता का जिन्होंने आपको चुन कर यहां भेजा है और आप उनके मुख्य मंत्री हैं। यदि आप ट्रक की हड़ताल को नहीं तोड़ते हैं तो आपको उसके आलटरनेट अरेन्जमेन्ट करना चाहिये था परन्तु आपने ऐसा नहीं किया। हकीकत यह है कि आज सारी जनता परेशान और बेहाल है। जैसा कि अभी हमारे माननीय विधायक जसवन्त सिंह विष्ट जी कह रहे थे। आज प्रदेश की सारी जनता परेशान है इनक्लूडिंग यू। इस प्रदेश की 111/2 करोड़ जनता में क्या एक भी आदमी ऐसा है जो इससे परेशान न हो चाहे वह हमारे माननीय अध्यक्ष हों, चाहे उपाध्यक्ष हों, चाहे मुख्य मंत्री हों, चाहे नेता विरोधी दल हों चाहें रिक्शा खींचने वाला मजदूर हो जिसके, ऊपर इस बीस दिन की ट्रक हड़ताल का असर न पड़ा हो।

[श्री रियासत हुसैन---]

मैं समझता हूं कि आपकी जरूरियात की चीजों को मुहइया करने के लिये दूसरे साधन हो सकते हैं लेकिन वह गरीब आदमी जो रोजाना मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है, उसके पास कार नहीं है, जीप नहीं है और जेब में इतना पैसा भी नहीं है कि जिस रफतार से महंगाई बढ़ी है तो चौगुना दामों पर इस मंहगाई में अपने बच्चे के लिये रोटी जुटा सके। वह साधनहीन आदमी जिसके ऊपर अपने परिवार के पेट भरने की जिम्मेदारी है आपने उसकी दशा को देखने की कोशिश ही नहीं की, और यदि की ही तो फिर आपने अपने फरायज़ अदा नहीं किये हैं।

आप ट्रक वालों से बात नहीं करना चाहते थे तो कैन्सिल कर देते। लेकिन केन्सिल करने से भी प्रदेश का मसला हल नहीं होगा आप ट्रकें खड़ी करने रखी हैं, खड़ी किये रहिये। जरूरत चाहे हमारी हो, चाहे आपकी हो, चाहे गरीब की हो, सबकी जरूरतें बराबर हैं। यदि आप हड़ताल नहीं तोड़ सकते उसके लिये दूसरे अरेन्जमेन्ट्स करना चाहिये थे केन्द्र से ट्रकें मंगवाते, मिलिटरी से लेते, प्राइवेट ट्रकें चलाते पर जनता को उसकी आवश्यकता की वस्तुओं को, नमक को चीनी को, आटा को लोगों को मुहइयया करते। आज सारे प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है चाहे वह मुरादाबाद हो, नैनीताल हो, बांदा हों, पिथौरागढ़ हो, कोसानो हो जब तक प्रदेश की गरीब जनता परेशान है, आप उसकी परेशानी को दूर नहीं कर पाये। इसके ऊपर आपके जो फरायज थे उन फरायजों की आजमदेही आपने नहीं की मैं नहीं जनता कि आप मानते हैं, क्या समझते हैं और ट्रक आपरेटरों से आपकी क्या मांग है और वे क्यों नहीं आपके काबू में आते। लेकिन प्रदेश की गरीब जनता के लिये संसाधन आप जुटाइये जिस संसाधन से गरीब का पेट भरता है। संसाधन इन्सान की जान की सुरक्षा के लिये होते हैं, संसाधन जुटाये जाते हैं, संसाधन इन्सान की जिन्दगी में आराम पहुंचाते हैं। मुझे यह उम्मीद है कि कल सदन उठने से पहले-पहले आप इस बात की घोषणा करेंगे कि या तो आप ट्रक वालों की ट्रक चलवायेंगे या अपनी शक्ति इस्तेमाल करके, सेन्टर से, किसी भी तरीके से डिपार्टमेन्टल, सरकारी ट्रक, कोई भी सूरत हो, इस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बाते समाप्त करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल से सम्पूर्ण प्रदेश प्रभावित है और मुख्य रूप से समाज का वह वर्ग जो निर्बल कहा जाता है और कास्तकार, मजदूर हैं, जितने वे प्रभावित हुए हैं उतना शायद कोई नहीं हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा दुःख की बात यह है कि, मैं केवल जजबात की बात नहीं करना चाहता, दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण यह है कि उसका मुख्य कारण सत्तारूढ़ दल की अदूरदर्शिता, आपस की पार्टी बाजी है। अभी हरी किशन श्रीवास्तव बोल रहे थे कि उनके इतने ट्रक हैं, इतने ट्रक हैं, उधर से माननीय सदस्यों ने कहा कि आप गलत कह रहे हैं। हो सकता है, सही जानकारी तो आपको होगी और इसलिए होगी कि उनकी और आपकी दुरभि संधि रही है। मुझे इसकी भी जानकारी है कि रैली में कास्तकारों को ढोने के लिए कोशिश की थी उसमें आपने उनसे कुछ वायदे किए थे और हौसला बढ़ाया था और अब उसके परिणाम आ रहे हैं। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था चौपट हो गई है। मैं सैद्धान्तिक बात कहना चाहता हूं, प्रजातांत्रिक प्रणाली में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है।

---

*वक्ता ने भाषक का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्रक आपरेटरों को अधिकार था अपनी बात रखने का शासन का ध्यान अपनी ओर खींचने का, आकर्षित करने का और जब आकर्षित किया था तब कोई रास्ता निकालना चाहिए था जिससे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था चौपट होने से बच जाती ।

माननीय परिवहन मंत्री बात कर रहे थ, उन्होंने कह दिया कि मैं तो तुम्हारी मांगे मानने को तैयार हूं लेकिन मुख्य मन्त्री, मंत्रि-मंडल तैयार नहीं है । परिस्थिति बिगड़ गई और आज बिगड़ती चली जा रही है । यह बात हम, आप सब जानते हैं, राजनीतिक जीवन में आप भी काम करते हैं, हम भी करते हैं, अत्याचार से, दमन से आंख तो निकाली जा सकती है लेकिन आंखों के स्वप्न को नहीं निकाला जा सकता । ट्रक आपरेटरों का भी विरोध करता हूं अगर उन्होंने छोटी गाड़ियों के लोगों पर, जो चलाना चाहते थे, दमन का तरीका अपनाया, तो उनकी भी निन्दा करनी चाहिए और इस सरकार की भी निन्दा करनी चाहिये कि उसका समाधान खोजने के बजाए लाठी चला कर, गोली चला कर, जैसे कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बोलते हुए झांसी का एक तार पढ़ कर सुनाया कि उनके सीने पर तमंचा रखते हुए कहा कि हड़ताल वापस ली नहीं तो आपका एनकाउन्टर कर दिया जायेगा, तो इस तरह ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल को आप वापस नहीं करवा पायेंगे । आज विनाश का प्रारम्भ हो गया है, करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है लेकिन कोई रास्ता निकालें, बात-चीत करें । प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है. उसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन जैसा रियासत साहब ने कहा, सामान पहुंचना चाहिए । होली के एक दिन पहले, जब सदन उठ रहा था, मैंने पूछा था कि चीनी मिलनी चाहिए लोगों को, माननीय खाद्य मंत्री जी ने कमरे में बुला कर कहा हम अभी तार दे रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि ट्रक कहां हैं, बड़ी तेजी से उन्होंने आदेश दिया था कि कहीं से लाओ ट्रक लेकिन चीनी पहुंचाई जाएगी । अपने जनपद की जानकारी मैं देना चाहता हूं । जिलाअधिकारी से मैंने सम्पर्क किया जब उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिली, कि चीनी नहीं आ रही है, वह कहां चली गई । आपने घोषणा तो की लेकिन उपभोक्ताओं को चीनी नहीं मिली थी सामान नहीं मिला और आज तक कठिनाई बनी हुई है । कहीं सामान बन नहीं पा रहा है और कहीं सड़ रहा है ।

माननीय मन्त्रीजीप ने कहा कि देहरादून में स्ट्राइक है लेकिन ऊपर स्ट्राइक नहीं है तो मान्यवर, हाड़ का तो मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन एक सामान्य बुद्धि की बात कह रहा हूं कि वह सड़कें तो द्वार हैं । वहां पर गेहूं का कौन सा सरप्लस एरिया है चावल का कौन सा सरप्लस एरिया है जहां से ऊपर सप्लाई कर रहे हैं । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आंकड़े भी आपके पास झूठे हैं क्योंकि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है सही रास्ते पर जाने पर रोक रही है । केवल माल भाड़े की ही बात नहीं है और भी बातें हैं । कोई ट्रक लेकर चलता है, अगर कोई ट्रक आपरेटर गलत सलत सामान लेकर चलता है तो उसे कड़ा से कड़ा दन्ड देना चाहिए लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जगह-जगह पर चेकिंग करके सब नोट लेकर चले जायं । उनकी मांग है कि प्रदेश की सीमा पर चेक कर लीजिए मुख्य-मुख्य जगहों पर चेक कर लीजिए लेकिन गली-गली में चेकिंग होती है और उन्हें परेशान किया जाता है । मान्यवर, बहुत सी मांगे हैं उन मांगों पर सरकार सहानुभूति-पूर्वक विचार करे लेकिन एक दिन में दो दिन में तत्काल प्रदेश के अन्दर कोई मूवमेंट चालू होना चाहिए और मैं सरकार की विफलता की बात इसलिए कहता हूं कि यदि सरकार को जनता की चिन्ता थी, मेहनतकश लोगों की चिन्ता थी तो वह सेना के ट्रक लाते, कहीं से भी व्यवस्था करते लेकिन इन सब बातों में शासन पूरी तरहसे असफल साबित हो रहा है

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

इसलिए मैं मांग करूंगा कि तत्काल ऐसी व्यवस्था करें जिससे ट्रकें चल सकें और जनता को सामान मिल सके। इस तरह से यह जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है उनको संवैधानिक संयत ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए और इसके लिए सरकार कारगर कदम उठाये। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

(परिवहन मन्त्री को बुलाये जाने पर।)

(श्री दलगंजन सिंह, श्री शंकर सिंह तथा अन्य कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये।)

श्री दलगंजन सिंह--

ट्रक की हड़ताल पर हम लोगों को बोलने को नहीं मिला। हम आपसे न्याय की भीख मांगते हैं हमको बोलने का मौका दें।

( कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर )

( व्यवधान )

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, थोड़ा सा समय दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि वे एक घंटे का समय और बढ़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप केवल सुनना और कहना ही चाहते हैं और उसका उत्तर नहीं चाहते तो मुझे सरकार की तरफ से किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

( श्री दलगंजन सिंह तथा श्री शंकर सिंह के पुनः खड़े होने पर)

आप लोग बैठें। माननीय मोतीलाल जी, आप अपने लोगों को संयमित कर।

(श्री शंकर सिंह तथा श्री दलगंजन सिंह के एक साथ बोलने पर)

( व्यवधान )

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, आप बैठ जायं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, आप बिराजिये।

(व्यवधान)

माननीय मोती लाल देहलवी जी, आप अपने दलके लोगों को रोकिये ।

(व्यवधान)

माननीय दलगंजन सिह जी, आपके दल के ही नेता खड़े हैं । इसलिये आपको नहीं बोलना चाहिये । अगर आप उनको अपने दल का नेता समझते हैं, अगर नही समझते हैं तो आपके अपने दल के नेता में अविश्वास प्रकट होता है । मनानीय मोती लाल जी खड़े हैं तो मैं आपको मौका नहीं दे सकता हूं । आप बैठिये । या तो आप बैठें या श्री मोतीलाल देहलवी जी को पहले यहां से हटा दें । दोनों चीजें एक साथ नही चल सकती हैं । सामान्य प्रक्रिया है कि जब किसी दल का नेता खड़ा हो तो समझा जाता है कि वह उस दल की भावना को प्रस्तुत करता है । और अब तक जो मैंने मौका दिया है, पहले दल के नेताओं को मौका दिया । क्योंकि यह इतना अहम मसला है कि जब इस पर सभी दलके नेताओं की मौजूदगी में विचार हो रहा था तो इसके लिये एक घंटे का समय मुकर्रर किया गया । जहां तक समय बढ़ाने का प्रश्न है, यह कोई रबर नहीं है । सामान्य सिद्धान्त यह है कि दल का नेता अपने दल की भावना को व्यक्त करता है इसलिये उसको सुनना ज्यादा जरूरी है, उसका कहना ज्यादा जरूरी है और उसके कहने के बाद सरकारी पक्ष से जो आपकी आशंका है उसका निराकरण होना ज्यादा जरूरी है । मैंने यह मुनासिब समझा और इसीलिये मैंने श्री हुकम सिंह को मौका दिया, उनके नेता श्री मोती लाल जी की मौजूदगी में फिर श्रीवास्तव जी को मौका दिया, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को टाइम दिया, और दूसरे दल के नेताओं को मौका दिया और जब श्री मोती लाल देहलवी जी खड़े हुए तो मैंने उनको मौका दिया । लेकिन उतावली में आकर इस तरह की बात करना, अपने ही दल के नेता के खिलाफ खड़ा होना और इस तरह की बात करना उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है । वह केवल लोकदल के उपनेता नहीं हैं, वे विरोधपक्ष के भी उपनेता हैं । जब श्री मोती लाल जी देहलवी खड़े हुए जो कि इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि पहले उनको मौका मिलना चाहिए । और इस पर....

(व्यवधान)

श्री दलगंजन सिंह जी आप विराजें । आप बैठें ।

यह बात मैं श्री मोतीलाल देहलवी के मुंह से सुन कर ज्यादा प्रसन्न होता बजाय आपके मुंह से कहने के । जब श्री मोतीलाल जी यहां नहीं होते तो उनकी अदम मौजूदगी में मैंने श्री हुकम सिंह को बुलाया था लेकिन जब वे आ गये और खड़े हुए तो उनको समय देने की बात थी । माननीय मोतीलाल देहलवी जी, आप जान जायं कि यह केवल आपके ऊपर अविश्वास व्यक्त करना है और कुछ नहीं है ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैं आपकी इजाजत से केवल यह विनम्र निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ था ।

( व्यवधान )

श्री शंकर सिंह व श्री दल गंजन सिंह सदन से उठकर चले गये)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष--

अग्निहोत्री जी, आपके दल के नेता बोल चुके हैं। अब उपनेता विरोधी दल बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं समय नहीं चाहता। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप के दल की तरफ से श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त बोल चुके हैं। आप कृपया बैठें।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, आप उपस्थित नहीं थे, अध्यक्ष जो विराजमान थे उसी समय यह प्रश्न पैदा हुआ था कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में। मान्यवर, हमारे दल के लोग इस प्रश्न पर चूंकि बड़ा गंभीर मामला है, अपने विचार रखना चाहते थे। उनमें एक उत्तेजना थी। क्योंकि सभी के क्षेत्र की जनता प्रभावित है इससे, मान्यवर, विवश हो कर इसलिए यहां फलोर पर केवल लोकदल के लोग....

श्री उपाध्यक्ष--

और अगर भूल नहीं रहे हैं उसके बाद आपके दल के नेता और नेता विरोधी दल जिन्हें राजेन्द्र सिंह कहते हैं वह भी उस मीटिंग में शामिल हुए जिसमें तय हुआ था बहस के लिए एलाऊ किया जाय। मैं उस मीटिंग में मौजूद था।

श्री मोतीलाल देहलवी--

यह नहीं कहता हूं कि जो कुछ तय हुआ उसको चुनौती नहीं दे रहा हूं..

श्री उपाध्यक्ष --

आप ट्रक की हड़ताल पर बोलें...

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, एक शब्द आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपको यह जो अनुभूति हुई कि लोकदल में कोई विरोध है ...

श्री उपाध्यक्ष --

आप के दल में विरोध नहीं। मैं तो उस इलाके से आता हूं जिस इलाके से बूढ़ी गन्डक नेपाल से उतर कर हिन्दुस्तान में आती है। मैंने उसकी चंचलता को देखा है, मैंने उस की तोड़-फोड़ की शक्ति को देखा है और मैं उसकी सृजन की शक्ति को भी देख रहा हूं। मैं जानता हूं जवानी में अमूमन होश खो जाया करता है, लेकिन होश के साथ संतुलन का होना आवश्यक है। और जब मेरे मित्र असंतुलित होंगे तो उन्हें संतुलित करने के लिए और आपके काम को आसान करने के लिए उन लोगों से मैं यह कह रहा था कि आप उनके नेता हैं, बुजुर्ग हैं, और खड़े हैं, बोलना चाहते हैं, इसलिए वे जोश के साथ होश में रहें। जोश के साथ वह बह गये तो बाढ़ आ जायेगी और जोश के साथ उन्होंने निर्माण किया तो बांध हो जायेंगे।

( मेजों की थपथपाहट )

[श्री मोतीलाल देहलवी--]

मान्यवर आप अपने विचार प्रवृत्ति में बंधे हुये हैं जिस तरह से दूसरे लोग बंधे हुये हैं। यह उत्तेजना इसलिए हुई थी। सदस्य कोई ऐसे नहीं हैं जिनको हमारे ऊपर विश्वास न हो। मंत्री जी खड़े...

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मोती लाल जी, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े होंगे तब तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। मंत्री जी खड़े हुये थे लेकिन वे बोले नहीं। उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। आप बोलें।

*श्री मोती लाल देहलवी--

ट्रक के मामले में, मान्यवर, जैसा अभी कहा गया कि ट्रक चालकों की हड़ताल 18 दिन से चल रही है। इस हड़ताल का क्या नतीजा हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, जन साधारण पर, उपभोक्ताओं पर, यह, मान्यवर, आपसे छिपा नहीं है चूंकि आप भी किसान हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं केवल किसान नहीं हूं। जो भी गन्ना उत्पादन कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे एरिया में पैदा होता है। मैं उनके दर्द को ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनका गन्ना बाहर जाना है, जिसका आलू बाहर जाना है, जिन की सब्जी बाहर जानी है, जिनका केवल मात्र धन्धा वही है, उसी से रोटी खानी है, आज यह स्थिति हो गई है कि देहातों का गन्ना, आलू, सब्जी, इकट्ठी सड़ रही है और मान्यवर, एक दूसरे के क्षेत्र में अभाव की स्थिति पैदा हो गई है। यह स्वाभाविक है कि जहां अभाव की स्थिति होगी वहां चीजों के दाम बढ़ेंगे आज यह नतीजा हो रहा है। 50 से लेकर 70 फ सदी तक मेरी जानकारी खास तौर से कानपुर की है कि वहां जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम, जिनके बगैर जीवन नहीं चल सकता, उनके दाम बढ़े हुये हैं। आप पता लगा सकते हैं। मंत्री जी के पास रिसोर्सेज है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं उनको अभी बोलने का मौका दूंगा।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे पर्वतीय लोगों के पास ट्रक के अलावा कोई साधन नहीं है। मान्यवर, आप देखें कितना हृदय विदारक और दर्दनाक मामला है। मान लीजिये पहाड़ों पर किसी को दवा की जरूरत हो और उसको दवा न मिल सके तो उसकी मौत बगैर दवा के हो जायेगी। इसी तरह से और भी घटनायें हो सकती हैं। मान्यवर, कितनी हृदय विदारक समस्या पैदा हो गई है। हम लोगों का कर्त्तव्य है, हम खाली भत्ता लेने के लिये इस सदन में नहीं बैठते हैं। हमारे कुछ कर्त्तव्य और दायित्व हैं। जब यह स्थिति पैदा हो रही थी तो हमने चाहा कि सरकार को आगाह करें कि कोई इससे ज्यादा भयंकर स्थिति न आने पावे। आप सरकार सुनना नहीं चाहती थी। किन्तु विवश होकर, मजबूर होकर हम लोगों को फ्लोर पर जाना पड़ा और मजबूर होकर जब कार्य-स्थगन पर चर्चा हो रही थी उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोती लाल देहलवी---]

हम लोगों को यह अहसास हुआ और आशा बंधी कि मुख्य मंत्री जी कोई विकल्प देंगे अथवा कुछ खुशखबरी सुनायेंगे कि ट्रकों की हड़ताल समाप्त हो गई है....

(व्यवधान)

लेकिन दुर्भाग्य से मुख्य मंत्री जी का जो बयान हुआ उससे बड़ी निराशा और क्षोभ पैदा हुआ। यही कारण था कि उत्तेजना पैदा हो गया। मान्यवर, जिस समय यह सदन आधे घन्टे के लिये स्थगित हुआ था हमको सत्ता पक्ष के दो विधायक मिले। उनसे हमने पता किया। एक विधायक ने हमसे कहा कि मुख्य मंत्री जी ने आदेश कर दिये थे कि ट्रक चालकों की बात मान ली जायें लेकिन कैबिनेट स्तर के एक मंत्री हैं जो मुख्य मंत्री जी की बैसाखी का काम करते हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री जी को घुमा दिया और नतीजे के तौर पर हड़ताल खतम करने का परिणाम नहीं निकल सका। यह बात मुझे सत्ता पक्ष के एक विधायक ने बताई। मुख्य मंत्री जी के बारे में लोगों की राय अच्छी है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं ऐसा अहसास कर रहा हूं कि इस पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं नेताओं ने यह तय किया था कि ट्रकों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक घन्टे की चर्चा सदन का कार्यवाही समाप्त करने के बाद रखी जाय। इसलिये यदि आप मुनासिब समझें तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा। अगर आप चाहें तो यह सदन तब तक चले जब तक हर आदमी जो बोलना चाहे, बोल ले और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, मैं इस सुझाव से सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मोतीलाल जी आपकी क्या राय है, कितना समय बढ़ा दिया जाय ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

आप जितना बढ़ा सकें बढ़ा दीजिये। हम लोग बोलते रहेंगे क्योंकि हमारे दिल दर्द से भरे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह चाहता हूं कि आप बता दें जब तक एक-एक आदमी बोलता रहे दोनों पक्षों से तब तक सदन चलता रहे, अगर ऐसा है तो आप प्रस्ताव पेश कर दें।

श्री रियासत हुसैन--

मेरा सुझाव है कि हम लोगों ने एक घंटा तय किया था लेकिन हाऊस में जो हालत है उसको देखते हुए आप स्वयं जो उचित समझें कि कितना समय बढ़ा दिया जाय, जितना आप उचित समझें हम उसके लिए तयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपकी बुजुर्गी का लाभ उठाना चाहता था आप जो कहेंगे मैं आपकी राय से मुत्तफीक हूं ।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री जी आपका क्या विचार हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

मान्यवर, इस विषय पर न्याय देने के लिए जो भी आवश्यक हो मैं उससे सहमत हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी हर आवश्यक समय के लिए सहमत हैं । आप जितना आवश्यक समझें बतला दें, मैं उतना समय बढ़ा दूंगा क्योंकि घड़ी मुझ को प्रतिबंधित कर रही है ।

(व्यवधान)

फिर उसके बाद यह कहेंगे कि हमको समय नहीं दिया गया ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, कुछ लोग दुखी होकर चले गये ।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, पहाड़ी में एक कहावत है---बैंच कर पेंच पर मेरे गजुवा का पूरा कर । हम चाहते हैं जैसे हो हमारे यहां राशन पहुंचा दो चाहे हैली काप्टर से पहुंचायें । यहां चाहे समय बढ़ायें या न बढ़ायें, हम बहस नहीं करना चाहते हैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और सारे सदन से निवेदन करते हैं जैसे भी हो हमारे यहां नमक, तेल और तमाम चीजें पहुंच जांय । हमारी तरफ से ट्रक वाले मरें या यह सरकार मरे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री मोतीलाल देहलवी, और हरीकिशन श्रीवास्तव से) आप दोनों में से क्या कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, मुझे बड़ा खेद है अगर मुझे यह मालूम होता तो मैं कभी नहीं बोलता । यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारा प्रदेश इससे प्रभावित है । हम लोग इस बात के इच्छुक थे कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित रहेंगे, परिवहन मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, जिस गम्भीरता की ओर हमलोगों ने ध्यान आकर्षित किया उसमें कोई न कोई आश्वासन उनकी तरफ से आयेगा जिससे जनता को राहत मिलेगी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

कहने तो दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि मैंने उनको बुलाया ही नहीं । मैं तो अभी इस पक्ष को सुन रहा था, जब मौका आता उनकी बातों को सुनता और आप तक पहुंचाता तो मैंने देखा कि आप तो काफी उतावले हैं ।

( व्यवधान )

श्री त्रिवेनी—

इनको तो स्पीच से मतलब है जवाब से कोई मतलब नहीं है, ट्रक वाले बैठे हैं उनको सुना रहे हैं ।

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव—

हम चाहते हैं कि यह आश्वासन जरूर मिल जाय कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का भाषण जरूर हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को इतना अवश्य आश्वस्त करा सकता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री दोनों को बोलने का अवसर दूंगा ।

श्री धरमन सिंह गहलौत—

उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नेताओं की मीटिंग में आज जो निर्णय हुआ था, हम सब उसका आदर करते हैं, वह निर्णय अपने स्थान पर कायम रहना चाहिये । यह बात सही है कि सभी के हृदय आन्दोलित हैं, लेकिन केवल उसे मैं भाषण में व्यक्त करके हल्का नहीं करना चाहता हूं । हम चाहते हैं कि शासन की ओर से यह आ जाए वह क्या करना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं । वह स्थिति स्पष्ट आ जाए तो अब भाषण की अधिक आवश्यकता नहीं है ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मुझे सुन लें, मैं यह कहना चाहता हूं.

श्री उपाध्यक्ष—

फखरे आलम साहब आप बैठें, अभी नहीं । देहलवी जी बोल लें, उनके बाद मैं आपको सुनूंगा । उसके बाद परिवहन मंत्री और उसके बाद मुख्य मंत्री को सुनूंगा तब समाप्त होगा ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी —

मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा । मौका मिला है तो मुझे बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

मैंने इसके पहले निवेदन किया था कि सत्ता पक्ष के दो विधायकों से हमें यह बात मालूम हुई। मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत है। लेकिन इसमें दो राय नहीं हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी कुर्सी बड़ी ललचावनी कुर्सी है ..

(व्यवधान)

आज मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के लालच में लोग हैं।

एक सदस्य—

यह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह मामला तो सुलझ गया था।

(व्यवधान)

मेरा तो उसके लिए कोई सवाल ही नहीं आता। जैसी कि सत्ता पक्ष के विधायकों से बात मालूम हुई माननीय मुख्य मंत्री जी इस हड़ताल को स्वतः समाप्त करना चाहते थे, लेकिन एक कैबिनेट मंत्री ने माननीय मुख्य मंत्री जी को घुमा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कुर्सी पर लोग नजर लगाये हुए हैं। इसलिए बड़े से बड़े जनहित के मामले में भी लोग आपको गुमराह कर सकते हैं।

(व्यवधान)

हम लोगों का प्रश्न नहीं है। मान्यवर, हड़ताल से हमको कुछ लेना देना नहीं है और हमको हड़ताल से, ट्रक मालिकों से, चालकों से और उनकी मांगों से कोई मतलब नहीं है। हम नहीं कहते, हम तो केवल यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार जेल में हड़ताल हुई, आपने वहां पुलिस भेजकर विकल्प दिया और वहां पर पुलिस ने कार्यभार संभाल लिया। उसी प्रकार ट्रक हड़ताल को फेल करने के लिए क्या आपके दिल में, दिमाग में कोई बात नहीं पैदा हुई कि आप 18 दिन से यह जो परिस्थिति है, उसके लिए आप कोई विकल्प देते। लेकिन मान्यवर, आपने कल कहा था कि आप व्यक्तिगत रूप से विफल हुए हैं और आज मैं यह कह रहा हूं कि आप सरकार के मुख्य मंत्री होने के नाते भी विफल हुए हैं। आप दमन में क्यों विश्वास करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि 35 वर्ष के बाद कांग्रेस का असली स्वरूप क्या है तो..

श्री उपाध्यक्ष—

स्वरूप पर नहीं आप हड़ताल पर आइये।

श्री मोती लाल देहलवी—

तो मैं निःसंकोच कह दूंगा कि असली स्वरूप गांधी जी की बोली और अंग्रेजों की गोली। आपको विश्वास है दमन पर, आपको विश्वास है लाठी और गोली पर इसलिए आप अनावश्यक रूप से भटके हुए हैं। आज हड़ताल से जो आम उपभोक्ता को परेशानी है, उस पर सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यदि आपने यह हड़ताल 15 दिन और चलवा दी तो प्रदेश में क्या स्थिति होगी आप सुलझा नहीं पायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि...

श्री त्रिवेदी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है और वह यह है कि माननीय सदस्य ट्रक हड़ताल पर बोल रहे हैं या कांग्रेस की व्यवस्था पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चिन्ता न करिए, उनके दल के माननीय सदस्य उनको सुव्यवस्थित कर रहे हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जन हित में प्रदेश की जनता की तकलीफों को देखते हुए जिद करना और हठ करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप ट्रक मालिकों को बुलाकर और ट्रक्स आपरेटर्स को बुलाकर कल तक आप उनकी हड़ताल को समाप्त कर दें, यह आपकी बड़ी विशेषता होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें अपने सम्मान का ख्याल न करेंगे।

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप अपने दल के लोगों और दल के नेता से पृथक् कोई राय रखते हैं। श्री हरीकिशन श्रीवास्तव जी की राय से कोई बात पृथक् रख रहे हैं ?

श्री फखरे आलम—

मैं बिल्कुल कान्स्टीट्यूशन की बात रख रहा हूं। मुझे आशा है कि आप मेरी बात से सहमत हो जायेंगे। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपके विचार उनकी राय से पृथक् नहीं होंगे तब तो नहीं बोलेंगे। आप जिस दल में हैं, उसकी राय आ गयी है।

श्री फखरे आलम—

आप मुझे मौका तो दे दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम—

मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि शायद तेरे दिल में उतर जाय मेरी बात। मान्यवर, कांस्टीट्यूशन के सेविन्थ शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

हमें ट्रक के बारे में बताइये, संविधान के बारे में नहीं।

(व्यवधान)

संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह सदन उसे नहीं सुनना चाहता

(व्यवधान)

श्री फखरे आलम—

मैं ट्रक के बारे में ही कह रहा हूं, संविधान को भी सुन लीजिये। आप इजाजत देंगे तभी मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजें। यह सदन इस समय कान्सटीट्यूशन सुनने को तैयार नहीं है सदन की राय में देख रहा हूं।

श्री फखरे आलम—

आप सुन लें, उसे, यह सारा झगड़ा ही समाप्त हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, आप कृपया बैठें। आपका तरीका ऐसा ही है जैसे कोई यह कहे कि आपके मोटापे का इलाज कुनैन है।

(हंसी)

आप कृपया बैठें।

(समय 7 बजकर 29 मिनट)

सिंचाई एवं परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, माननीय विरोधी दल के नेताओं ने कुछ शंकायें व्यक्त की। मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस कैबिनेट में कभी भी, किसी भी छोटी से छोटी बात पर या किसी बात पर कोई मतभेद नहीं रहा है और अगर मतभेद होता तो यह टैक्स कैसे बढ़ता।

(व्यवधान)

बात यह है कि जब यह फ्रेट बढ़ा तो ट्रक एसोशिनशन के लोग आये और मुझसे मिले। उस समय यह 2·65 रुपये पर किलोमीटर प्रति 10 टन था। यह सन् 1974 में लगा था। उसके बाद टायर के दाम बढ़ गये, डीजल, स्पेयर पार्ट्स तथा सभी चीजों के दाम बढ़ गये हैं। आपरेशन कास्ट भी बढ़ गयी। इसलिये जो भाड़ा बढ़ा वह 60 प्रतिशत बढ़ा। जगह-जगह से मांग आयी, पहाड़ों पर जो ट्रक चलाते थे उनकी मांग आयी कि जो फ्रेट हमें मिलता है वह बहुत कम है, यह बढ़ाना चाहिये। आपको मालूम है कि हमने बसों के किराये में भी बढ़ोत्तरी की है। पूरे दिन अगर ट्रक चले तो 10 रुपया उनको रोड टैक्स देना पड़ता था। 38 किलोमीटर अगर चले तो 10 रुपए उनको देने पड़ते थे। अब हमने 50 परसेन्ट उसको बढ़ाया है और 10 के स्थान पर 15 रुपए देने पड़ेंगे। एक ट्रक दिन भर में 150 रुपए कमाता है। अब 150 रुपए में अगर वह 10 के स्थान पर 15 रुपए देता है तो वह ऐसी रकम नहीं है कि वह न दे सके। कौन सा ऐसा ट्रक है जो 150 रुपए प्रतिदिन से कम कमाता है। यह जो कहा जा रहा है कि वे बरदास्त नहीं कर सकते, यह गलत है। वे, जहां तक मिलने की बात है, मुझसे कई बार मिले हैं।

[श्री वीर बहादुर सिंह --]

मैंने उनसे कहा कि आप हड़ताल पर मत जाइए, हम बात कर रहे हैं। हम कोई रास्ता निकालेंगे कि आपको परेशानी न हो। सरकार के संसाधनों को भी जुटाना होगा। लेकिन इसी बीच ये लोग हड़ताल पर चले गये। हड़ताल पर जाने के बाद जब मिले तो कहा कि आप कोई रास्ता निकालिए।

मैंने कहा कि जो बात मैं कह रहा था, आप लोग हड़ताल पर चले गए। अगर आप लोग रुक गए होते, तो हो सकता था कि बीच में कोई रास्ता निकल आता। मैं खुद चाहता था कि हड़ताल पर ये न जायं। हमारी बड़ी सैम्पथी रही है जो हमारे ट्रक के आपरेटर हैं, ट्रक के मालिक हैं, उनके बारे में यह हमारी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से समझता हूं और निभाना भी चाहता हूं। कुछ लोग मुझसे मिले, मैंने उनसे कहा कि आप पर जो टैक्स लगा है, इसको आप देते रहें और जो कठिनाई आपके सामने है, उसको भी हम देखेंगे और भविष्य में भी देखेंगे कि आप पर कोई कठिनाई न पड़े, लेकिन आप अपनी हड़ताल वापस ले लीजिए, अगर कोई परेशानी है, तो उस पर विचार करने में कोई परेशानी नहीं है।

मान्यवर, यह भी सही है कि हड़ताल के बहुत से आपरेटर्स मिले कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, हम ट्रक चलाना चाहते हैं। सरकार का इसमें कहीं भी दोष नहीं है कि सरकार ने जानबूझकर हड़ताल पर भेजा है। तो मान्यवर, इसमें किसी प्रकार की शंका पैदा करना कि मुख्य मंत्री और परिवहन मंत्री में कोई मतभेद है, यह सब भ्रम की बात है। मुख्य मंत्री जी भी चाहते थे कि हड़ताल पर न जाओ। लेकिन मान्यवर, इसी बीच में वह हड़ताल पर चले गए। मान्यवर, पहली तारीख से आज तक हड़ताल चल रही है। तो जो आप परेशानियां व्यक्त कर रहे हैं, वह सरकार को भी मालूम है। सरकार किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहती है। सरकार चाहती है कि लोगों को साधन समय से पहुंचे और मान्यवर हम कब यह चाहेंगे कि मार्च के महीने में हड़ताल कोई की जाय। तो मान्यवर, हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन हड़ताल पर लोग चले गए। मान्यवर, आज भी मैं कह रहा हूं कि अपनी वह हड़ताल वापस ले लें, तो जो बहुत सी दिक्कतें हैं, उन पर भी सरकार विचार करेगी। मान्यवर, यह बात स्पष्ट है, इसमें किसी प्रकार का वह नहीं है कि सरकार उनके प्रति सैम्पथी नहीं रखती है।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं।)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे परिवहन मंत्री जी ने बहुत से तथ्य स्पष्ट किए। माननीय विपक्ष के मन में बहुत सी चीजें थीं और शासन का जो दृष्टिकोण था और जो पक्ष था, वह आपके समक्ष रखा। उसमें मुझे बहुत नहीं जोड़ना है। आपको पूरे मसले को समझने के लिए, मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं। दो तरह के टैक्स हैं। एक तो गुड्स टैक्स और एक तो फ्रेट। तो गुड्स टैक्स का जो रेट है, वह फ्रेट का 10 प्रतिशत रहा है और आज भी वह रेट जो है, गुड्स टैक्स का 10 प्रतिशत ही रखा गया गया है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, एक तथ्य। दूसरा मान्यवर, फ्रेट जो है, सन् 1974 में निश्चित हुआ था और जैसा कि परिवहन मंत्री जी ने बताया कि यह मांग आती रही कि भाड़ा कम मिलता है, गवर्नमेन्ट विभागों में बढ़ाया जाय, तो फ्रेट जो है, वह 1974 के बाद 1982 में....

8 वर्ष बाद 50 प्रतिशत बढ़ाया गया । इसमें एक चीज की और जानकारी देने की आवश्यकता है । ऐसा टैक्स ट्रक मालिक चाहे तो फ्रेट के आधार पर 10 प्रतिशत रोड टैक्स दे सकता है लेकिन लमसम एक रेट दे दें । दो विकल्प हैं । पहला चूंकि फ्रेट पर 50 प्रतिशत बढ़ा, यह 10 प्रतिशत हुआ उस हिसाब से फ्रेट देते हैं तो एक प्रभाव पड़ा रोड टैक्स पर । लेकिन प्रतिशत 10 प्रतिशत ही है । इसमें इनको लाभ भी मिला । एक यह विचारणीय है दूसरा लमसम में देना है । तो अब भी यह विकल्प है और अगर यह महसूस करते कि जो लमसम जो लगा है वह अधिक है तो खुली छूट है ऐक्चुअल दे दें । लेकिन अनुभव किया है कि 38 किलो मीटर अगर ट्रक चल जाती है तो लमसम के बढ़े रेट से अदायगी हो जाती है । यह हम सब का अनुभव है सर्वसाधारण का अनुभव है । इसीलिए लमसम का विकल्प देते रहे । इस बीच में जो प्रश्न था उधर भाड़े में वृद्धि हुई और लमसम का रेट बना रहा । इसमें एक कुसन है उसको ठीक करने की कोशिश की गई ।

जब संसाधन की खोज होती है, मान्यवर, आज प्रान्त के विकास का प्रश्न है हमारे ट्रक आपरेटर हो, हमारे प्रदेश का कोई नागरिक हो, उनके जो भी चीज हो उस पर सरकार का विचार करने का कर्त्तव्य है । लेकिन साथ ही जो पूरे प्रदेश की विकास के संसाधन है हम उनको गिरवी नहीं कर सकते हैं । सत्तापक्ष गिरवी नहीं मर सकता है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत विचार के साथ मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया गया और इस निर्णय के बाद बातचीत की गई । परिवहन मंत्री बातचीत करते रहे और सलाह देते रहे कि आप लोग हड़ताल पर न जाइये । इसकी सूचना मुझे भी देते रहे कि बातचीत हो रही है । लेकिन बिना सूचना दिए हुए यह लोग हड़ताल पर चले गए । मान्यवर, यह बताये एक ओर बात हो रही थी उसकी खोज कर रहे थे कि हड़ताल न हो, लेकिन मान्यवर, यह लोग हड़ताल पर चले गए । आज बच्चों के दूध का सवाल है, खाद्यान्न का सवाल है, मजदूरों का सवाल है इनका दमन कौन कर रहा है शासन कर रहा है या यह लोग कर रहे हैं जो अपने हित में अपने निजी स्वार्थ में प्रदेश के हित को छोड़कर संघर्ष के लिए तैयार हैं ।

मान्यवर, अगर इस जनता के इस जीवन में उसको अस्त-व्यस्त करके, अपने वर्गीय हितों को सर्वोपरि रखकर जनता के साथ यदि इस प्रकार की एक दमन की नीति, शासन जो नहीं कर रहा है और शासन की बातचीत की नीति रही है, यह तो मजबूरी पर है । मान्यवर, हमने कल निवेदन किया था और बयान भी दिया है कि हमारे जो ट्रक आपरेटर्स हैं वह इस प्रदेश के विकास में अपना अंशदान दें, यदि वह यहां से जनता से प्राप्त कर रहे हैं तो वह अपना अंशदान दें और हर एक को देना होगा । उस अंशदान में बहुत कुछ जैसा बताया गया कि बहुत से ट्रक आपरेटर्स ले जाना चाहते हैं और ले भी जा रहे हैं । मान्यवर, यह कहां का न्याय है कि कोई सेवा करना चाहता है, बच्चे के पास दूध और भूखे के पास अन्न, होली पर चीनी और फैक्टरी में कच्चा माल पहुंचाना चाहता है और यहां उनको लाठी और पत्थर से अवरोध पैदा करते हैं तो यह शासन का काम नहीं है । मान्यवर, इस सदन के अन्दर न्याय का तराजू आपके पास है और सही पक्ष और स्थिति को बताने में मैं आशा करता हूं कि विरोध पक्ष उसमें डांडी नहीं मारेगा, यदि डांडी मारता है तो 11 करोड़ जनता के साथ आप लोग बटखरा न करें । मान्यवर, श्री रियासत हुसैन ने कहा कि जनता की दिक्कतों को अवश्य दूर करना चाहिये और इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करें । इसलिये मान्यवर, यह भी निश्चय किया गया है कि जहां इशेन्शियल कमोडिटीज की

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—]

आवश्यकता है वहां रोडवेज की बसों को लेकर पहुंचाने का निर्णय किया है और जरूरत हुई तो बसों का रिक्वीजीशन करेंगे ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

कब से करेंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

मान्यवर, तात्कालिक प्रभाव से और आज से ही यह व्यवस्था करेंगे ।

लेकिन साथ ही यहां जनता की सेवा में यह प्रबन्ध किया जायेगा कि जो ट्रक आपरेटर्स हैं उनसे भी यह कहना है कि कल और आज टी0 वी0, रेडियो और पत्र में निकाला है कि वे भी हमारे प्रदेश के ही अंग और नागरिक हैं, उनकी समस्याओं से हम जुड़े हैं, तो जहां तक हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि यहां प्रदेश के आर्थिक विकास में वह अपना अंशदान दें जैसे और अन्य समस्यायें हैं, जैसा कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि जो समस्यायें हैं, उसमें शासन का कर्तव्य है और हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं वह अवश्य बात कर सकते हैं और आगे उनकी छानबीन करके उनकी समस्याओं का हम निराकरण करने का प्रयास करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे पूर्वाह्न बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 46 मिनट पर, अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
दिनांक 19 मार्च, 1982

पी0 एस0 यू0 पी0—29 वि0परि0—1983 (पे0 डी0)।

विधान सभा उत्तर प्रदेश